खण्ड-479, अंक-9
शुक्रवार, 18 ज्येष्ठ, शक संवत् 1934
(08 जून, 2012 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2012)

(खण्ड 479 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2012

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
प्रश्नोत्तर	7-30
विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अमरनाथ मिश्र तथा श्री राम चरण सिंह के निधन पर शोकोद्गार	30-31
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	31-32
इलाहाबाद के म्योराबाद, कटरा सहित कतिपय मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में मौसम बदलते ही फैली हुई गन्दगी एवं नालियों के टूटे-फूटे होने की वजह से बीमारियां फैलने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	32-33
जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर में बने अमौसी एयरपोर्ट के लिये ली गई भूमि का उचित मुआवजा न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	33
नेपाल सीमा पर स्थित जनपद बहराइच के सीमावर्ती कस्बों में हो रही खाद्यान्न तस्करी के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	33-34
विधान सभा क्षेत्र सैदपुर, जनपद गाजीपुर अन्तर्गत राजकीय बालिका इण्टर कालेज को संचालित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	34
जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद नगर के आस-पास बसी कालोनियों में मूलभूत सुविधायें विकसित करने तथा उनको नगरपालिका परिषद् सिकन्दराबाद में शामिल करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	34-35
जनपद मिर्जापुर के मड़िहान क्षेत्र में सिंचाई के साधनों का अभाव एवं वाटर लेवल नीचे होने के कारण होने वाली पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	35
जनपद कुशीनगर के खड्डा एवं कोटवा विद्युत उपखण्ड अन्तर्गत ग्रामसभाओं में लगे जर्जर तारों एवं लकड़ी के पोलों को बदलवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	35-36
जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज विधान सभा क्षेत्र के तहसील बांसी, विकास खण्ड मिठवल के ग्राम मसिना खास में 33/11 का विद्युत सब-स्टेशन स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	36
तहबरपुर ब्लाक जनपद आजमगढ़ के दो मुख्य बाजारों की पूरी लम्बाई में उखड़ी हुई सड़कों के नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	36-37

विषय	पृष्ठ-संख्या
क्रय-विक्रय समिति उत्तमनगर मेरठ को गलत तरीके से निरस्त कर दुकानदार को परेशान किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	37
जिला आजमगढ़ के निर्वाचन क्षेत्र फूलपुर में मण्डी की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	37-38
जनपद कुशीनगर स्थित भगवान बुद्ध की जन्म स्थली कपिलवस्तु को पर्यटन स्थल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	38
जिला गोरखपुर में निषाद समाज के लोगों का उत्पीड़न एवं शोषण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	38-39
निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित पावर प्लान्टों द्वारा 5 कि0मी0 के अन्दर विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	39
जनपद अलीगढ़ के जट्टारी कस्बे में निगुना ग्राम में निर्माणाधीन विद्युत लाइन के कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	39-40
जनपद पंचशील नगर के गढ़मुक्तेश्वर के ग्राम कनिया थाना बाबूगढ़ के अन्तर्गत सुरजन नामक व्यक्ति की हत्या को लेकर हुए विवाद में निर्दोष लोगों का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	40
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	40
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव ..... (स्वीकृत)	40-46
उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2012 ..... (पुरःस्थापित) ...	46
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	47-59
वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ..... (जारी) ...	59-108
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	109-111
जनपद लखनऊ स्थित वृन्दावन योजना में किसानों की भूमि का उचित मुआवजा न दिये जाने तथा फर्जी मुकदमों में फंसाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री शारदा प्रताप शुक्ल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	111-113
जनपद शाहजहांपुर में पावर कार्पोरेशन लि0 के लिये 2010-2011 में मलिन बस्तियों में स्वीकृत धनराशि से अब तक विद्युतीकरण न किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)	113

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद सीतापुर की ग्राम पंचायत खरौहा में स्वीकृत अग्निशमन केन्द्र न खोले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	113-114
लखनऊ से सीतापुर नेशनल हाइ-वे पर सिधौली अटरिया के पास डी0एस0सी0 कम्पनी द्वारा नियम विरुद्ध टोल टैक्स की वसूली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य	114-115
जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र करछना के कतिपय गांवों में कुछ दबंग व्यक्तियों द्वारा प्रजापति, यादव व आदिवासी समाज के लोगों को उनके मूल स्थान से अन्यत्र विस्थापित करने पर दबाव बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री दीपक पटेल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	115
जनपद लखीमपुर खीरी में स्थित सरयू सहकारी चीनी मिल लिमिटेड बिलरायां द्वारा गन्ना कृषकों से की गयी कटौती की धनराशि से महाविद्यालय का निर्माण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय मिश्रा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	116-117
मेसर्स प्रीमियम कांस्ट्रक्शन कम्पनी की इन्दिरा नगर, लखनऊ की जमीन पर उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा फर्जी फर्म के साथ मिलकर की गयी जालसाजी के सम्बन्ध में श्री बंशी सिंह पहाड़िया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य... ...	117-119
जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड गगहा, बड़हलगंज तथा विरई के गांवों में हुए भीषण अग्निकाण्ड में शासन द्वारा दी गई सहायता की धनराशि पर्याप्त मात्रा में न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राजेश त्रिपाठी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य...	120
जनपद चन्दौली में वर्ष 2003-2004 की भूपौली जीर्णोद्धार परियोजना अभी तक पूर्ण न होने के सम्बन्ध में श्री सुशील सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य	121
जनपद मुरादाबाद की तहसील ठाकुरद्वारा के 35 गांवों में राशन व मिट्टी का तेल उपलब्ध न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अनीसुर्रहमान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का केवल वक्तव्य	121-122

विषय	पृष्ठ-संख्या
देश के लोकतांत्रिक इतिहास में मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में संसद के इतिहास में पहली बार किसी लोक सभा सदस्य के निर्विरोध चुने जाने पर नियम-110 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री के प्रति बधाई प्रस्ताव ..... (स्वीकृत)	122-123
नत्थी	124

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 08 जून, 2012

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-325

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
4. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
5. अजय मिश्र टेनी, श्री — लखीमपुर खीरी
6. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
7. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
8. अजीत कुमार, श्री — फर्रुखाबाद
9. अजीमुलहक पहलवान, श्री — अम्बेडकर नगर
10. अताउर्रहमान, श्री — बरेली
11. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
12. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
13. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
14. अनीसुर्रहमान, श्री — मुरादाबाद
15. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
16. अनुप्रिया पटेल, सुश्री — वाराणसी
17. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
18. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
19. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
20. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
21. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
22. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
23. अमर पाल शर्मा, श्री — गाजियाबाद
24. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
25. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
26. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
27. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
28. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
29. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
30. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती — कानपुर नगर
31. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
32. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
33. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
34. अविनाश, श्री — सोनभद्र
35. अशफाक अली खां, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
36. आनन्द सिंह, कुंवर — गोण्डा
37. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
38. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
39. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
40. आशा किशोर, श्रीमती — छत्रपति शाहूजी महराज नगर
41. आशीष कुमार यादव, श्री — एटा
42. आशीष यादव, श्री — बदायूं
43. इन्दल कुमार, श्री — लखनऊ
44. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
45. इन्द्रपाल सिंह, श्री — रमाबाईनगर
46. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती
47. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री — लखीमपुर खीरी
48. उदयराज, श्री — उन्नाव
49. उदय लाल मौर्या, श्री — वाराणसी
50. उपेन्द्र तिवारी, श्री — बलिया

51. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
52. उमाशंकर, श्री बलिया
53. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
54. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
55. ओम प्रकाश 'बाबा' दुबे, श्री जौनपुर
56. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
57. कमाल युसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
58. काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब रामपुर
59. कामेश्वर, श्री देवरिया
60. काली चरन सुमन, श्री आगरा
61. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
62. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
63. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
64. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
65. केशव प्रसाद, श्री कौशाम्बी
66. कैलाश, श्री गाजीपुर
67. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
68. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
69. गंगा, श्री कुशीनगर
70. गजराज सिंह, श्री पंचशील नगर
71. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
72. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
73. गायत्री प्रसाद, श्री छत्रपति शाहूजी महराज नगर
74. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
75. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
76. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
77. गेंदा लाल चौधरी, श्री महामायानगर
78. गोमती यादव, श्री लखनऊ
79. गोरख पासवान, श्री बलिया
80. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
81. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
82. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
83. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
84. जगपाल, श्री सहारनपुर
85. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
86. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
87. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
88. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
89. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
90. जाहीद बेग, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
91. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
92. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
93. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
94. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
95. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
96. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
97. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
98. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
99. दलजीत सिंह, श्री बांदा
100. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
101. दिलवाज खान, श्री बुलन्दशहर
102. दीपक कुमार, श्री उन्नाव
103. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
104. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
105. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री महामायानगर
106. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
107. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
108. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
109. धर्मराज, श्री बाराबंकी
110. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
111. धर्मेश सिंह तोमर, श्री पंचशील नगर
112. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कांशीराम नगर

113. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
114. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
115. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
116. नवाजिश आलम खान, श्री मुजफ्फरनगर
117. नागेन्द्र सिंह "मुन्ना यादव", श्री प्रतापगढ़
118. नारद राय, श्री बलिया
119. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
120. निरंजन ज्योति, साध्वी हमीरपुर
121. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
122. पंकज कुमार मलिक, श्री प्रबुद्धनगर
123. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
124. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
125. पिंकी सिंह, श्रीमती भीमनगर
126. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
127. पीतमराम, श्री पीलीभीत
128. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
129. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
130. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
131. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
132. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
133. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
134. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
135. प्रभुदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
136. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
137. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
138. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
139. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
140. फसीहा बशीर (गजाला लारी), चौधरी देवरिया
141. फेरन लाल, श्री ललितपुर
142. बंशी सिंह पहड़िया, श्री बुलन्दशहर
143. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
144. बदलू खां, श्री उन्नाव
145. बब्बन, श्री चन्दौली
146. बाबू खां, श्री हरदोई
147. बाबूलाल, श्री गोण्डा
148. बावन सिंह, श्री गोण्डा
149. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
150. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
151. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
152. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
153. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
154. बैजनाथ, श्री मऊ
155. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
156. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
157. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
158. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
159. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
160. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
161. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
162. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
163. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
164. मनबोध, श्री देवरिया
165. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
166. मनीष रावत, श्री सीतापुर
167. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
168. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
169. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
170. ममतेश शाक्य, श्री काशीराम नगर
171. महबूब अली, श्री जे0पी0नगर
172. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
173. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
174. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू श्री सीतापुर
175. महेश शर्मा, डा0 गौतमबुद्धनगर
176. महेश नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
177. माइकल चन्द्रा, श्री जे0पी0नगर

178. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
179. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
180. मानपाल सिंह, श्री काशीराम नगर
181. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
182. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
183. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
184. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
185. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
186. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावास्ती
187. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
188. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
189. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
190. मो0 मुस्लिम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
191. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
192. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
193. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
194. मो0 इरफान, श्री मुरादाबाद
195. मोहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
196. यासर शाह, श्री बहराइच
197. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
198. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
199. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
200. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
201. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
202. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
203. रणजीत सुमन, श्री एटा
204. रमेश चन्द, श्री मिर्जापुर
205. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
206. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
207. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
208. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
209. रश्मि आर्य, डा0 झांसी
210. राकेश प्रताप सिंह, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
211. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
212. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
213. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
214. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
215. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
216. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
217. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
218. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
219. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
220. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
221. राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
222. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
223. राधेश्याम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
224. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
225. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
226. राम करन आर्य, श्री बस्ती
227. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री भीमनगर
228. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
229. राम गोविन्द, श्री बलिया
230. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
231. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
232. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
233. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
234. राम मगन, श्री बाराबंकी
235. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
236. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
237. रामवीर उपाध्याय, श्री महामाया नगर
238. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
239. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी

240. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
241. रामस्वरूप सिंह, श्री रमाबाई नगर
242. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
243. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
244. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
245. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
246. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
247. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
248. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
249. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती भीमनगर
250. ललितेशपति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
251. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
252. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
253. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
254. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
255. विजय पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
256. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
257. विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
258. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
259. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
260. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
261. विजय सिंह, श्री रामपुर
262. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
263. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
264. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
265. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
266. वीरपाल राठी, श्री बागपत
267. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
268. वीरेश यादव, श्री अलीगढ़
269. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
270. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
271. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
272. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
273. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
274. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
275. शाकिर अली, श्री देवरिया
276. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
277. शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
278. शिव कुमार बेरिया, श्री रमाबाई नगर
279. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
280. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
281. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
282. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
283. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
284. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
285. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
286. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
287. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
288. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
289. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
290. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
291. संजय कपूर, श्री रामपुर
292. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
293. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
294. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
295. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
296. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
297. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
298. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
299. सन्तराम, श्री जालौन

300.	सर्वेश कुमार, कुंवर	मुरादाबाद
301.	सावित्री बाई फूले, सुश्री	बहराइच
302.	सिबगतुल्ला अंसारी, श्री	गाजीपुर
303.	सियाराम सागर, डा0	बरेली
304.	सीमा, श्रीमती	जौनपुर
305.	सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री	फतेहपुर
306.	सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
307.	सुदामा प्रसाद, श्री	महराजगंज
308.	सुधाकर, श्री	मऊ
309.	सुनील कुमार लाला, श्री	लखीमपुर खीरी
310.	सुभाष पासी, श्री	गाजीपुर
311.	सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली
312.	सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
313.	सुरेश राणा, श्री	प्रबुद्धनगर
314.	सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
315.	सुरेश बंसल, श्री	गाजियाबाद
316.	सुल्तान बेग, श्री	बरेली
317.	सुशील सिंह, श्री	चन्दौली
318.	सूरज पाल सिंह, श्री	आगरा
319.	सोबरन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
320.	स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	कुशीनगर
321.	हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री	लखीमपुर खीरी
322.	हरिओउम् यादव, श्री	फिरोजाबाद
323.	हुकुम सिंह, श्री	प्रबुद्धनगर
324.	हेमराज वर्मा, श्री	पीलीभीत
325.	हेमलता चौधरी, श्रीमती	बागपत

नोट :-मुख्य मंत्री (अखिलेश यादव), राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी) तथा पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव) भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में गिरते हुए भू-गर्भ जल स्तर को रोकने की कार्य योजना

**1-श्री सुरेश कुमार खन्ना तथा डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गिरते हुए भू-गर्भ जल स्तर को रोकने के लिए सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रदेश के कौन-कौन से जनपदों में सबसे ज्यादा भू-गर्भ जल स्तर गिरावट रिकार्ड की गयी है ? क्या सरकार ने गिरते हुए जल स्तर को रोकने के लिए कोई शार्टटर्म प्लानिंग भी लागू की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई एवं पशुधन मंत्री (श्री पारस नाथ यादव)-

जी हां।

भू-जल की दृष्टि से प्रदेश के संकटग्रस्त/समस्याग्रस्त विकास खण्डों में विभिन्न विभागों यथा लघु सिंचाई, कृषि, ग्राम्य विकास, वन, भूमि विकास एवं जल संसाधन तथा जल निगम द्वारा अपनी-अपनी विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत वर्षा जल संचयन एवं भू-जल संवर्धन के कार्य कराये जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य रूप से तालाबों का जीर्णोद्धार/नये तालाबों का निर्माण, चेकडैम का निर्माण, भूमि संरक्षण से सम्बन्धी मेड़ बन्धी आदि कार्य एवं वनीकरण के कार्य सम्मिलित हैं।

प्रदेश के 25 जनपदों [आगरा, अम्बेडकरनगर, बागपत, बरेली, बिजनौर, बदायूं, बुलन्दशहर, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, महामायानगर, जे0पी0नगर, जौनपुर, कानपुर (नगर), कौशाम्बी, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रतागढ़, रायबरेली, सहारनपुर, वाराणसी] के कुल 67 विकास खण्डों में सबसे ज्यादा भू-गर्भ जल स्तर की गिरावट रिकार्ड की गयी है।

गिरते हुए भू-जल स्तर को रोकने के लिए स्थानीय हाइड्रोजियोलॉजिकल परिस्थितियों के अनुसार वर्षा जल संचयन एवं भू-जल संवर्धन कार्यक्रम की प्लानिंग की जाती है और उसे तद्नुसार लागू किया जाता है जिसमें कोई शार्टटर्म प्लानिंग संभव नहीं हो पाती है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, गिरता हुआ भू-गर्भ जल स्तर आज पूरे प्रदेश की बहुत बड़ी समस्या है और माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में जिस तरीके से इसको जर्नलाइज किया है जिस प्रकार सामान्य तरीके से लिया है, वह अपने-अपने आप में तकलीफदेह है। मान्यवर, मैंने कुछ स्पेसिफिक स्थानों का नाम पूछा था वह तो माननीय मंत्री जी ने दे दिया है लेकिन पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से युद्ध स्तर पर गिरते हुए भू-गर्भ जल स्तर को उठाने के लिए जो कार्य योजना होनी चाहिए थी। उसके सम्बन्ध में न तो यह सरकार संवेदनशील है न मंत्री जी का विभाग संवेदनशील है। उत्तर तो सरकार की तरफ से आ गया लेकिन यह लगता नहीं है कि मा0 मंत्री जी सरकार या विभाग इसके लिए गम्भीर है। मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि अभी तक जो प्रयास किये गये वह निष्प्रभावी हैं। अगर प्रभावी होते तो इतने ब्लाक बताये क्यों जाते। 67 विकास खण्ड में सबसे ज्यादा भू-गर्भ जल स्तर की

गिरावट आयी है, बाकी सब जगह भी भू-गर्भ जल स्तर गिर रहा है। यह सरकार नई आयी है तो यह सरकार इस पर विशेष ध्यान देते हुए समयबद्ध रूप से कोई विशेष कार्य योजना बनायेगी ? क्योंकि अभी तक के प्रयास निष्प्रभावी रहे हैं।

श्री पारस नाथ यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि भारत सरकार की एक कमेटी है जो भू-जल आंकलन कमेटी कही जाती है, उसके माध्यम से हर 4 वर्ष में भू-जल का आंकलन किया जाता है। 2004 में पहला आंकलन किया गया था। पहले आंकलन के अनुसार इस प्रदेश के 820 ब्लाकों में से 138 ब्लाकों को चिन्हित करते हुए डार्क ब्लाक घोषित किया गया था। जिसमें 03 कैटेगरी होती है, अति दोहित विकास खण्ड, सबसे ज्यादा जल जहां से निकलता है उसको अति दोहित कहते हैं, दूसरा क्रिटिकल विकास खण्ड और तीसरा सेमी क्रिटिकल विकास खण्ड। 37 विकास खण्ड 2004 में अतिदोहित थे और 13 विकास खण्ड क्रिटिकल श्रेणी में थे और 88 विकास खण्ड सेमी क्रिटिकल थे, कुल मिलाकर 138 विकास खण्ड थे। उसके बाद 2009 में यह आंकलन किया गया और 2009 के आंकलन में जो जल स्तर था वह लगातार नीचे गिरता चला गया तो वह संख्या-820 में से 215 हो गयी जो 215 की संख्या हुई उसमें अतिदोहित विकास खण्डों की संख्या 76 हुई, क्रिटिकल की 32 और सेमी क्रिटिकल की 107 हुई। इस प्रदेश में कुल मिलाकर 215 विकास खण्ड चिन्हित किये गये जहां पानी का संकट है। आपने कहा कि कोई कार्य योजना चल रही है। 2010-11 से भारत सरकार के सहयोग से भूमि संरक्षण जल अर्थात् रिचार्जिंग कार्यक्रम के लिए जो हमने आपको पहले उत्तर में बता दिया कि तालाबों की खुदाई, तालाबों का जीर्णोद्धार, चेकडैम यानि रिचार्ज के लिए जो भी हमारे साधन हैं, इसके अलावा हमारे जो विभाग हैं कृषि, ग्राम्य विकास विभाग, पंचायती राज, आवास विभाग इनके साथ हम बैठक करते हैं नोडल विभाग लघु सिंचाई है। उनको यह बताया जाता है कि आपके यहां जो कार्य हो रहे हैं जो जल दोहन हो रहा है उस पर अंकुश लगायें। इस तरीके से हमारी योजना शार्ट टर्म तो नहीं हो सकती लेकिन हम इसके लिए चिन्तित हैं। जल स्तर तेजी से गिरता है तो निश्चित रूप से हम सबको चिन्ता करनी चाहिए क्योंकि 80 प्रतिशत खेती का काम जमीन के पानी से लिया जा रहा है। 70-80 प्रतिशत तक पीने का मीठा पानी हम लेते हैं तो इन जल स्तरों को मेनटेन करने के लिए हमको आपको सबको मिल करके काम करना पड़ेगा। इसलिए मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि इस तरह से जल स्तर को बढ़ावा देने के लिए जहां भी जिस क्षेत्र में हों उस क्षेत्र में मिल करके काम करें। रिचार्ज के लिए बरसात मुख्य साधन है, बरसात कम होने के कारण हम रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं। इसी के लिए इन संसाधनों का निर्माण चेकडैम से लेकर तालाबों की खुदाई, तालाबों में अब खेती होने लगी है, बिल्डिंगें बनने लगीं, झीलों में बनने लगी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इस तरीके से जमीन के अन्दर पानी नहीं रहेगा। जमीन की बनावट एक शकल की तरह है। जैसा हमारा शरीर है उसमें नशों में जब खून की कमी हो जाती है तो उसमें खून चढ़ाना पड़ता है। उसी तरह से जब जमीन के अन्दर पानी की कमी हो जाएगी तो जब तक उसमें हम पानी नहीं डालेंगे रिचार्ज नहीं करेंगे तब तक जल स्तर नीचे भागता चला जाएगा और जल स्तर के नीचे भागने का यह संकट बढ़ता जा रहा है। इसमें हम आप सबको चिन्ता करनी चाहिए।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, सदस्य माननीय खन्ना और मेरा जो यह प्रश्न था कदाचित आप देखेंगे तो उसका उत्तर इस प्रश्न में नहीं आया है और जो खन्ना जी ने अनुपूरक किया था उसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने विभाग द्वारा दी गई सामग्री का पाठ किया है। उसका स्पेशिफिक उत्तर सदन को प्राप्त नहीं हुआ है। मंत्री जी ने कहा है कि भू-जल की दृष्टि से प्रदेश के संकट ग्रस्त विकास खण्डों में तालाबों का जीर्णोद्धार वगैरह बताया है। मैं केवल आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी सदन को इस बात से अवगत करायेंगे कि जो यह 25 जनपद संकटग्रस्त हैं भू-जल के गिरते स्तर के कारण उन जनपदों में इन-इन मदों में यानी तालाबों का जीर्णोद्धार नये तालाबों का निर्माण, चेकडैम का निर्माण भूमि संरक्षण सम्बन्धी, मेड़ बंधी इन 25 जनपदों में इन विषयों पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी और उसके क्या परिणाम हुए यह पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न माननीय मंत्री जी ने भारत सरकार के भू-गर्भ विभाग और योजना का उल्लेख किया है और यह कहा है कि प्रत्येक 4 वर्ष में उसका आंकलन किया जाता था। मैं यह जानना चाहता हूं कि 2004 में पहला आंकलन हुआ उस आंकलन में जो परिणाम सामने आया उसके बाद सरकार ने स्वयं या भारत सरकार के सहयोग से कोई योजना बनाई है। 2008 में जब दुबारा आंकलन हुआ तो उन कार्य योजना के कार्यों का परिणाम अनुकूल आया या प्रतिकूल आया ? एक विषय यह दूसरा माननीय मंत्री जी ने कई विभाग का जिक्र किया और यह कहा कि नोडल विभाग लघु सिंचाई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। इससे सरकार की संवेदनशीलता और गम्भीरता का अंदाजा लगेगा कि आखिरी बैठक कब हुई ? अन्तिम बात यह है कि माननीय मंत्री जी ने अन्त में यह कहा...

श्री अध्यक्ष-

बाजपेयी जी कितने अनुपूरक प्रश्न करेंगे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मंत्री जी ने कहा कि तालाबों में भवन निर्माण हो गये तो एक तरफ सरकार कह रही है कि तालाबों का जीर्णोद्धार और नये तालाबों का निर्माण और पुराने तालाबों में भवन निर्माण हो गये यह भी स्वीकार हो रहा है तो इन निर्माण को रोकने का काम किसका है यह मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री पारसनाथ यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, बाजपेयी जी विद्वान सदस्य हैं इन्होंने कई सवाल एक साथ किये हैं। मैं सम्मान करता हूं। भू-जल गिरावट की जो इन्होंने चिन्ता व्यक्त की है कि कौन-कौन से जनपदों और ब्लाकों में जीर्णोद्धार के कार्य हो रहे हैं तो हमारे यह 25 जनपद हैं यह सूची में हैं कहें तो मैं नाम भी बता दूं और अगर यह चाहें तो मैं विकास खण्डों का भी नाम पढ़ दूंगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जो पूछा जाय उसका उत्तर दें।

श्री पारसनाथ यादव-

खन्ना जी मैं उत्तर दे रहा हूं। आप इसके लिए ज्यादा उतावले न हों।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप एक-एक सवाल एक बार में पूछिये। आपका जो सवाल है उसका उत्तर आ जाने दीजिये फिर दूसरा प्रश्न पूछिए।

श्री पारसनाथ यादव-

अध्यक्ष जी उतावलेपन में हम भू-गर्भ जल संचित नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ऐसी हमारे पास योजना नहीं है कि हम एक बोतल खून चढ़ा दें और शरीर स्वस्थ हो जाएगा और हमारा रोग खत्म हो जाएगा। यह भू-जल का सवाल है भू-जल में जब पानी रहेगा तभी हम उसको मेनटेन कर पायेंगे। भू-गर्भ जल स्तर में गिरावट है इसे हम स्वीकार करते हैं। इसको सब स्वीकार करते हैं। आपका सवाल यही है कि इसको रि-चार्ज करने के लिये क्या व्यवस्था कर रहे हैं। रिचार्ज के लिए ही मैंने उत्तर में बताया था कि हमारा यह संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। हम अति दोहित ब्लाक या अतिदोहित क्षेत्र उसको मानते हैं जिसमें प्रतिवर्ष 25 से लेकर 30 से0मी0 तक जल की गिरावट आती है। भारत सरकार की जो जल आंकलन समिति है वह हर चार वर्ष में इसका आंकलन करती है। इसका आंकलन करती है। भू-गर्भ वैज्ञानिक भी इसका आंकलन करते हुए यह बात बता रहे हैं कि यह जो हमारा 138 विकास खण्ड था वह 215 विकास खण्ड हो गया है। जो 25 जिलों में है और इस तरीके से यह सन्देश जा रहा है कि हमारा जल स्तर निश्चित रूप से नीचे गिरता जा रहा है। हमको इस पर चिन्ता ही नहीं करनी चाहिए बल्कि इस पर उपाय करना चाहिए। आपने यह सवाल किया कि किन-किन मदों में कितना-कितना जनपदों में पैसा खर्च किया जा रहा है ? तो यह सूचना हम आपको बाद में भिजवा देंगे कितना-कितना पैसा तालाबों के जीर्णोद्धार के लिये, नये तालाब के लिये, चेकडैम के लिये दिया जा रहा है। लेकिन 956.63 करोड़ से हमारी यह योजना इन जनपदों में तेजी से चल रही है और सर्वे कराया जा रहा है जहां भी पानी का संकट होगा हम अधिक से अधिक भारत सरकार और अपनी सरकार के माध्यम से उसको ठीक कराने का काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

एक प्रश्न किया माननीय सदस्य ने कि 4 साल में जो सर्वेक्षण होता है वह आखिरी बार कब हुआ।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, पहली बार यह सर्वेक्षण 2004 में हुआ। 4 वर्ष में सर्वेक्षण होता है तो अर्थात् 2008 और उसके बाद 2012 में होगा। 2004 में जो परिस्थितियां हमारे सामने थीं उसके कुछ उपाय किये होंगे। उन उपायों का परिणाम 2008 के सर्वेक्षण में अनुकूल था या प्रतिकूल था। 2008 के बाद 2012 में। एक प्रश्न तो यह था मान्यवर। दूसरा यह कि जो नोडल विभाग के रूप में लघु सिंचाई विभाग में अन्य सम्बन्धित विभागों की आखिरी बैठक कब हुई ? तालाबों में यदि भवन के निर्माण हो रहे हैं, एक तरफ तो हम नये तालाब बनाने की बात कर रहे हैं, तालाबों के जीर्णोद्धार की बात कर रहे हैं और सदन में इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि तालाबों में भवन निर्माण हो रहे हैं। इन निर्माणों को रोकने का दायित्व किसका है ?

श्री पारसनाथ यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, 2008 का जिक्र माननीय सदस्य कर रहे हैं। 4 वर्ष का समय निर्धारित है लेकिन 31 मार्च, 2009 को दूसरा जो 2004 के बाद यह आंकलन किया गया और उस आंकलन के बाद जो हमारी संख्या 50 थी वह बढ़कर के 2009 में नवीन आंकलन के अनुसार 108 हो गई। इस तरह से 215 विकास खण्डों की जो 3 कैटेगरी हमने बनाई है उन कैटेगरियों में हमारे विकास खण्ड का जल स्तर नीचे चला जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में जो आपने यह जानने की बात की है कि विभागों के द्वारा और जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, अभी हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है। हम इन विभागों के माध्यम से बैठकें करके यह बात निश्चित कर रहे हैं कि यदि हमारी कोई कालोनी आवास विकास की 20 एकड़ में बनती है तो उसके बीच में एक तालाब का निर्माण अनिवार्य करने जा रहे हैं कि अगर तालाब का निर्माण रहेगा तो रिचार्ज की व्यवस्था होगी यह बड़ी तेजी से लोग मकान बना रहे हैं और मकानों के अन्दर डीप बोरिंग करा करके मशीन लगाकर के पानी ले रहे हैं यह तो एलार्म की यही तो वार्निंग करने की बात है और हम कोशिश करेंगे कि इस तरह का कोई कानून बनायें और कानून बना करके जैसी हमारी प्री-बोरिंग है लघु सिंचाई की और अब हम प्री-बोरिंग को बन्द तो नहीं किया है उसको स्थगित किया है कि कुछ ब्लाक जो अतिदोहित हमारे हैं उन ब्लाकों को प्री-बोरिंग जो सरकारी सुविधा मिलती है वह हम नहीं दे पायेंगे। जो प्राइवेट सेक्टर में लोग बोरिंग करायेंगे वह प्राइवेट सेक्टर के बोरिंग कराये वह उनकी जिम्मेदारी होगी हम उनको कोई सरकारी सहायता नहीं देंगे लेकिन प्राइवेट लोगों को हम तब तक नहीं रोक सकते जब तक इस तरह का कोई कानून नहीं बन जाता। इसलिये कानून बनाने की भी बात हम करेंगे और ऐसा कोई कानून अगर बना तो निश्चित रूप से बनाना पड़ेगा। अगर नहीं बनाया तो जिस तरह से जल दोहन हो रहा है, यह खतरे की घण्टी होगी। यह मेरा आपसे कहना है और आग्रह भी है।

श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज-

मान्यवर, मंत्री जी ने अपने लिखित उत्तर में और खास तौर से अपने मौखिक उत्तर में जानकारी बड़े विस्तार से दी लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि बुन्देलखण्ड भारत का तथा उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। पानी का कितना गम्भीर संकट है। मंत्री जी भी वाकिफ हैं 25 जिलों की सूची दी गई है। बुन्देलखण्ड के किसी जनपद का इसमें नाम नहीं है। जबकि सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड में, अभी कल ही हमारे पटेल जी ने पाठा क्षेत्र का मामला उठाया है। मैं महोबा क्षेत्र से चुनकर आता हूं। महोबा की समस्या से आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। वहां का जल स्तर इतना नीचे है कि वहां एक-एक बूंद के लिए लोग पानी के लिए तरसते हैं। टैंकरों से वाटर की सप्लाई होती है। वहां चंगेजकालीन तालाब है, उनसे वाटर की सप्लाई दी जाती है। उन तालाबों में एक बूंद पानी नहीं रह गया है। ओरेनल गांव है। वहां एक बूंद पानी नहीं है। वहां त्राहि-त्राहि मची हुई है। ऐसे जनपद का नाम आपकी सर्वे रिपोर्ट में नहीं आ पाया यह दुर्भाग्य की बात है। मैं सरकार से जानना चाहूंगा बुन्देलखण्ड जनपद के भू-गर्भ जल स्तर को रोकने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ? आपने मंत्री जी से कहा, जीर्णोद्धार होगा और नये तालाबों का निर्माण होगा। चेकडैमों का निर्माण होगा, भूमि संरक्षण सम्बन्धी मेड़ बन्धी का कार्य होगा, लेकिन एक भी कार्य वहां नहीं हो रहा है। भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, जो धन यहां से गया है, उसकी जांच की जाए और पानी की समस्या दूर की जाए।

श्री पारसनाथ यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ही नहीं भारत सरकार भी चिन्तित है। अखबारों के माध्यम से लगातार आपको जानकारी होती है कि स्पेशल पैकेज बुन्देलखण्ड के लिए मिल रहा है और उसी स्पेशल पैकेज में पानी के संकट को दूर करने का सबसे बड़ा योगदान और महत्व स्पेशल पैकेज में दिया जाता है। हम बताना चाहेंगे माइनर इरीगेशन चेकडैम बनाने की योजना में 265 चेकडैम बन रहे हैं हमारे बुन्देलखण्ड में, इस बार हम 415 चेकडैम बनाने की योजना बना रहे हैं और भू-जल को देखने के लिए कुंओं का निर्माण और ऐसे कुएं जहां पानी नहीं है। उसके आस-पास सर्वे कराकर कुओं का निर्माण कर रहे हैं और गहराई से, डीप कुएं खोदने का काम करा रहे हैं और यह कहना तथ्य से परे है कि बुन्देलखण्ड में कोई कार्य नहीं हो रहा है। यह सही नहीं है। अगर सूचना में बुन्देलखण्ड का नाम नहीं आया तो यह हम सूचना देने वाले अधिकारियों से पूछेंगे, यह नाम क्यों नहीं आया। लेकिन बुन्देलखण्ड में सबसे प्राथमिकता के आधार पर हमारी सरकार और भारत सरकार दोनों चिन्तित हैं। वहां किसी को बगैर पानी के नहीं रहने दिया जाएगा। क्योंकि सम्मानित सदस्य को यह याद होगा कि पानी ही जीवन है और जीवन नहीं रहेगा तो हमारी शक्ल भी नहीं रहेगी। रहीम दास जी ने एक दोहा कहा है :-

रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून,
पानी गए न ऊबरे मोती मानस चून।

इसलिए पानी का संकट हम दूर करेंगे यह मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है मुझे चिन्ता है माननीय मंत्री जी ने उत्तर देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। यह निश्चित रूप से बहुत तैयारी करके आये हैं। लेकिन दो चीजें उसमें हैं। मान्यवर, कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन कार्यक्रम चलने के बावजूद भी जितना असफल यह कार्यक्रम रहा है, उतना असफल और कोई कार्यक्रम नहीं रहा है। उपलब्धि है नहीं आपने भी माना कि उपलब्धि नहीं है और दो बड़े मजबूत हाथों में यह कार्यक्रम है पारसनाथ जी नोडल एजेन्सी देख रहे हैं और जो इम्प्लीमेंट करने की बात है जो रोकने वाली बात है, माननीय अम्बिका चौधरी जी बैठे हैं जितने तालाबों पर कब्जा हो रहा है इनकी कृपा से ही तो हो रहा है। अगर तहसीलदार सक्रिय हों और तहसीलदार की साजिश न हो तो किसी तालाब पर कब्जा नहीं हो सकता है। स्थिति यह है चाहे इस पक्ष में बैठे लोग हों चाहे उस पक्ष में बैठे लोग हों, जितना गति से अतिक्रमण तालाबों पर हुआ है। मैं मान्यवर, उसमें अपने को भी शामिल करता हूं। मान्यवर, मैंने करीब पचास पत्र लिखे होंगें कि फलां तालाब पर कब्जा हो रहा है पैसा आया मकान बनाये दो मंजिल का बनाये, तीन मंजिल का बनायें, घेर बनायें कार्यवाही होने वाली नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि आप कार्यक्रम तक सीमित हैं मानीटरिंग तक सीमित हैं। जो इन्क्रोचमेन्ट हो रहा है उसको रोकने वाले दूसरे हैं। क्या आप कोई निश्चित जानकारी दे पायेंगे, इसमें सर्वोच्च न्यायालय तक ने चिन्ता व्यक्त की है और भारत वर्ष के सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि इतने दिन में आप तालाबों से कब्जा हटा देंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़ा रहा। इसमें

किसी एक सरकार का दोष नहीं है, सरकार हमारी भी रही, सबकी रही, सभी का दोष इसमें है कि जितना गम्भीरता से इसे लेना चाहिए था, उसको नहीं लिया और आज हम उसका परिणाम भोग रहे हैं। वाटर हार्वेस्टिंग की बात हो, बहुत से लोग हमारे पास आए कि वाटर हार्वेस्टिंग प्लान्ट हमारे यहां लगवा दीजिए लेकिन आपके यहां से कोई सहयोग नहीं मिलता। मेरा प्रश्न यह है कि क्या कोई निश्चित अवधि तय करके जिन तालाबों पर अनधिकृत कब्जे हुए हैं, उस कब्जे को खाली कराने की कार्य योजना बनायेंगे और समय-सीमा बांधेंगे और उसके बाद सदन को उस बात से अवगत करायेंगे ?

श्री पारसनाथ यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय हुकुम सिंह जी वरिष्ठ सदस्य हैं, हम लोग इनसे सीखते हैं और हम लोग इनसे सीख करके कुछ कहते हैं। हकीकत है, हम इसको तसलीम करते हैं। समय-समय पर यह जो तालाबों पर कब्जा, बंजर जमीनों पर कब्जा और खाली जमीनों पर कब्जा करने की एक भूख जैसे लगी है, लोगों को इससे नकारा नहीं जा सकता, यह हकीकत है। आपने जैसा कहा, हम बातचीत करेंगे, ज्वाइंट रिस्पांसबिलिटी होती है, मंत्रि-मण्डल की, सरकार की, इस बात को हम अपनी सरकार के बीच ले जायेंगे और चाहे राजस्व मंत्री हों, चाहे मुख्य मंत्री हो, सभी को इस बात की चिन्ता है कि यह हमारी खाली जमीन, तालाब, भीटें अगर इस तरीके से इन्क्रोचमेंट होता रहेगा, इस तरीके से कब्जा होता रहेगा तो जो जल स्तर हमारा है, उसको ठीक करने के लिए हमारे पास कहीं जमीन नहीं बचेगी। इसलिए हम इतना ही कहना चाहते हैं, माननीय सदस्य से कि हम आपकी भावना का सम्मान करते हैं और आपकी भावना के अनुरूप हम कोशिश करेंगे कि इन पर इन्क्रोचमेंट न हो। इसके लिए अगर कोई कानून भी बनाना पड़ेगा तो कानून भी बनाने की बात की जायेगी क्योंकि संयुक्त जिम्मेदारी है।

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, लघु सिंचाई विभाग से सम्बन्धित प्रश्न के क्रम में और जिसका उत्तर बहुत विस्तार से, इतने सुस्पष्ट और अच्छे ढंग से माननीय मंत्री जी ने दिया है, उससे पूरे सदन को संतुष्ट होना चाहिए और विशेष रूप से प्रश्नकर्ता सदस्य को जरूर संतुष्ट होना चाहिए।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के आपस में कुछ बातचीत करने पर)

आपके काम की बात हो रही है, सुरेश खन्ना जी हमारे मित्र हैं और मैं इनके विषय में जानता हूं। मान्यवर, कुछ अतृप्त आत्माएं होती हैं, वह कभी संतुष्ट नहीं होती, उनकी बात नहीं कर रहा हूं लेकिन यह संतुष्ट हैं, यह हमारे मित्र हैं। श्रीमन्, मैं अपने मित्रों की बात कर रहा हूं, यह सब संतुष्ट हैं और इसके लिए माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने आज इस अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के उत्तर में सदन को इतनी सूचनाएं दीं और पूरा सदन लगभग संतुष्ट है इससे। उस क्रम में माननीय हुकुम सिंह जी ने उल्लेख करके भी कहा और उनको करना भी चाहिए कि यह तालाबों पर कब्जे, शमशानों पर कब्जे, चारागाहों पर कब्जे, उनसे हट करके यदि हम तालाब तक अपने को केन्द्रित करें, एक बार अगर तालाबों को कब्जों से मुक्त करा लिया जाए तो मैं समझता हूं कि यह एक बड़ा कार्य होगा, सभी कार्य करने के बजाय। मैं सदन में अपना निजी विचार भी रख रहा हूं, विभागीय तौर पर इसकी समीक्षा करके कार्य योजना रखने के पहले आपसे विचार-विमर्श भी करेंगे लेकिन अध्यक्ष जी, सर्वाधिक आवश्यकता इस बात की है कि तालाबों पर से और जितने हमारे

जलागाह हैं उन पर जितने अवैध कब्जे हैं, उनको हटवाया जाय। इसको मैं राजनीतिक कारणों से नहीं कह रहा हूं लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि कुछ ऐसा नारा पिछले दो दशक से चला, एक राजनैतिक दल ने कहा कि ''जो जमीन सरकारी है, वह जमीन हमारी है'' और जो जमीन सरकारी है, वह जमीन हमारी है के क्रम में जितने नाजायज कब्जे जोर से हुए और उनको राजनैतिक समर्थन प्राप्त हुआ, उनके कारण सबसे भयावह स्थिति पिछले दो दशक में हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें कोई नया कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के श्री हिंचलाल तिवारी बनाम स्टेट में स्पष्ट आदेश है और उस आदेश का पालन करने के लिए सरकार बाध्य है लेकिन उसके अनुपालन में जो खामी और कमी रही है उसी खामी के चलते और उस पर प्रभावी नियंत्रण न हो पाने के कारण उसकी प्रभावी समीक्षा न हो पाने के कारण विभिन्न सरकारों में इस विषय को स्पेसिफिक तौर पर नहीं लिया गया। मैं समझता हूं कि आज इस बिन्दु को सबकी सहमति से लिया जाना चाहिए और मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूं कि सरकारी जमीनों से कब्जे हटाने का जो हमारा प्रयास है उसमें नम्बर एक पर हमारा प्रयास जो इन जलाशयों पर कब्जा हो रहा है उसका किया जाना चाहिए। जहां तक कानून का सम्बन्ध है। हमने यह प्राविधान किया है कि अगर हम किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण करते हैं, रेल या किसी दूसरे अन्य प्रोजेक्ट के लिए करते हैं तो अगर उसके बीच में अगर कोई तालाब, झील या नाला भी आता है तो उनसे उतने का तालाब, पोखरा बनवाने की बाध्यता करके इस कानून को सख्ती से लागू कराते हैं। लेकिन अगर कहीं कमी है तो इस कानून के इंफोर्समेन्ट की है। अगर उस निर्देश का सख्ती से जारी कर दिया जाये तो यह प्रयास सार्थक होगा। मैं अपनी सरकार की ओर से यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि सत्र के समाप्त होने के तत्काल बाद प्राथमिकता पर इस कार्य को किया जायेगा और इस पर माननीय सदस्यों से सूचनायें अगर मिलती रहेंगी तो बिना किसी भेदभाव के प्रभावी ढंग से इस पर कार्यवाही कर सकेंगे। जहां भी शिकायत मिलेगी उसको इंफोर्स कराने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

इस प्रश्न पर आधा घण्टा हो गया।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं। मान्यवर, नोडल विभाग होने के नाते उसकी आखिरी बैठक कब हुयी ? उसका उत्तर दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने बताया तो कि 31 मार्च, 2009 को हुयी।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, यह भारत सरकार का बताया है। लघु सिंचाई विभाग होने के नाते लघु सिंचाई विभाग ने इन विभागों की अन्तिम बैठक कब की ? अगर सूचना उपलब्ध हो तो दे दें।

श्री पारसनाथ यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे वरिष्ठ सदस्य इतने उतावले हैं कि तीन महीने हमारी सरकार का पूरा नहीं हुआ। मान्यवर, हम समीक्षा बैठक करते हैं और समीक्षा बैठक के माध्यम से हमने अपने

विभाग के अधिकारियों को बैठक करने के लिए कहा है। जैसे ही हमारा सत्र समाप्त होगा। हम बैठक करके विचार करके एक कार्ययोजना बनायेंगे और यह कार्य किया जायेगा।

श्री तेजपाल सिंह-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपने आपको इस प्रश्न से संबद्ध कर रहा हूं। भू-गर्भ जल के गिरावट की सबसे गम्भीर समस्या है। माननीय मंत्री जी ने बड़ी गम्भीरता दिखायी अच्छी बात है और उन्होंने एक बात यह भी कही कि इसमें जहां सबसे ज्यादा जल स्तर गिर रहा है वहां की हमें ज्यादा चिन्ता होनी चाहिए। मान्यवर, आगरा और मथुरा दोनों जिले जो राजस्थान की सीमा से लगे हुए हैं, यह समस्या तो पूरे प्रदेश में है। लेकिन राजस्थान की सीमा से लगे हुए इलाकों में यह समस्या बहुत ही गम्भीर है और उन्होंने इस विषय पर बड़ी गम्भीरता भी दिखाई है। मान्यवर, हमारे यहां सारे तालाब सूख गये हैं, हैण्डपम्प पानी नहीं दे रहे हैं और तो और बड़े ताज्जुब के साथ यह बात कहनी पड़ती है कि वहां समरसेबुल भी फेल हो गये हैं तो मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से केवल इतना जानना चाहता हूं कि राजस्थान से सटे हुए जो इलाके हैं जहां उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जल स्तर की गिरावट हुई है, उस गिरावट वाले इलाके में क्या सरकार कोई नई स्कीम या योजना लेकर आ रही है और अगर लेकर आ रही है तो उसकी समय-सीमा क्या निर्धारित की गई है ? कृपया मा0 मंत्री जी बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, मा0 सदस्य का कहना है कि आगरा और मथुरा का क्षेत्र है, वहां के गिरते जल स्तर से निपटने के लिए आप कोई कार्य योजना बना रहे हैं।

श्री पारसनाथ यादव-

मान्यवर, अगर ऐसी कोई समस्या या सुझाव है तो वह लिखकर हमें दे दें। हम उसको दिखवा लेंगे।

(विपक्ष के अनेक सदस्य अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे शोर की स्थिति उत्पन्न हो गई)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शान्त होकर अपनी सीट पर बैठ जाएं। मा0 सदस्य यह समस्या गम्भीर है और इससे सम्बन्धित पूरा विवरण मा0 मंत्री जी ने आपके समक्ष रख दिया है। साथ ही मा0 मंत्री जी ने कहा है कि किसी का कोई सुझाव है तो वह लिखकर के हमें दे दीजिए, हम उसको दिखवा लेंगे। एक तरह से यह एक आश्वासन बन गया है। अब एक सवाल पर 35 मिनट हो गया है, 01 घण्टा 20 मिनट प्रश्नों के लिए निर्धारित है और भी महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए जिसको जो भी सुझाव देना है, वह आप मंत्री जी को दे दीजिए, मंत्री जी ने कहा है कि सुझाव हमें लिखकर दे दीजिए। अभी इस पर बजट में चर्चा भी हो जायेगी तो आप इस प्रश्न पर इतना ज्यादा समय न लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आगे भी लगे हैं। मैं अब अगला प्रश्न ले रहा हूं।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में खाद्य एवं पेय पदार्थों में मिलावट रोकने के उपाय

*1-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खाद्य एवं पेय पदार्थों में मिलावट का धंधा जोरों पर है ? यदि हां, तो क्या सरकार सुरक्षित खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराने हेतु मिलावटखोरी में लिप्त तत्वों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर कठोर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

[जी नहीं।

खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम हेतु पूर्व में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत सतत् प्रवर्तन की कार्यवाही विभाग द्वारा की जाती रही है एवं 05 अगस्त, 2011 के बाद से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रवर्तित होने के पश्चात विभाग द्वारा इसके अन्तर्गत भी प्रवर्तन की कार्यवाही करते हुए मिलावटखोरी में लिप्त तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जा रही है व समय-समय पर विभिन्न अवसरों पर विशेष अभियान चलाकर भी प्रवर्तन की कार्यवाही की जाती है। वर्ष 2011 में इस हेतु 202058 निरीक्षण किये गये व 14680 छापे डालकर 11247 नमूने संग्रहीत कर 5026 मामलों में दोषियों के विरुद्ध अभियोजन मा0 न्यायालय में दायर किये गये हैं। उपरोक्त अवधि में 453 व्यक्तियों को मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया तथा रु0 2995450/-का अर्थदण्ड आरोपित किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2012 में अवधि जनवरी, 2012 से अप्रैल, 2012 तक 30358 निरीक्षण किये गये व 2877 छापे डालकर 2700 नमूने संग्रहीत 1590 मामलों में दोषियों के विरुद्ध अभियोजन मा0 न्यायालय में दायर किये गये हैं। उपरोक्त अवधि में 217 व्यक्तियों को मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया तथा रु0 5687500/-अर्थदण्ड आरोपित किया गया।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा सुरक्षित खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराने हेतु मिलावट खोरी में लिप्त तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही सतत् रूप से चलती रहती है तथा समय-समय पर विशेष अभियान भी चलाकर मिलावटखोरी में लिप्त तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाती है। वर्ष 2011 में विशेष अभियान चलाकर प्रदेश में दिनांक 01-09-2011 से 26-12-2011 तक 10043 निरीक्षण कर 263 छापे डालकर 2246 नमूने संग्रहीत किये गये एवं रु0 7,74,08,047/-मूल्य के असुरक्षित खाद्य पदार्थ जब्त/नष्ट किये गये। इसी प्रकार वर्ष 2012 में होली, नवरात्र एवं ग्रीष्म ऋतु के दृष्टिगत विशेष अभियान चलाकर प्रदेश में 9201 निरीक्षण किये गये तथा 1153 छापे डालकर 1952 नमूने संग्रहीत किये गये और रु0 72,27,644/-मूल्य के असुरक्षित खाद्य पदार्थों को जब्त/नष्ट किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।]

[श्रम मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह) द्वारा उत्तर पढ़ने पर]

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

मा0 श्यामदेव राय चौधरी जी आपकी क्या राय है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ?

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, जो आपकी राय हो, वही हमारी राय है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

मा0 चौधरी साहब आप अनुपूरक प्रश्न करेंगे ?

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, जैसा आप चाहें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, चौधरी साहब उत्तर से संतुष्ट हैं, इसलिए अगला प्रश्न ले लें।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति हो तो अनुपूरक करें।

श्री अध्यक्ष-

आपकी क्या राय है, उत्तर तो सब आ गया है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, जो आपकी राय है वही मेरी राय है।

श्री अध्यक्ष-

एक प्रश्न पूछ लीजिये। क्या आप पूछना चाहते हैं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मा0 अध्यक्ष जी, सरकार ने बताया कि मेरा उत्तर था कि क्या ये सब जोरों पर है। सरकार ने अपने उत्तर में कहा कि जी नहीं। लेकिन आप देखें कि उत्तर में जितने भी विवरण दिये गये हैं। वह अपने आप में पर्याप्त हैं इस बात का सबूत है कि मिलावट का धन्धा जोरों पर है। चाहे वह खाद्य पदार्थ हों, चाहे पेय पदार्थ हों, चाहे दवाइयां हों आदि हों और मेरा ही नहीं पूरे सदन का यह मानना हो सकता है कि जो लोग भी धन अर्जित करने के लिये इस प्रकार का काम कर रहे हैं वे निश्चित रूप से राष्ट्रद्रोह जैसा काम कर रहे हैं और जो कुछ इसमें बताया गया है, मेरी समझ से वह पर्याप्त नहीं है, जो कुछ भी किया जा रहा है। अगर आप रोक देंगे तो मैं ....

श्री अध्यक्ष-

क्या मामला है कि आप पूछ रहे हैं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

आपने कहा अनुपूरक करिये।

श्री अध्यक्ष-

तो करिये न अनुपूरक।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, अनुपूरक के पहले अपनी भावनाओं में जनता का सच है वह बताना जरूरी होता है अध्यक्ष जी। ऐसा नहीं है कि खाली अनुपूरक कर दें तो जनता संतुष्ट हो जाये। तो मेरा यह मानना है कि एक तो सैम्पलिंग होती है उस सैम्पलिंग का जो परीक्षण होता है प्रयोगशाला होती है उसकी अपर्याप्त संख्या है। इसी कारण जो उसके परिणाम हैं इतना लेट हो जाता है परीक्षण का परिणाम लाने में कि वो प्रभावित हो जाता है और बहुधा वो सजा उनको मिलती नहीं और उस दायरे में वो आते नहीं। तो मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि इसको देखते हुए जो प्रयोगशालाओं की संख्या है क्या उसको बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ताकि तत्परता से उसके परिणाम आयें और उनको पेनालाइज किया जा सके, उनके विरुद्ध अभियोग समाहित हो सके। दूसरा एक छोटा सवाल यह भी आदरणीय अध्यक्ष जी कि यह जो अभियोजन का काम जो किया जाता है उसमें बहुत समय लग जाता है तो क्या सरकार इस पर भी विचार करेगी कि इन सारे मामलों के परीक्षण के लिये अभियोजन के लिये फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण करके जल्दी से जल्दी इसका परिणाम आये और दोषियों को दण्ड मिले। ऐसी कोई व्यवस्था करने पर सरकार विचार करेगी। फिर उसके बाद मैं कहूंगा।

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

मा0 अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में जनपद में लखनऊ राजकीय जल विश्लेषक प्रयोगशाला तथा जनपद आगरा, वाराणसी, गोरखपुर और मेरठ में राजकीय क्षेत्रीय जल विश्लेषक प्रयोगशालायें स्थापित हैं और जो पर्याप्त हैं सारी जांचों का समय से पहुंचाने के लिये जहां तक सरकार ने लाखों छापे डाले हैं। मैं गिनती बता रहा हूं आपको गिनती बता दूं। यहां तक कि बहुत ज्यादा लोगों को सजा भी हुयी है तो जहां तक मिलावट का सवाल है तो मिलावट है लेकिन मिलावट के लिये सरकार प्रभावी तौर से संवेदनशील है और सरकार कार्यवाही कर रही है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मा0 अध्यक्ष जी, इसमें अभियोजन की कार्यवाही और सजा देने में बहुत देरी हो जाती है। क्या इसके लिये सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण करने पर सरकार विचार करेगी या उसकी संख्या बढ़ाने पर।

डा0 वकार अहमद शाह-

मा0 अध्यक्ष जी, 2011 में अधिकारिक तौर पर ए0डी0एम0 को अधिकृत कर दिया गया है। वहीं नोडल अफसर हैं और कार्यवाही करेंगे।

श्री प्रदीप माथुर-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में बनारस, मथुरा, हाथरस इस तीनों जगहों की मिठाईयां बहुत मशहूर हैं और मथुरा में तो विशेषकर दूध का प्रयोग बहुत है। चाहे धार्मिक मामले का हो चाहे पीने का मामला हो और इसमें जबरदस्त मिलावट

की जा रही है। मान्यवर, क्या आपका विभाग कोई इस तरह की विशेष कार्ययोजना बनायेगा कि इनकी जांच नियमित होती रहा करें। चूंकि कभी-कभी होती है साल में एक बार, दो बार और कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं होता कि फर्जी खोया और फर्जी दूध की मिलावट रुक सके और लोगों की जीवन हानि भी होती रहती है। धार्मिक स्थलों पर गिरिराज जी पर फर्जी दूध चढ़ाया जाता है। यमुना जी में फर्जी दूध चढ़ाया जाता है, एसीटिक दूध चढ़ाया जाता है। धार्मिक आस्थाओं को भी ठेस पहुंचती है तो ऐसी कोई आपकी नियमित जांचें होती रहें और ऐसी कोई विशेष कार्य योजना बने तो क्या आप इसके लिए आश्वस्त करेंगे कि एक रेगुलर इंटरवल पर छापे पड़ते रहें और खास तौर पर बड़े बैनर वालों के यहां छापे पड़े। छोटे-छोटे लोगों को तो आपके विभाग के लोग पकड़ लेते हैं लेकिन बड़े बैनर वाले मिठाई वालों को कोई नहीं पकड़ता तो क्या आप इस तरह का कोई आश्वासन देंगे ?

डा0 वकार अहमद शाह-

दूध पर 17967 निरीक्षण किये गये और 2028 छापे डाले गये तथा 2094 संग्रहित नमूने मिले हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी उनका यह कहना है कि क्या यह जो मिलावट हो रही है, इस पर निरन्तर छापे डालकर इसे रोकते रहेंगे। वे यह आश्वासन चाहते हैं, बस इतना उनका प्रश्न है।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, बनारस, मथुरा और हाथरस इन तीन जगह की मिठाईयां बहुत मशहूर हैं और बनारस और मथुरा में तो दूध का प्रयोग धार्मिक प्रयोजनों के लिए भी किया जाता है उसमें भी मिलावटखोर लोग फर्जी दूध, एसीट्रिक दूध और केमिकल दूध बेचते हैं लोगों की धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाते हैं और उस ईश्वर के साथ भी धोखा करते हैं और आपके इंस्पेक्टरराज के लोग उनसे मिले होते हैं तो हम यह चाहते हैं कि मथुरा में, बनारस में, वाराणसी में और हाथरस में एक विशेष कार्य योजना बनाकर क्या नियमित छापे और चेकिंग कराते रहा करेंगे। क्या हर 6 महीने में या 1 साल में या 2 महीने में छापे डलवाते रहेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

माथुर साहब, अब हो गया, अब उत्तर तो आने दीजिए।

डा0 वकार अहमद शाह-

इस पर विचार किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आश्वासन आ गया है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, अब तो इस प्रश्न में कुछ बचा ही नहीं मा0 मंत्री जी ने कह दिया कि इस पर विचार करेंगे। मा0 अध्यक्ष जी, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने बिना किसी प्रतिपक्ष के सदस्य के सवाल किये स्वयं इस बात को बहुत गम्भीरता से लिया था कि यह जो यूरिया और दूसरे केमिकल्स को मिला

करके जो नकली दूध बन रहा है, वह बड़े पैमाने पर हो रहा है और दूसरे प्रश्न के हवाले से कहा कि जो दुधारू मवेशियों की संख्या कम हो रही है लेकिन मूल बात यह सत्य है कि दूध नकली बनाने का आम तौर पर प्रचलन बहुत जोर से है और इसको रोकने की आवश्यकता भी उतनी ही है। इसको गम्भीरता से लिये जाने की आवश्यकता है। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं आपसे कि मा0 मंत्री जी ने यह आश्वासन दे दिया है लेकिन यह तो सतत् कार्यवाही है मान्यवर, यह कार्यवाही तो बनारस और मथुरा में भी सतत् चलती रहती है और विशेष तौर पर जिन त्योहारों के अवसर पर या शादी, ब्याह, लगन तथा शहालग के मौके पर जब खोया और दूध की मांग अचानक बढ़ जाती है, तब यह छापे विशेष तौर पर डालने की आवश्यकता होती है और यह छापे डाले जाते हैं और इस सरकार के लिए बड़ा बैनर और छोटा बैनर कोई भेद नहीं रखता और समान रूप से सब पर छापे डालकर के कार्यवाही की जायेगी, यह मा0 मंत्री जी ने आश्वस्त किया है, अब इस प्रश्न में कुछ नहीं बचता है।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब आप लोग बैठ जाएं, इस प्रश्न में कुछ बचा नहीं जब उन्होंने कह दिया कि सब करेंगे। आश्वासन दे दिया और अब क्या करेंगे। आप लोग बैठ जाएं आगे सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। चौधरी साहब, अब आप बस एक सवाल और पूछ लीजिए।

(श्री पूरन प्रकाश के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य आप बैठ जाएं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बुलाया है।

(श्री पूरन प्रकाश के बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

हां, चौधरी जी आपको बुलाया है, वह जबरदस्ती बोल रहे हैं। आप बोलिए।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि मंत्री जी की भावनाएं अच्छी हैं। मैं आपके माध्यम से यह जानना और बताना भी चाहता हूं कि अभी मा0 सदस्य ने कहा कि मथुरा-काशी, यह खाद्य अपमिश्रण हो, पेय पदार्थ हो या दूध हो तो क्या इनका खाली बनारस और मथुरा में ही प्रयोग होता है। मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित यह सवाल है। मैं इसे सीमित नहीं करना चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो घृणित कार्य हो रहा है, इसमें अधिकतम सजा क्या और क्या उस अधिकतम सजा के अनुसार आज तक किसी को सजा मिली है, यदि हां तो फिर उसकी संख्या क्या है ?

श्री अध्यक्ष-

इण्डियन पैनल कोड के अन्तर्गत यह सब कार्यवाही होती है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

उसमें मान्यवर, किसको कितनी सजा मिली है।

डा0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, इसमें मान्यवर, वर्ष 2012 में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अवधि जनवरी, 2012 से अप्रैल, 2012 तक मा0 न्यायालय द्वारा 217 व्यक्तियों को दण्डित किया गया तथा रु0 5687500/-अर्थदण्ड आरोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। अब आप बैठ जायें। हम अगला प्रश्न लेते हैं।

प्रदेश में सब्जियों को रंगकर बेचने एवं अधिक उपज बढ़ाने आक्सीटोसिन इन्जेक्शन लगाकर अधिक उपज बढ़ाये जाने की रोकथाम के उपाय

*2-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में सब्जियों को रंगकर बेचने तथा इनकी उपज अधिक व शीघ्र तैयार करने हेतु हारमोन्स की सुई लगाने का कारोबार खेत से लेकर सब्जी मण्डियों तक बड़े पैमाने पर किया जा रहा है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त प्रयोग हानिकारक है जिससे अनेक बीमारियां हो रही हैं ? यदि हां, तो इनके रोकथाम हेतु सरकार द्वारा क्या कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 वकार अहमद शाह-

समाचार माध्यमों से कभी-कभी संज्ञान में आता है कि सब्जियों की उपज बढ़ाने व शीघ्र तैयार कराने हेतु आक्सीटोसिन इन्जेक्शन का प्रयोग किया जा रहा है जिससे कैंसर, त्वचा रोग आदि बीमारियां हो रही हैं, परन्तु इससे सम्बन्धित कोई भी विशिष्ट प्रकरण शासन के संज्ञान में नहीं आया है।

दिनांक 05-08-2011 के पूर्व तक प्रभावी रहे खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली, 1955 तथा दिनांक 05-08-2011 से प्रभावी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम/विनियम, 2011 के प्राविधानों के अन्तर्गत सब्जियों को रंगना पूर्ण प्रतिबन्धित है। विभाग में कार्यरत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा वर्ष 2011 में सब्जियों के 2111 निरीक्षण तथा 123 छापे मारकर 32 नमूने संग्रहीत किये गये जिनमें से 03 नमूने अपमिश्रित पाये गये। अपमिश्रित पाये गये 03 नमूनों से सम्बन्धित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सक्षम न्यायालयों में वाद दाखिल करा दिये गये हैं। मौके पर दोषी पाये गये 01 व्यक्ति के विरुद्ध आई0पी0सी0 की धारा-272/273 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज कराकर कारागार में निरुद्ध कराया गया। वर्ष 2012 में माह अप्रैल तक सब्जियों के 331 निरीक्षण तथा 25 छापे मारकर 02 नमूने संग्रहीत किये गये, जिनमें से कोई नमूना अपमिश्रित नहीं पाया गया।

आक्सीटोसिन इन्जेक्शन का दुरुपयोग रोकने हेतु विभिन्न जनपदों में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अन्तर्गत दिनांक 01-04-2011 से 31-3-2012 तक 18 प्रथम सूचना

रिपोर्ट दर्ज कराते हुए 17 व्यक्तियों को गिरफ्तार कराया गया तथा रु0 2,33,100/-मूल्य का आक्सीटोसिन जब्त कराया गया है।

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम, 2011 की धारा-49 से 67 में विभिन्न प्रकृति के अपराधों के लिए अलग-अलग दण्डों का प्राविधान है, जिसमें रु0 25 हजार से लेकर 10 लाख तक के आर्थिक दण्ड तथा 06 माह से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

मान्यवर, उत्तर सार्थक है। इससे प्रतीत होता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इसके प्रति गम्भीर हैं। इस पर एक वृहद चर्चा की आवश्यकता है जो अधिनियम इसमें बताये गये हैं उनको प्रभावी ढंग से लागू करने की बात है।

डा0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, सरकार इसके प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है। किसी भी किस्म की मिलावट की कार्यवाही में मुरव्वत नहीं की जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

अब मैं अगला प्रश्न लेता हूं।

तारांकित प्रश्न

महंगाई को दृष्टिगत रखते हुए विकलांग पेंशन की धनराशि को बढ़ाये जाने की मांग

*1-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में महंगाई की दृष्टि से विकलांग पेंशन की धनराशि में बढ़ोत्तरी करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

जी हां।

विकलांग पेंशन में वृद्धि पर समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जा रही वृद्धावस्था पेंशन एवं विधवा पेंशन में वृद्धि के साथ-साथ ही विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को साधुवाद देना चाहता हूं कि इसमें सरकार ध्यान दे रही है और इनका उत्तर सकारात्मक दिशा में है। आपने वृद्धि की बात सोची है वह विचाराधीन है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह पेंशन समाज कल्याण विभाग से मिलती है या महिला कल्याण विभाग से मिलती है। यह कहां पर विचार हो रहा है ?

श्री बलराम यादव-

मान्यवर, इसमें वित्त विभाग से परामर्श लिया जा रहा है। मान्यवर, यह सरकार इस मत की है कि विगत सात वर्षों से इस पेंशन की राशि में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इस आवश्यकता को समझते हुए निकट भविष्य में निर्णय होगा।

मरीजों की बढ़ती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ में बेड्स व स्टाफ बढ़ाये जाने की मांग

*2-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सुपर स्पेशियलटी अस्पतालों में बढ़ते हुये मरीजों की संख्या देखकर उनमें और अधिक बेड बढ़ायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार को जानकारी है कि एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 लखनऊ में लक्ष्य के अनुसार बेड्स व स्टाफ की संख्या नहीं होने के कारण बिना इलाज के मरीज लौटाया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 लखनऊ में बेड्स व स्टाफ की बढ़ोत्तरी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 वकार अहमद शाह-

प्रदेश में बढ़ती हुई मरीजों की संख्या को देखते हुए ही एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 के समान लखनऊ में डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ संचालित किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

एस0 जी0 पी0 जी0 आई0, लखनऊ के कतिपय विभागों में जो अधिकतर पूर्ण रूप से भरे रहते हैं, बेड खाली होने पर ओ0पी0डी0 तथा इमरजेन्सी दोनों के द्वारा रोगी भर्ती किये जाते हैं, उनकी गम्भीर बीमारी को देखते हुए वहीं पर उनका इलाज शुरू कर दिया जाता है। उपरोक्त व्यवस्था के उपरान्त कभी-कभी यदि वार्ड में शैय्या उपलब्ध नहीं हो पाती है तो उन रोगियों को आपातकालीन उपचार के पश्चात् रोगी के हित को ध्यान में रखते हुए अन्य चिकित्सालयों जहां उक्त रोगी के इलाज की सुविधा उपलब्ध हो, मैं जाने की सलाह दी जाती है।

संस्थान एक शैक्षणिक संस्थान है, अतः इसमें शैय्याओं का निर्धारण संचालित पाठ्यक्रमों के आधार पर मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया के मानक के अनुसार किया जाता है। मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए एस0जी0पी0जी0आई0 के समान लखनऊ में डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ संचालित किया जा रहा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रदेश में खास तौर से सदन में जितने लोग यहां पर बैठे हैं वह सभी लोग किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में इस समस्या से पीड़ित है। जो मैंने आपके सामने सदन के सामने उठाया है मान्यवर, आप उत्तर देख लें, उत्तर के पहले पार्ट में यह एक्सेप्ट किया गया है कि मरीजों की संख्या बढ़ रही है लेकिन जब मैंने यह पूछा कि यदि हां, तो कब तक तो

उसका जवाब आया प्रश्न नहीं उठता इसका जवाब यह होना चाहिए था उपरोक्तानुसार। मान्यवर, यह अपने आप में कमी है। दूसरी बात जब एस0जी0पी0जी0आई0 बना था उस समय 1700 बेड्स का एस0जी0पी0जी0आई0 इनीशियेट होना था। 1700 बेड्स का सब लोग मानते हैं यहां से लेकर चीफ सेक्रेट्री तक इस बात को मानते हैं जो वहां ही कमेटी के अध्यक्ष हैं और डायरेक्टर भी मानते हैं लेकिन 5 एस0जी0पी0जी0आई0 के डाक्टर्स खाली अपनी बात तो करते हैं कि हमें विदेश का दौरा हो जाय या हम इसका ज्ञान प्राप्त कर लें या हम पी0जी0 कर लें या हम वहां से जाकर कुछ सीख आयें लेकिन मान्यवर, बेड्स बढ़ाने के नाम पर चुप हो जाते हैं आज सबसे बड़ी आवश्यकता है एस0जी0पी0जी0आई0 में बेड्स बढ़ाने की। इनीशियेट जब हुआ था तो मान्यवर, वह 1700 बेड्स आज भी फंक्शनल नहीं है 1000 से लेकर 1100 फंक्शनल है। मान्यवर, आज बहुत बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि एस0जी0पी0जी0आई0 में बेड्स बढ़ाये जायें। वहां पर पैरा मेडिकल स्टाफ बढ़ाया जाय। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि आखिर वह कौन सी परिस्थिति थी जिसने 1700 बेड्स को कम करके 1000 बेड्स पर ही विराम लगाने के लिए इस सरकार को मजबूर कर दिया। क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि जो ओरिजनल विचार एस0जी0पी0जी0आई0 बनाने के वक्त था, 1700 बेड्स को फंक्शनल करेंगे यह मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

डा0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, एस0जी0पी0जी0आई0 का जहां तक सवाल है यह शिक्षण संस्थान है, मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया के मानक के हिसाब से ही इसमें बेड्स बढ़ाये जा सकते हैं और उसी हिसाब से इन्फ्रास्ट्रक्चर शिक्षक, नर्सेज यह सब किया जा सकता है। इसी के समकक्ष राम मनोहर लोहिया हमारा सुपर स्पेशिलिटी हास्पिटल बन गया, कैंसर का हमारा बन रहा है, विभिन्न जगहों पर हम लोग सुपर स्पेशिलिटी हास्पिटल बना रहे हैं इसलिए एस0जी0पी0जी0आई0 में बेड्स बढ़ाने का कोई अभी औचित्य नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैंने सवाल पूछा था कि जब माननीय मंत्री जी मानते हैं कि रोगियों की संख्या बढ़ रही है तो यह प्रश्न नहीं उठता यह उत्तर काहे आया। मान्यवर, आप कृपापूर्वक यह विचार करें कि इस सदन के और भूतपूर्व एम0एल0ए0 हैं। जब मान्यवर, अस्वस्थ होते हैं तो एस0जी0पी0जी0आई0 में भर्ती होते हैं आप कृपापूर्वक वहां पर पैसा देते हैं और उससे उनका इलाज होता है और 3-3, 4-4 दिन इमरजेन्सी में पेशेन्ट पड़े रहते हैं, उसके बाद उनसे कह देना कि बेड्स नहीं हैं। मान्यवर, बाहर जो सहारा वगैरा है यह अस्पताल बहुत मंहगे हैं। यह सबके एफोर्ड करने लायक नहीं हैं तो मैं विनम्रतापूर्वक आपसे इस बात का आग्रह करना चाहता हूं। मैं मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया को चैलेन्ज नहीं करना चाहता। मान्यवर, आप पता कर लें कि वह कौन सी मजबूरी है जो 1700 से कम करके 1100 बेड पर रोक दिया गया। माननीय मंत्री जी ने जो विभाग का उत्तर था, उसी को दोहरा दिया। कम से कम इस पर संवेदनशीलता यह दिखाना चाहिये कि बेड्स बढ़ाना कोई ऐसी चीज नहीं कि हम सुविधा मांग रहे हैं, यह कोई अपने लिये नहीं मांग रहे हैं या केवल शाहजहांपुर वालों के लिये नहीं मांग रहे हैं बल्कि पूरे प्रदेश का हित इसमें है। आपके पास केवल एक सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल

है, उसमें भी जो ओरीजनल विचार था, उससे भी मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया का सहारा लेकर घटा दिया गया। मेरा कहना है कि 1700 बेड का अस्पताल फंक्शनल होना चाहिये, यह मान्यवर, लिखा हुआ है, जब विचार हुआ था, उनकी प्रोसीडिंग में लिखा हुआ है, शुरू से ही यह विचार था, लेकिन बाद में रोक दिया गया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इस पर फिर से विचार कर लें और जो ओरीजनल विचार था कि 1700 बेड को फंक्शनल करेंगे, उस विचार को ही कायम रखें यह मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चाहता हूं, इस पर फिर से विचार कर लें।

डा0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, माननीय सदस्य महोदय की चिन्ता सही है लेकिन जब उसकी बराबरी के उसके लेविल के सुपर स्पेशियलटी हास्पिटल हम खोल रहे हैं जैसे राम मनोहर लोहिया सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल खुल गया है तो फिर इन्हें पी0जी0आई0 से क्या मतलब। मरीज को वह सुविधा कई जगह मिल सकती है तो केवल पी0जी0आई0 ही क्यों ? पी0जी0आई0 पर इतना लोड है कि उस लोड को कहीं न कहीं बांटना पड़ेगा। बिना लोड बांटे हम उसको पूरा नहीं कर पायेंगे।

श्री धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, एस0जी0पी0जी0आई0 में सम्पूर्ण देश से मरीज आते हैं। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि एस0जी0पी0जी0आई0 ओवरलोड हो रहा है। माननीय खन्ना जी ने यही प्रश्न किया है कि जब ओवरलोड हो रहा है इसलिये मरीजों को सुविधा मिले, इसलिये बेड बढ़ाने की प्रक्रिया को लागू किया जाये, अध्यक्ष जी, यह एक गम्भीर प्रश्न है। मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूं कि बेड बढ़ाने की अनुशंसा आप देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य जी, माननीय मंत्री जी ने बता दिया कि वह शिक्षण संस्थान हैं, उसमें बेड बढ़ाने के लिये जो इण्डियन मेडिकल काउन्सिल है वह अनुमति देती है। वहां शिक्षण कार्य भी होता है और बता रहे हैं कि वहां लोड भी ज्यादा है, उस लोड को कम करने के लिये अलग से स्पेशियलिटी वाला अस्पताल डा0 राम मनोहर लोहिया बनाया जा रहा है जो जल्दी बन जायेगा इसलिये उनका कहना है कि एस0जी0पी0जी0आई0 में बेड बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। अब प्रश्न समाप्त हुए।

*3-श्री सतीश महाना-

[मा0 उच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

अतारांकित प्रश्न

गोरखपुर मेडिकल कालेज को आवश्यकताओं के अनुरूप उच्चीकृत कराये जाने की मांग

1-श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेडिकल कालेज गोरखपुर वर्तमान में आवश्यकताओं के अनुरूप सुसज्जित है ? क्या सरकार इसके भवन, उपकरण, वार्ड, सर्जरी, अनुसंधान, शोध, तकनीक एवं उपचार व्यवस्था को और उच्चीकृत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :-नत्थी 'ग' के तारांकित प्रश्न संख्या-2 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी हां।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर के बाबूपुरवा के श्रम विभाग की कालोनी के क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत कार्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में जानकारी

2-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री को जानकारी है कि कानपुर नगर की बाबूपुरवा कालोनी जो श्रम विभाग की है, में रहने वालों के क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत का कार्य नहीं किया जा रहा है और यदि कोई अध्यासी व्यक्तिगत खर्चे पर मरम्मत करवाता है तो उसे भी रोका जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आवास में रहने वालों को सुरक्षा की दृष्टि से उनके व्यक्तिगत खर्चे पर मरम्मत कराने की अनुमति प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)-

जी नहीं।

यदि कोई अध्यासी मरम्मत कार्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु आवेदन करता है तो उसे उक्त आवास के मूल स्वरूप में परिवर्तन न करने तथा अवैध निर्माण न करने की शर्त पर मरम्मत कराने की अनुमति स्थानीय स्तर पर प्रदान की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के बाबूपुरवा श्रम विभाग की कालोनी के मृतक आश्रितों को आवास आवंटित कर किराया जमा कराये जाने की मांग

3-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के अन्तर्गत बाबूपुरवा क्षेत्र के श्रम विभाग की कालोनियों का मासिक किराया श्रम विभाग में जमा कराया जाता था, परन्तु विगत 12-13 वर्षों से उन कालोनी के आवंटियों की मृत्यु के पश्चात् आवंटियों के आश्रितों का मासिक किराया जमा नहीं करवाया जा रहा है जबकि आश्रितों के पास रहने के लिये दूसरा आवास भी नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनके आश्रितों को आवास आवंटित कर नियमित रूप से किराया जमा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 वकार अहमद शाह-

जी हां।

शासनादेश दिनांक 12-5-1995 द्वारा विनियमितीकरण की प्रक्रिया बन्द होने के कारण ऐसे मृतक अध्यासियों के नाम से किराया तब तक जमा नहीं किया जा सकता है जब तक उनके पात्र आश्रितों के नाम प्रश्नगत आवास का विनियमितीकरण न हो जाए।

प्रश्न नहीं उठता।

4-श्री सुदेश शर्मा-

[एक से अधिक विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

लखनऊ महानगर बस सेवा में बसें बढ़ाये जाने की मांग

5-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय प्रबन्धक, महानगर बस सेवा, लखनऊ को महानगर बस सेवा की रूट नं0-44 डी की बसें बढ़ाये जाने हेतु आप द्वारा दिनांक 23 अगस्त, 2011 को आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश का अनुपालन करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह)-

जी नहीं। रूट नं0-44 डी0 चारबाग से शकुन्तला पुनर्वास विश्वविद्यालय वाया अवध हास्पिटल मार्ग पर एक बस का संचालन किया जा रहा है। जिसका वर्तमान में लोडफैक्टर 41 प्रतिशत प्राप्त हो रहा है।

कम लोडफैक्टर पर बसों की संख्या को बढ़ाना निगम हित में नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत के राजकीय परिवहन निगम के डिपो एवं वर्कशाप के निर्माण का कथित प्रस्ताव

6-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-पीलीभीत के बीसलपुर में राजकीय परिवहन निगम का डिपो एवं वर्कशाप निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृत है ? यदि हां, तो इस हेतु कितना धन स्वीकृत/अवमुक्त हुआ है और निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

7-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद मथुरा के मध्य स्थित बस स्टैण्ड की मरम्मत कराये जाने की मांग

8-श्री पूरन प्रकाश-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मथुरा के अन्तर्गत मथुरा-आगरा के मध्य स्थित बस स्टैण्ड तथा फरह का स्टैण्ड जीर्ण-शीर्ण हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी मरम्मत कराकर ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर के नेशनल हाई-वे पर रोडवेज बस अड्डे का निर्माण कराये जाने की मांग

9-श्री संजय कपूर-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर की उत्तरांचल राज्य से सटी तहसील विलासपुर में नेशनल हाई-वे नं0-87 पर सरकार द्वारा स्वीकृत रोडवेज के बस स्टेशन की बिल्डिंग का निर्माण न होने से जनता को बहुत समस्या हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रोडवेज बस अड्डे का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी हां। बस स्टेशन अस्थायी रूप से संचालित है।

उपयुक्त भूमि उपलब्ध होने पर बस अड्डे का निर्माण किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

10-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[1ले सोमवार के अता0 प्रश्न सं0-83 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में प्रस्तावित बहुआयामी चिकित्सा आयुर्विज्ञान संस्थानों का निर्माण होने के सम्बन्ध में जानकारी

11-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देश में प्रस्तावित बहुआयामी चिकित्सा आयुर्विज्ञान संस्थानों में से क्या किसी संस्थान का निर्माण प्रदेश में कहीं होना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो वह कहां पर प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जनपद रायबरेली में।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नकली दवाइयों की बिक्री को रोकने के उपाय

12-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में नकली दवाइयों की बिक्री हो रही है ? यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश में नकली, अधोमानक मिथ्याछाप औषधियों के निर्माण एवं विक्रय के रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने तथा इस सम्बन्ध में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली, 1945 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग का गठन दिनांक 30-7-09 को किया गया है। नकली, अधोमानक मिथ्याछाप औषधियों के निर्माण एवं विक्रय के रोकथाम हेतु मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त के अधीन सहायक आयुक्त (औषधि) व जनपद स्तर पर जिलाधिकारी के अधीन औषधि निरीक्षक तैनात होते हैं। इसके अतिरिक्त कार्यालय आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0 प्र0, लखनऊ के अधीन एक टास्कफोर्स भी गठित है। जिसके प्रभारी अपर पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अपर आयुक्त (अभिसूचना/प्रवर्तन) है। नैत्यिक निरीक्षण के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार पुलिस/प्रशासन के सहयोग से टीम के माध्यम से औषधि विक्रय/निर्माण प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर नमूने एकत्रित कर उनकी जांच कराई जाती है और नमूनों के अपमिश्रित, अधोमानक अथवा नकली पाये जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध कार्यवाही कराई जाती है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के गठन से लेकर माह मार्च, 2012 तक की अवधि में कुल 4657 छापे डालकर 9482 नमूने लिये गये जिनमें से 67 नमूने नकली व 419 नमूने अधोमानक पाये गये। इसके लिए दोषी के विरुद्ध 353 वाद पंजीकृत कराये गये एवं 495 मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए 504 व्यक्तियों को गिरफ्तार कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया में मेडिकल कालेज या एम्स अस्पताल खोले जाने की मांग

13-श्री उमाशंकर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बलिया में कोई बड़ा हास्पिटल न होने एवं इलाज की कोई समुचित व्यवस्था न होने के कारण आम जनता को कठिनाई होती है एवं समुचित इलाज नहीं मिल पाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां पर मेडिकल कालेज या एम्स अस्पताल खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद बलिया में महिला एवं पुरुष जिला अस्पताल संचालित है, फिर भी आम जनता को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके, इस हेतु आजमगढ़ मण्डल, जिसमें जनपद बलिया भी आता है, के जनपद आजमगढ़ में 300 शैय्या के चिकित्सालय के साथ एक मेडिकल कालेज की स्थापना की जा रही है जिसमें वर्तमान में ओ0पी0डी0 सेवायें संचालित की जा रही हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रबुद्धनगर के कतिपय थाना भवन मार्ग पर डग्गामार वाहनों के संचालन का कथित प्रकरण

14-श्री सुरेश राणा-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रबुद्धनगर के थानाभवन-शामली, थानाभवन-ऊन मार्ग पर बिना परमिट व बिना सरकारी टैक्स दिये भारी संख्या में अवैध रूप से डग्गामार वाहन संचालित होते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार राजस्व हानि रोकने हेतु कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में एम्स की तरह अस्पताल खुलवाये जाने की विचाराधीन कार्यवाही

15-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पिछले तीन वर्षों से एम्स की तरह एक बड़ा अस्पताल स्वीकृत होने के बाद भी स्थापित नहीं हो सका है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उसका स्थान निश्चित कर अस्पताल खुलवाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

भारत सरकार से एतद्विषयक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

जनपद रायबरेली में स्थान चिन्हित करने की कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अमरनाथ मिश्र तथा श्री रामचरण सिंह के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

अब मैं निधन के निर्देश ले रहा हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अमरनाथ मिश्र का 3 जनवरी, 2012 को निधन हो गया। श्री अमरनाथ मिश्र वर्ष 1957 में निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज तत्कालीन जिला गोरखपुर से स्वतंत्र प्रगतिशील विधान मण्डलीय दल से निर्वाचित हुए थे। श्री अमरनाथ मिश्र एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वे एक कुशल सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता थे तथा अपने क्षेत्र के उत्थान के लिये सदैव प्रयत्नशील रहते थे। समाज सेवा में उनकी रुचि थी। श्री अमरनाथ मिश्र के निधन से प्रदेश ने एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री राम चरण सिंह का 1 जून, 2012 को निधन हो गया। वे लगभग 78 वर्ष के थे। श्री राम चरण सिंह का जन्म 1 जनवरी, 1934 को ग्राम कोलना, जिला मीरजापुर में हुआ था। उन्होंने इण्टरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री राम चरण सिंह वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र राजगढ़, जिला मीरजापुर से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य

निर्वाचित हुए थे। श्री राम चरण सिंह वर्ष 1970 से 1980 तक ग्राम सेमरा, मीरजापुर के प्रधान रहे थे। वे जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, मीरजापुर के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ के संचालक, यू0पी0 श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड, लखनऊ के प्रतिनिधि तथा उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण मजदूर कांग्रेस, मिर्जापुर के संयोजक रहे थे। वे कई शिक्षण संस्थाओं से जुड़े रहे। जन सेवा, कृषि सम्बन्धी कार्यों तथा विचार गोष्ठी में उनकी विशेष रुचि थी। श्री राम चरण सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

इन माननीय पूर्व सदस्यगण, विधान सभा के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शान्ति प्रदान करे तथा उनके शोक-संतृप्त परिवारों को यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं इस सदन में व्यक्त शोक संवेदनायें मृतकों के शोकाकुल परिवारों तक पहुंचा दूंगा। अब हम आपसे आग्रह करते हैं कि दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिये दो मिनट का मौन रखें।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए।)

माननीय सदस्य, कृपया आसन ग्रहण करें।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 08 जून, 2012 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 28 सूचनाएं प्राप्त हुईं। जिसमें 17 सूचनाएं स्वीकार की गई हैं। पहली सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की इलाहाबाद के म्योराबाद, कटरा सहित कतिपय मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में मौसम बदलते ही फैली हुई गन्दगी एवं नालियों के टूटे-फूटे होने की वजह से बिमारियां फैलने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री शारदा प्रताप शुक्ला की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर में बने अमौसी एअरपोर्ट के लिये ली गई भूमि का उचित मुआवजा न दिये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री राम चन्द्र यादव की (माननीय सदस्य के सदन में अनुपस्थित रहने पर), चौथी सूचना सुश्री सावित्री बाई फूले की नेपाल सीमा पर स्थित जनपद बहराइच के सीमावर्ती कस्बों में हो रही खाद्यान्न तस्करी के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्री सुभाष पासी की विधान सभा क्षेत्र सैदपुर, जनपद गाजीपुर अन्तर्गत राजकीय बालिका इण्टर कालेज को संचालित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। छठी सूचना श्रीमती विमला सिंह सोलंकी की जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद नगर के आस-पास बसी कालोनियों में मूलभूत सुविधायें विकसित करने तथा उनकों नगर पालिका परिषद् सिकन्दराबाद में शामिल करने के सम्बन्ध में है सातवीं सूचना श्री ललितेश पति त्रिपाठी की जनपद मिर्जापुर के मड़िहान क्षेत्र में सिंचाई के साधनों का अभाव एवं वाटर लेवल नीचे होने के कारण होने वाली पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री विजय कुमार दुबे की जनपद कुशीनगर के खड्डा एवं कोटवा विद्युत उपखण्ड अन्तर्गत ग्राम सभाओं में लगे जर्जर तारों एवं लकड़ी के पोलों को बदलवाये जाने के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना श्री कमाल यूसुफ मलिक की जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज विधान सभा क्षेत्र के तहसील बांसी, विकास खण्ड-मिठवल के ग्राम मसिना खास में 33/11 का विद्युत सब- स्टेशन स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना श्री आलमबदी की तहबरपुर ब्लाक जनपद आजमगढ़ के दो मुख्य बाजारों की पूरी लम्बाई में उखड़ी हुई सड़कों के नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

ग्यारहवीं सूचना श्री भीम प्रसाद सोनकर की क्रय-विक्रय समिति उत्तमनगर मेरठ को गलत तरीके से निरस्त कर दुकानदार को परेशान किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना श्री श्याम बहादुर सिंह यादव की जिला आजमगढ़ के निर्वाचन क्षेत्र फूलपुर में मण्डी की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में है (यह सूचना मा0 सदस्य द्वारा सदन में पढ़ी गयी)। तेरहवीं सूचना श्री विजय कुमार की जनपद कुशीनगर स्थित भगवान बुद्ध की जन्म स्थली कपिलवस्तु को पर्यटन स्थल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में है। चौदहवीं सूचना श्री जय प्रकाश निषाद की जिला गोरखपुर में निषाद समाज के लोगों का उत्पीड़न एवं शोषण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। पन्द्रहवीं सूचना श्री राजेन्द्र उर्फ ब्रजेश सिंह की निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित पावर प्लान्टों द्वारा 5 कि0मी0 के अन्दर विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में है। सोलहवीं सूचना श्री वेदराम भाटी की है, जिन्होंने जनपद अलीगढ़ के जट्टारी कस्बे में निगुना ग्राम में निर्माणाधीन विद्युत लाइन के कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में दी है। सत्रहवीं सूचना श्री मदन चौहान की है, इन्होंने जनपद पंचशील नगर के गढ़मुक्तेश्वर के ग्राम कनिया थाना बाबूगढ़ के अन्तर्गत सुरजन नामक व्यक्ति की हत्या को लेकर हुए विवाद में निर्दोष लोगों का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में दी।।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं :-

श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री बजरंग बहादुर सिंह, साध्वी निरंजन ज्योति, श्री प्रदीप चौधरी, श्री सुल्तान बेग, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री काली चरन सुमन, श्री नितिन अग्रवाल, श्री पंकज कुमार मलिक और श्री गोरख पासवान।

श्री नितिन अग्रवाल-

मान्यवर, मेरा जनपद बाढ़ प्रवाहित जनपद है। बहुत सेंसटिव इश्यू है, कृपया आप मेरी नियम-301 की सूचना स्वीकार कर लें। एक उपखण्ड की मांग मैंने सरकार से की है कि एक बाढ़ नियंत्रण उपखण्ड जनपद हरदोई में स्थापित कर दिया जाए, चूंकि मानसून भी आ रहा है।

श्री अध्यक्ष-

आप इसको दूसरे ढंग से नियमों में लाइये। अभी जब बजट भाषण होगा तब आप कह लीजिएगा।

इलाहाबाद के म्योराबाद, कटरा सहित कतिपय मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में मौसम बदलते ही फैली हुई गन्दगी एवं नालियों के टूटे-फूटे होने की बजह से बिमारियां फैलने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

[महोदय, इलाहाबाद के म्योराबाद, कटरा मिशन कंपाउड, ऊंचाहार बंधवा (हीरा हलवाई सिविल लांइस के पीछे) इसाई अल्पसंख्यक बाहुल्य तथा कटरा-बरिन्तपारी, कर्नलगंज, बूचड़खाना, सादियाबाद, लाला की सर्रैयां, बक्शी कलां दारागंज, छोटी बक्शी दारागंज, कर्नलगंज-राम बाटिका तथा इंडियन प्रेस के पास, बेलीगांव ऊंचवागढ़ी तथा राजापुर मस्जिद के पास मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। यहां की गलियां खड़ंजा, ऊबड़-खाबड़, नालियां टूटी-फूटी व ध्वस्त है। कहीं-कहीं पर जल निकासी की व्यवस्था भी नहीं होने से गलियों मे गंदा पानी इधर-उधर फैला रहता है। नागरिक सुविधाओं के अभाव

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

में चारों ओर गंदगी का साम्राज्य रहता है। मौसम बदलते ही बीमारियां अपना पांव पसारने लगती है। हैजा, कालरा, मलेरिया, डेंगू आदि बीमारियों से प्रतिवर्ष हजारों लोग पीड़ित होते हैं। नागरिक सुविधाओं के अभाव से इन मुहल्लों में लोगों का चलना-फिरना दुष्कर है। समय-समय पर लोगों का आक्रोश फूटता रहता है। नागरिक सुविधाओं के विकास हेतु अल्पसंख्यक तथा मलिन बस्तियों को प्राथमिकता देने का शासन बराबर घोषणा करती रहती है। बरसात आने वाली है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय को सदन के संज्ञान में लाकर तत्काल अल्पसंख्यक बाहुल्य वाले उक्त क्षेत्रों की गलियों में सी0सी0/इंटरलांकिंग तथा जल निकासी हेतु नालियों का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर में बने अमौसी एयरपोर्ट के लिये ली गई भूमि का उचित मुआवजा न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शारदा प्रताप शुक्ला-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व से विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर में बना अमौसी एयरपोर्ट (चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट) में ग्राम बेहसा, फर्रूखाबाद, चिल्लावां, औरंगाबाद, जागीर, गेन्दन खेड़ा, अमौसी, रहीमाबाद, भक्तीखेड़ा, बिजनौर, गोड़ौरा, छुहराखेड़ा आदि गांवों के किसानों ने आन्दोलन किया था जिसके तहत अपनी भूमि पर काबिज रहकर खेती करते चले आ रहे हैं। परन्तु उक्त जमीन का गजट नोटीफिकेशन नहीं किया गया और मुआवजा भी नहीं दिया गया। एयरपोर्ट अथारिटी द्वारा उक्त जमीन जबरन लिये जाने की कोशिश की जा रही है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के तीसरे टर्मिनल के उद्घाटन समारोह दिनांक 19-5-2012 में माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि बेहसा आदि प्रभावित ग्रामों को लोहिया ग्राम घोषित करके समस्त आवश्यक सुविधायें सरकार द्वारा मुहैया करायी जायेगी और किसानों की जिस भूमि पर खेती की जा रही है उसका भी समाधान कराया जायेगा। मैं चाहूंगा कि किसानों की जमीन पर एयरपोर्ट बना है उनको पर्याप्त मुआवजा दिलाया जाय और परिवार के एक-एक सदस्य को एअरपोर्ट में नौकरी तथा एक-एक आवासीय भू-खण्ड भी दिया जाय और प्रभावित गांवों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ा जाय। यह जनहित का एवं लोक महत्व का अविलम्बनीय विषय है।

अतः इस पर तत्काल कार्यवाही किये जाने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करता हूं।]

नेपाल सीमा पर स्थित जनपद बहराइच के सीमावर्ती कस्बों में हो रही खाद्यान्न तस्करी के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

सुश्री सवित्री बाई फूले-

[महोदय, विधान सभा क्षेत्र बलहा जनपद बहराइच के नेपाल सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है। नेपाल सीमा पर स्थित जनपद बहराइच का रूपईडीहा कस्बा, बलई गांव बाजार एवं बिछिया आदि

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कस्बेविगत कई वर्षो से अपराध एवं तस्करी के केन्द्र बन गये हैं। जहां खुलेआम अधिकारियों के संरक्षण में तस्करी एवं तस्करखोरों को बढ़ावा मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर नेपाल के माओवादियों से इन तस्करों की साझेदारी होती है ? इनका प्रभाव इतना अधिक है कि इनके प्रभाव में सीमावर्ती क्षेत्र के व्यापारी भी आ जाते हैं। दूसरी ओर भारतीय अर्थव्यवस्था को नकली नोटों के माध्यम से इन तस्करों द्वारा बराबर कमजोर किया जा रहा है और यहां पर नेपाल के नागरिकों द्वारा सीमा पर दुकानें खोलकर भारत के विभिन्न शहरों से खाद्यान्न मंगा कर नेपाल को तस्करी किया जाता है। मान्यवर, कई बार आतंकवादी नेपाल सीमा को पार करके भारत में प्रवेश कर जाते हैं और कुछ दिन पूर्व ऐसे ही आतंकवादी को बाबागंज रेलवे स्टेशन पर एस0एस0बी0 द्वारा पकड़ा गया था।

मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए नेपाल सीमा से हो रही आतंकी गतिविधियों के रोकथाम हेतु कारगर कदम उठाए जाने की मांग करती हूं।]

विधान सभा क्षेत्र सैदपुर, जनपद गाजीपुर अन्तर्गत राजकीय बालिका इण्टर कालेज को संचालित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुभाष पासी-

[महोदय, मैं आपके माधम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गंभीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र सैदपुर, जनपद-गाजीपुर अन्तर्गत राजकीय बालिका इण्टर कालेज जो 21 अगस्त्, 2000 दिन सोमवार को माननीय डा0 महेनद्रनाथ पाण्डेय,, पंचायती राज मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के कर कमलों द्वारा शिलान्यास होकर बन्द पड़ा है। उक्त विद्यालय लगभग 2 करोड़ की लागत से निर्मित कराया गया है जिसको संचालित न किये जाने से स्थानीय लोगों में काफी रोष व्याप्त है। उक्त विद्यालय में आज तक न तो अध्यापकों की नियुक्ति की गयी है जिसे स्थानीय लोगों के बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। यह जनहित का लोक महत्व का गंभीर विषय है। मैं चाहता हूं कि वर्तमान सरकार में उक्त विद्यालय को तत्काल संचालित किया जाय।

अतः इस लोक महत्व की गंभीर विषय को सरकार के संज्ञान में लाते हुए तत्काल उक्त विद्यालय में अध्यापकों की तैनाती करके स्थानीय लोगों के बच्चों को शिक्षा की सुविधा दिलाये जाने हेतु कार्यवाही किये जाने एवं वक्तव्य दिये जाने हेतु सरकार से मांग करता हूं।]

जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद नगर के आस-पास बसी कालोनियों में मूलभूत सुविधायें विकसित करने तथा उनको नगर पालिका परिषद् सिकन्दराबाद में शामिल करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विमला सिंह सोलंकी-

[महोदय, जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद नगर में एस0डी0एम0 कालोनी, टीचर्स कालोनी, ज्ञानलोक कालोनी, शिव विहार कालोनी, शिव नगर कालोनी, थान सिंह नगर, सलैमपुर रोड आदि कालोनियां वर्षों पहले बस चुकी हैं। लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से अभी भी देहात क्षेत्र में

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लगती हैं। बार-बार नगरपालिका सिकन्दराबाद द्वारा प्रस्ताव पारित करने तथा शासन को भेजने के उपरान्त भी इन कालोनियों को सिकन्दराबाद नगरपालिका में शामिल नहीं किया गया है। इन कालोनियों में लगभग 50,000 की जनसंख्या निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्र में लगने के कारण इन कालोनियों में मूलभूत सुविधाओं का विकास अभी तक नहीं हो पाया है। इन कालोनियों में गंदे पानी की जल निकासी की सुविधा न होने के कारण जल भराव की समस्या हमेशा रहती है। जल भराव तथा गन्दगी होने के कारण अनेक गंभीर बीमारियां फैलती रहती हैं। इन कालोनियों में सड़कें तथा नालियां नहीं बन पाई हैं। इन कालोनियों में अभी तक विद्युतीकरण भी नहीं हो पाया है। इन समस्याओं के कारण यहां के निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा इनका जीवन नरकीय हो गया है। इन कालोनियों में मूलभूत सुविधाएं विकसित कराने हेतु इन्हें नगरपालिका परिषद् सिकन्दराबाद की सीमा में शामिल करना अत्यन्त आवश्यक है।

लोकमहत्व के इस अवलिम्बनीय प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करती हूं।]

जनपद मिर्जापुर के मड़िहान क्षेत्र में सिंचाई के साधनों का अभाव एवं वाटर लेवल नीचे होने के कारण होने वाली पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में नियम-301 अन्तर्गत सूचना

श्री ललितेश पति त्रिपाठी-

[जनपद मिर्जापुर के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र मड़िहान अत्यन्त पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जहां की भूमि ऊंची-नीची है, विषम भौगोलिक स्थिति के कारण यहां के निवासियों को विभिन्न प्रकार की परेशानी होती है। प्रमुख रूप से सिंचाई के साधनों का अभाव होने के कारण किसान ठीक ढंग से खेती नहीं कर पाते है जिससे उनके सामने भरण-पोषण की समस्या बनी हुई है। इसके साथ ही साथ वाटर लेवल नीचे होने के कारण एवं नदी का समीपवर्ती क्षेत्र होने के कारण निजी हैण्ड पाईपों एवं कुओं द्वारा लोगों को पीने के लिये पानी भी नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र के निवासी एक ओर सिंचाई न कर पाने के कारण सही ढंग से कृषि कार्य नहीं कर पा रहे है तो दूसरी तरफ उनको पेयजल भी नहीं मिल पा रहा है। अभी तक प्रदेश सरकार द्वारा कोई ठोस कार्यवाही न होने से किसानों के सामने विषम स्थिति बनी हुई है और उनमें रोष तथा चिन्ता व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर के खड्डा एवं कोटवा विद्युत उपखण्ड अन्तर्गत ग्राम सभाओं में लगे जर्जर तारों एवं लकड़ी के पोलों को बदलवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय कुमार दूबे-

[कुशीनगर जनपद के खड्डा एवं कोटवा विद्युत उपखण्ड अन्तर्गत ग्राम सभाओं तक गये 11000 वोल्ट की हाईटेंशन लाइन के जर्जर तार टूटने से एवं इसमें प्रयुक्त लकड़ी के जर्जर पोलों के ढहने से विगत दो वर्षों में हुए दुर्घटना में दर्जनों इन्सानी एवं दर्जनों जानवरों को असमय मौत

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

का कारण बना है। ऐसे ही तमाम मौतें वर्ष दर वर्ष लकड़ी के जर्जर पोल एवं जर्जर तार के सहारे 11000 वोल्ट (हाईटेंशन) विद्युत आपूर्ति कारण बनते है।

खड्डा एवं कोटवा उपकेन्द्र अन्तर्गत नौगांवा से सिसवनियां, सिरसियां बुजुर्ग से परसियां, छितौनी, चखनी, भोजछपरा, भुजौली आदि दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां आज भी जर्जर लकड़ी के पोलों एवं जर्जर तारों के सहारे 11000 वोल्ट की लाइनें मौत का दावत देने के लिए तैयार है।

बरसात के पहले लकड़ी के पोल के बदले आर0सी0सी0 पोल एवं पुराने जर्जर तार के बदले नये तार लगाना जनहित में शीघ्र अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज विधान सभा क्षेत्र के तहसील बासी, विकास खण्ड मिठवल के ग्राम मसिना खास मे 33/11 का विद्युत सब-स्टेशन स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कमाल यूसुफ मलिक-

[मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के विकास खण्ड-मिठवल में ग्राम मसिना खास में एक विद्युत सब-स्टेशन की स्थापना किया जाना आवश्यक है क्योंकि यह क्षेत्र भौगोलिक रूप से काफी बड़ा है। जो सब-स्टेशन हैं उसकी क्षमता भी काफी कम है वर्ष 2002 से 2007 तक में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना होने के नाते काफी भार बढ़ा हुआ है तथा भविष्य में जो ग्राम दूसरे चरण में विद्युतीकरण होगें तो भार और बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में 33/11 का एक सब-स्टेशन का निर्माण कराया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः आप के माध्यम से इस लोक महत्व के प्रकरण पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि लोकप्रिय सरकार तत्काल 33/11 का विद्युत सब-स्टेशन स्थापित किये जाने की कृपा करें।]

तहवरपुर ब्लाक जनपद आजमगढ़ के दो मुठरा बाजारों की पूरी लम्बाई में उखड़ी हुई सड़कों के नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियय-301 अन्तर्गत सूचना

श्री आलम बदी-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से मा0 लोक निर्माण विभाग मंत्री जी का ध्यान निम्नलिखित अपने निर्वाचन क्षेत्र 348 निजामाबाद के अति आवश्यक समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र के ब्लाक तहबरपुर की दो मुख्य बाजारें कोइनहा बाजार जो कप्तानगंज कोइनहा मुख्य मार्ग पर पड़ती है, और नेवादा बाजार जो मदुरी तहबरपुर मुख्य मार्ग पर पड़ती है।

उपरोक्त दोनों बाजारों में पिछले कई वर्षों से एक किमी0 में सड़क का नामोनिशान बाजार के अन्दर मिट गया है। हल्की वर्षा के कारण पूरी सड़क नाले का रूप धारण कर लेती है। जिससे बाजार वालों को और बाजार आने वालों को अति कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मेरा लोक निर्माण विभाग मंत्री जी से निवेदन है कि उपरोक्त बाजारों में स्लोप बनाकर पांच मीटर की चौडाई में पत्थर लगवाने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में मैं निर्माण खण्ड-5 जनपद आजमगढ़ के अधिशासी अभियन्ता को मौके पर ले जाकर दिखाया था जिनके कार्य क्षेत्र में उक्त सड़कें आती है और पत्थर कार्य पर वे सहमति दे रहे थे।

मैं आशा करता हूं कि उक्त कार्य को जनहित में पूर्ण कराने की जल्द से जल्द व्यवस्था कराने की कृपा करेंगे।]

क्रय-विक्रय समिति उत्तम नगर मेरठ को गलत तरीके से निरस्त कर दुकनदार को परेशान किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भीम प्रसाद सोनकर-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। श्री महाबीर प्रसाद पुत्र राम शरण दास मे0 क्रय विक्रय सहकारी समिति उत्तम नगर मेरठ की दुकान को गलत तरीके से निलम्बित कर दिया गया और जिलापूर्ति अधिकारी मेरठ द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इन्हें परेशान करने की नीयत से पूरी कार्यवाही की गयी। फर्जी शिकायत के आधार पर कार्यवाही हुई। यही नहीं इनके विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया, थाने की जांच अधिकारी द्वारा विक्रेता के खिलाफ कोई साक्ष्य न मिलने के कारण निर्दोष बताया गया। मा0 न्यायालय ने भी इन्हें प्रकरण निस्तारण के आदेश दिये परन्तु न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। न्यायालय द्वारा निर्दोष सिद्ध होने के आदेश के बाद दुकान की आपूर्ति बहाल की जानी चाहिए। विक्रेता को स्थानीय प्रशासन द्वारा जानबूझ कर प्रताड़ित करने की कार्यवाही की जा रही है। तमाम पत्राचार हुए परन्तु उस पर भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी जिससे विक्रेता का परिवार भुखमरी के कगार पर है। रोजी-रोटी का यही एक साधन है इनके पास अन्य कोई साधन नहीं है। स्थानीय जिला प्रशासन के पास कई पत्र मा0 विधान सभा सदस्यों द्वारा भी लिये गये उन पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी। जानबूझकर प्रकरण को लटकाये रखना चाहते हैं। यह गम्भीर विषय है एवं लोक महत्व का विषय है।

अतः इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए विक्रेता की दुकान मा0 न्यायालय के आदेशानुसार बहाल किये जाने की मांग करता हूं तथा विलम्ब करने वाले लोगों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध भी दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जिला आजमगढ़ के निर्वाचन क्षेत्र फूलपुर में मण्डी की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 अन्तर्गत सूचना

श्री श्याम बहादुर सिंह यादव-

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र 349 फूलपुर-पवई जिला-आजमगढ़ में पूर्व की समाजवादी पार्टी सरकार द्वारा फूलपुर

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

में मण्डी की स्थापना हेतु निर्णय लिया गया था, परन्तु पिछली ब0स0पा0 सरकार द्वारा इस निर्णय पर 5 वर्षों तक द्वेषवश कोई विचार नहीं किया गया।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानने की अपेक्षा करता हूं कि क्या अपनी पूर्व की सरकार द्वारा लिये गये इस निर्णय का पुनः क्रियान्यवयन सुनिश्चित कराएगी, क्योंकि हमारा क्षेत्र भरूआ लालमिर्च (जो लाल सोने के नाम से जाना जाता है) और सब्जी की खेती के लिए उत्तम है, जिसकी पैदावार अधिक होने के कारण फूलपुर में मण्डी निर्माण अति आवश्यक है।

जनपद कुशीनगर स्थित भगवान बुद्ध की जन्मस्थली कपिलवस्तु को पर्यटन स्थल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय कुमार-

[मैं आपका ध्यान जनपद सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु विधान सभा की ओर ले जाना चाहता हूं। इस विधान सभा क्षेत्र में स्थित भगवान बुद्ध की जन्म स्थलीय होने के नाते और बौद्ध धर्म को मानने एवं जानने वाले बौद्ध भिक्षु एवं पर्यटक देश एवं विदेश से हजारों की संख्या में प्रतिवर्ष आते रहते हैं, जो पर्यटन की दृष्टि से इसका सम्पूर्ण विकास करना सम्भव एवं न्यायसंगत है। उपरोक्त विधान सभा क्षेत्र का नाम भी भगवान गौतमबुद्ध से सम्बन्धित है, जिसे आप भी भली-भांति जानते है, क्योंकि सिद्धार्थनगर जनपद आपका गृह जनपद भी है। इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को देखते हुए पर्यटन स्थल घोषित कर एवं विशेष पैकेज देकर सम्पूर्ण विकास करना नितान्त आवश्यक है।

मैं इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार से अलग बजट की व्यवस्था करने एवं सम्पूर्ण विकास करने की मांग करता हूं।]

जिला गोरखपुर में निषाद समाज के लोगों को उत्पीड़न एवं शोषण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रकाश निषाद-

[संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जिला-गोरखपुर में निषाद समाज का बड़े पैमाने पर शोषण/उत्पीड़न किया जा रहा है। चौरी-चौरा के विकास खण्ड-ब्रम्हपुर के थाना-झंगहों के अन्तर्गत राम सूरत निषाद पुत्र राम दीहल निवासी-विश्वनाथपुर (टोला कुसहवा) जो लगभग 50 वर्षों से अपना आवास बना कर रह रहे थे। दिनांक 05-06-2012 को प्रातः सात बजे ग्राम प्रधान के पति नर्वदा यादव, कैलाश यादव, जगदीश यादव पुत्रगण राम दास यादव आदि लोगों ने एक राय होकर राम सूरत निषाद की आवास को तोड़ दिया, उसकी पुरानी झोपड़ी को नष्ट कर दिया गया, उसके घर में रखा सारा सामान को लूट लिया गया। उसके पूरे घर को नष्ट कर दिया गया। उक्त अभियुक्तों द्वारा उसे बुरी तरह से मारा पीटा गया। तत्काल उक्त घटना की सूचना स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन को दी गयी परन्तु अभी तक अभियुक्तों के खिलाफ प्रशासन द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी। क्षेत्र मे निषाद समाज को द्वेष भावना से क्षेत्रीय दबंग लोगों द्वारा उत्पीड़न किया जा

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रहा है। क्षेत्र में आये इस तरह की कई घटनाओं की बाढ़ सी आ गयी हैं। उपरोक्त प्रकरण की शिकायत उच्च अधिकारियों से की गयी तो उनके द्वारा दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश देने के बावजूद भी अभी तक उन दबंग लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। जिससे क्षेत्रीय जनता एवं निषाद समाज में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। किसी भी समय स्थिति विस्फोटक हो सकती है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त प्रकरण में दोषी लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही किये जाने की भी मांग करता हूं।]

निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित पावर प्लान्टों द्वारा 5 कि0मी0 के अन्दर विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र उर्फ ब्रजेश सिंह-

[महोदय, प्रदेश में प्राइवेट पावर प्लान्ट बहुत जिलों में स्थापित है, उसी क्रम में अवगत कराना है कि गोरखपुर जनपद के विधान सभा क्षेत्र सहजनवां में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) में पावर प्लान्ट गेलेन्ट एवं आई0जी0एल0 द्वारा लगाया गया है पावर प्लान्ट जहां भी लगता है उसके 5 किमी0 के अन्दर जो भी आबादी होती है उनको 8 से 6 घण्टे विद्युत आपूर्ति उक्त प्लान्ट द्वारा किया जाता है लेकिन गींडा गोरखपुर में स्थापित पावर प्लान्ट गेलेन्ट एवं आई0जी0एल0 कम्पनी को किसानों की भूमि अधिग्रहण करके पावर प्लान्ट लगाने हेतु आवंटित किया गया था जोकि साधारण मूल्य पर भूमि आवंटित हुई थीं। कम्पनियों द्वारा यह कहा जाता है कि हमने किसानों से जमीन नहीं लिया है इसलिए हम विद्युत आपूर्ति नहीं कर सकते। जब कि भारत सरकार के निर्देश हैं कि जो भी पावर प्लान्ट स्थापित हों, उसके 5 किमी0 के अन्दर जो भी आबादी हो उसमें 8 से 6 घण्टे तक विद्युत आपूर्ति उक्त प्लान्ट द्वारा किया जाना है। गोरखपुर गींडा द्वारा भी किसानों की जमीन सस्ते मूल्य पर इन कम्पनियों को आवंटित की गई है लेकिन इनके द्वारा उक्त आबादी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति नहीं किया जा रहा है। इनके द्वारा ह्यूमन राइट्स का भी कोई पालन नहीं हो रहा है। जो सी0आर0एस0 की गाइड लाईन है। सरकार इस पर लोक हित में यह निर्णय ले कि इनके द्वारा उक्त क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की जाय।]

जनपद अलीगढ़ के जट्टारी कस्बें मे निगुना-ग्राम में निर्माणाधीन विद्युत लाइन के कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बनध में तथा नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वेद राम भाटी-

[कृपया अवगत कराना है कि 132 के0वी0 का एक बिजली घर जनपद-अलीगढ़ के जट्टारी कस्बे के पास बना है। उससे जेवर को जोड़ने का निर्णय लिया गया है जिसकी लम्बाई 13 कि0मी0 पड़ती है। जिसमें 10 कि0मी0 जेवर की तरफ से विद्युत लाइन बन चुकी है। तथा 1, 1/2 कि0मी0 जट्टारी की तरफ से विद्युत लाइन बन चुकी है, लेकिन निगुना ग्रम जिला-अलीगढ़ के आस-पास केवल 1, 1/2 कि0मी0 विद्युत लाइन बननी शेष रह गयी है। जिससे क्षेत्रीय जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त प्रकरण में प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही किये जाने की भी मांग करता हूं।]

जनपद पंचशीलनगर के गढ़मुक्तेश्वर के ग्राम कनिया थाना बाबूगढ़ के अन्तर्गत सूरजन नामक व्यक्ति की हत्या को लेकर हुए विवाद में निर्दोष लोगो का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन चौहान-

[महोदय, कल 7-06-2012 को सुबह सुरजन नामक व्यक्ति ग्राम कनिया से अपने भाई की हत्या के मुकदमें में गवाही देने मोटर साइकिल से जा रहा था। बीच रास्ते में किसी स्कार्पियो गाड़ी ने जान से मारने की नीयत से गाड़ी चढ़ाकर घसीटकर मार दिया जिसमें मौके पर सुरजन की मौत हो गयी तथा दूसरा व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हो गया। मौके से पुलिस ने बिना पंचनामा भरे लाश को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया जिससे ग्रामवालों मे भयानक रोष पैदा हो गया जिससे नजदीकी थाने पर हंगामा होने से पुलिस व ग्राम वासियों में विवाद हुआ। पुलिस ने गोलियां भी चलाई जिससे कितने लोग पुलिस सहित घायल हो गये। जिसमें मृतक के परिजनों सहित कनिया ग्राम के तमाम लोग पी0ए0सी0 व पुलिस की लाठियों से बुरी तरह घायल हो गये। आज भी तमाम ग्रामवासी भयभीत होकर ग्राम छोड़कर पलायन कर रहे है। यह सूचना अविलम्बनीय लोकमहत्व की है। मैं तत्काल प्रभाव से निर्दोष ग्रामवासियों का उत्पीड़न रोकने या जेल भेजने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

नियम-300 के अन्तर्गत 02 सूचनायें आयी हैं जो किसी भी तरह से नियम-300 की नहीं बनती है। पहली सूचना श्री अजय मिश्र जी की ''राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।'' यह किसी भी तरह से नियम-300 बनता ही नहीं है। दूसरी सूचना, श्री अगयश रामसरन वर्मा की-''शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत पुलिस चौकी प्रभारियों की नियुक्तियों में घोर अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।'' यह नियम-300 में बनता ही नहीं है, इसलिए ये दोनों सूचनायें नहीं सुनी जायेंगी।

मद संख्या-4 व 5 में कुछ नहीं है, अब मद संख्या-6 ले रहा हूं।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 07 जून, 2012 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 08 जून, 2012 से दिनांक 30 जून, 2012 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 08 जून, 2012 को निधन के निर्देश अर्थात निधन की सूचनाएं ली जायं।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2-दिनांक 11 जून, 2012 को निम्नलिखित विभागों के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान हेतु ले लिया जायें :-

अनुदान संख्या 11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

अनुदान संख्या 10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)

अनुदान संख्या 14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

अनुदान संख्या 16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)

अनुदान संख्या 17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)

अनुदान संख्या 15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

अनुदान संख्या 12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)

अनुदान संख्या 18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

3-दिनांक 12 जून, 2012 को निम्नलिखित विभागों के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान हेतु ले लिया जायं :-

अनुदान संख्या 54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)

अनुदान संख्या 55-लोक निर्माण विभाग (भवन)

अनुदान संख्या 56-लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)

अनुदान संख्या 57-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)

अनुदान संख्या 58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)

अनुदान संख्या 59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

4-दिनांक 13 जून, 2012 को निम्नलिखित विभाग के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान हेतु ले लिया जायं :-

अनुदान संख्या 09-ऊर्जा विभाग

अनुदान संख्या 70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

तथा निम्नलिखित विभागों के अनुदानों की मांगों पर विवाद नहीं होगा :-

अनुदान संख्या 85-सार्वजनिक उद्यम विभाग

अनुदान संख्या 89-संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)

अनुदान संख्या 90-संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)

5- दिनांक 14 जून, 2012 को निम्नलिखित विभागों के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान हेतु ले लिया जायं :-

अनुदान संख्या 94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

अनुदान संख्या 95-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)

अनुदान संख्या 01-आबकारी विभाग

अनुदान संख्या 07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

अनुदान संख्या 08-उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री)

अनुदान संख्या 04-उद्योग विभाग (खाने और खनिज)

अनुदान संख्या 06-उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

अनुदान संख्या 03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)

6- दिनांक 18 जून, 2012 को निम्नलिखित विभागों के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान हेतु ले लिया जायं :-

अनुदान संख्या 47-प्राविधिक शिक्षा विभाग

अनुदान संख्या 73-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

अनुदान संख्या 69-व्यावसायिक शिक्षा विभाग

अनुदान संख्या 44-पर्यटन विभाग

अनुदान संख्या 43-परिवहन विभाग

अनुदान संख्या 60-वन विभाग

तथा निम्नलिखित विभागों के अनुदानों की मांगों पर विवाद नहीं होगा :-

अनुदान संख्या 39-भाषा विभाग

अनुदान संख्या 53-राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

अनुदान संख्या 28-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)

अनुदान संख्या 46-प्रशासनिक सुधार विभाग

अनुदान संख्या 38-नागरिक उड्डयन विभाग

7-दिनांक 19 जून, 2012 को निम्नलिखित विभागों के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान हेतु ले लिया जायं :-

अनुदान संख्या 71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)

अनुदान संख्या 72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

अनुदान संख्या 75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)

अनुदान संख्या 05-उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)

अनुदान संख्या 76-श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

अनुदान संख्या 77-श्रम विभाग (सेवायोजन)

अनुदान संख्या 21-खाद्य तथा रसद विभाग

अनुदान संख्या 25-गृह विभाग (कारागार)

अनुदान संख्या 27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)

8-दिनांक 20 जून, 2012 को निम्नलिखित विभागों के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान हेतु ले लिया जायं :-

अनुदान संख्या 31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

अनुदान संख्या 33-चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)

अनुदान संख्या 34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)

अनुदान संख्या 32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)

अनुदान संख्या 36-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

अनुदान संख्या 35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

अनुदान संख्या 79-समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)

अनुदान संख्या 80-समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)

अनुदान संख्या 81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

अनुदान संख्या 83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)

अनुदान संख्या 87-सैनिक कल्याण विभाग

अनुदान संख्या 49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग

9-दिनांक 27 जून, 2012 को निम्नलिखित विभागों के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान हेतु ले लिया जायः-

अनुदान संख्या 50-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)

अनुदान संख्या 51-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)

अनुदान संख्या 52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)

अनुदान संख्या 13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

अनुदान संख्या 23-गन्ना विकास विभाग (गन्ना)

अनुदान संख्या 24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

तथा निम्नलिखित विभागों के अनुदानों की मांगों पर विवाद नहीं होगाः-

अनुदान संख्या 22-खेल विभाग

अनुदान संख्या 91-संस्थागत वित्त विभाग (स्टांप एवं पंजीकरण)

10-दिनांक 28 जून, 2012 को निम्नलिखित विभागों के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान हेतु ले लिया जायः-

अनुदान संख्या 37-नगर विकास विभाग

अनुदान संख्या 48-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

अनुदान संख्या 45-पर्यावरण विभाग

अनुदान संख्या 02-आवास विभाग

अनुदान संख्या 86-सूचना विभाग

तथा निम्नलिखित विभागों के अनुदानों की मांगों पर विवाद नहीं होगाः-

अनुदान संख्या 67-विधान परिषद् सचिवालय

अनुदान संख्या 68-विधान सभा सचिवालय

अनुदान संख्या 30-गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)

अनुदान संख्या 82-सतर्कता विभाग

अनुदान संख्या 78-सचिवालय प्रशासन विभाग

अनुदान संख्या 40-नियोजन विभाग

अनुदान संख्या 41-निर्वाचन विभाग

अनुदान संख्या 42-न्याय विभाग

अनुदान संख्या 19-कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)

अनुदान संख्या 20-कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)

अनुदान संख्या 61-वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

अनुदान संख्या 62-वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)

अनुदान संख्या 63-वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

अनुदान संख्या 65-वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)

अनुदान संख्या 66-वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)

अनुदान संख्या 88-संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)

अनुदान संख्या 92-संस्कृति विभाग

11-दिनांक 29 जून, 2012 को निम्नलिखित विभागों के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान हेतु ले लिया जाय :-

अनुदान संख्या 84-सामान्य प्रशासन विभाग

अनुदान संख्या 26-गृह विभाग (पुलिस)

12-दिनांक 08 जून, 2012 से दिनांक 30 जून, 2012 के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाए :-

<u>जून, 2012</u>

08 शुक्रवार 1-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें।

2-वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।

<u>जून, 2012</u>

09 शनिवार 10 रविवार	बैठक नहीं होगी।
11 सोमवार 12 मंगलवार 13 बुधवार 14 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
15 शुक्रवार	1-असरकारी दिवस (आधा दिन + आधा दिन दिनांक 8 जून, 2012 के स्थान पर)। 2-विधायी कार्य।
16 शनिवार 17 रविवार	बैठक नहीं होगी।
18 सोमवार 19 मंगलवार 20 बुधवार	वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
21 गुरुवार 22 शुक्रवार 23 शनिवार 24 रविवार 25 सोमवार 26 मंगलवार	बैठक नहीं होगी।
27 बुधवार 28 गुरुवार 29 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

जून, 2012

30 शनिवार **11.00 बजे पूर्वाह्न**

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2012 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2012†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरः स्थापित करता हूं।

---

† दिनांक 21-6-2012 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 8 जून, 2012 को नियम-56 में कुल 19 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें श्लाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गई हैं। प्रथम 2 सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है।

पहली सूचना श्री सुनील कुमार सिंह यादव की जनपद सोनभद्र की थाना कोतवाली राबर्ट्सगंज के अन्तर्गत ग्राम सुकुरुत में दिनांक 05 जून, 2012 को ग्राम प्रधान श्रीमती धुना कोल की हत्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री हुकुम सिंह की इलाहाबाद स्थित सरकारी गोदाम में खाद्य घोटाले की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री कमाल यूसुफ मलिक की जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तहसील के अन्तर्गत स्थापित मौलाना आजाद महाविद्यालय बायताल कादिराबाद सिद्धार्थनगर में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को मा0 उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेशों के क्रम में शासनादेश के बावजूद गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल की पूर्वी उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान प्रदेश में अन्यत्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में तथा पांचवीं सूचना श्री राज नारायण बुधौलिया की जनपद महोबा के कोतवाली कुलपहाड़ में दिनांक 25-4-2012 को श्रीमती सुनीता देवी के साथ हुए दुराचार के सम्बन्ध में है।

विशेष उल्लेख के अन्तर्गत पहली सूचना चौ0 गजेन्द्र सिंह की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर के अन्तर्गत ग्राम तौली में दिनांक 4-6-2012 को हुई दुर्घटना में घायलों को आर्थिक सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री वीरपाल की प्रदेश में चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत चकों से काटी गई जमीनों का किसानों को मुआवजा दिलाने के सम्बन्ध में है तथा तीसरी सूचना श्री जय प्रकाश निषाद की जनपद गोरखपुर के थाना खोराबाद के ग्राम रामनगर कर्जहा में दिनांक 1-6-2012 को श्री अवधेश कुमार के अपहरण के उपरान्त हुई मौत से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें चयनित नहीं हुई अतः अस्वीकृत हुईः--

1-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप,

2-श्री संगीत सिंह सोम,

3-श्री मुकुट बिहारी,

4-श्री बजरंग बहादुर सिंह,

5-श्री जगन प्रसाद गर्ग,

6-श्री धर्मपाल सिंह,

7-श्री पूरन प्रकाश,

8-श्री सुरेश कुमार खन्ना,

9-श्री सुल्तान बेग,

10-डा0 धर्म सिंह सैनी,

11-अगयश राम सरन वर्मा।

*श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, आपको यह बताना चाहते हैं कि राबर्ट्सगंज जिला सोनभद्र में अभी तक दो महीने के भीतर 9 हत्याएं हो चुकी हैं जिसमें अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गये हैं पांच जून को वहां के ग्राम सुकुरूत में ग्राम प्रधान श्रीमती धूना कोल को गोलियों से भून दिया गया। अपराधी रोड पर घूम रहे हैं और अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। हमारे यहां दो महीने के अन्दर 9 हत्याएं हो चुकी है। 16 अप्रैल, 2012 को करमा क्षेत्र में ब्रह्मदत्त की हत्या, ओबरा थाना परसोई में वृद्ध की हत्या, 1 मई, 2012 को अंशू राय की सोनभद्र कचहरी में हत्या, 7 मई, 2012 को बीनापुर योजना में डम्फर आपरेटर की हत्या, 5 मई, 2012 में राबर्ट्सगंज में वार्ड ब्वाय की हत्या, 21 मई, 2012 को कोन थाना क्षेत्र करछनवा में हत्या, 7 अप्रैल, 2012 में एक दरोगा द्वारा छात्रा की हत्या, 14 मई, 2012 को बालेश्वर प्रसाद की हत्या करके टावर पर टांग दिया।

श्री अध्यक्ष-

वह तो आप घटनाओं का उल्लेख कर रहे हैं। 5 जून वाली घटना के बारे में बोलिये। नये सदस्य हैं आप। आपको इसमें कुछ बोलना है ? क्या चाहते हैं आप ?

श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

इसमें गिरफ्तारी हो।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, माननीय सदस्य अवगत हैं 5-6-12 को तकरीबन रात के 9 बजे ग्राम की महिला प्रधान धूना देवी पत्नी नंदू कोल की गोली मार कर हत्या कर दी गई। उक्त घटना के सम्बन्ध में वादी श्री नंदू कौल पुत्र फिरहरि निवासी ग्राम सिकरिक थाना राबर्ट्सगंज की सूचना पर दिनांक 5-6-12 को मुकदमा अपराध संख्या 867/12 धारा 302-120(बी) भारतीय दंड संहिता बनाम रमेश बागी निवासी सिकरिक थाना राबर्ट्सगंज व दो व्यक्ति नाम पता अज्ञात रिपोर्टिंग चौकी सिकरिक थाना राबर्ट्सगंज पर पंजीकृत हुआ। इस घटना की जैसे ही सूचना मिली पुलिस वहां पहुंची और खुद पुलिस अधीक्षक भी घटना पर पहुंचे हैं, मुकदमा दर्ज है और घटना में नामित अभियुक्त रमेश बागी जो मेन मुजरिम है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। यही सरकार का

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और प्रशासन का काम है कि कहीं जुर्म होता है तो मुजरिम को पकड़ा जाय, अदालत के हवाले हो उसके बाद जो भी फैसला हो उसे लागू करायेंगे। तो फौरन रिपोर्ट दर्ज हुई है मुजरिम गिरफ्तार हुए हैं चूंकि पता अज्ञात है इस बिना पर दुश्वारी हो सकती थी लेकिन पुलिस तत्पर थी और मौके पर खुद एस0पी0 पहुंच गये थे और जो गिरफ्तारी हुई है और जो कार्यवाही आगे करने की होगी उसमें किसी तरफ ही ढील नहीं रखी जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय सदस्य श्री सुनील कुमार सिंह जी को सुना और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुना। अब इस सूचना को अग्राह्य करता हूं। अगली सूचना श्री हुकुम सिंह जी की है।

*श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी एक प्रश्न के उत्तर में सरकार का जवाब आया था कि 40 प्रतिशत बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। मान्यवर, खाद्यान्न की कमी से ही यह कुपोषण का शिकार हुए। अभी भी इस प्रदेश में जो गरीबी की रेखा से नीचे लोग हैं, उनके पालन-पोषण की जिम्मेदारी भी सरकार की है। सारी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है कि कैसे हम गरीब लोगों तक अन्न को पहुंचाएं। मान्यवर, दुर्भाग्य इस बात का है कि किसान अन्न उपजाए, गेहूं उपजाए सरकार ने क्रय करने की सुविधा की, खरीदा भी, उसकी चर्चा यहां पर हुई और जब खरीदने के बाद जब सरकारी एजेन्सी उसको गोदाम में रखती है और गोदाम से गेहूं गायब हो जाय। एक आध क्विंटल नहीं मान्यवर, 1 हजार मीट्रिक टन गेहूं गायब हुआ है इलाहाबाद के गोदाम से। मान्यवर, 3 करोड़ रुपये का गेहूं है। एफ0सी0आई0 का गोदाम है, इलाहाबाद में मुझको जानकारी मिली है कि मुकदमा भी कायम हो गया है। प्रश्न यह है कि 3 करोड़ का गेहूं 1 हजार मीट्रिक टन गेहूं। कोई स्थानीय सुपरवाइजर होगा, या गोदाम को देखने वाला होगा उसके बस की बात तो नहीं है कि उस गेहूं को गायब कर दे जब तक कि कोई अधिकारी उस षड़यंत्र में शामिल नहीं होंगे या प्रदेश सरकार के कुछ अधिकारी उस षड़यंत्र में शामिल नहीं होंगे। तब तक यह सम्भव नहीं है कि एक हजार मीट्रिक टन गेहूं गायब हो जाय गोदाम से। अब अगर यह व्यवस्था है, क्योंकि पहले भी प्रदेश का बहुत नाम रोशन हो चुका है इस काम में। न जाने कितने जिलों की जांच चल रहीं है, सी0बी0आई0 की जांच चल रही है। स्पेशल ब्रांच भी जांच कर रहा है और कई अधिकारी मान्यवर, इस बात के लिये जेल भी जा चुके हैं कि यहां से गेहूं निकाल-निकाल कर बंगला देश में भेजा गया, नेपाल में भेजा गया और विदेशों में भी भेजा गया। आखिर यह व्यवस्था क्या है ? गोदाम में चौकीदार है, सारे अधिकारी वहां पर हैं, और जिम्मेदारी भी उनकी है, एक हजार मीट्रिक टन गेहूं वहां से गायब हो जाए मैं देख रहा था, सारी व्यवस्था को, जब कुछ लोगों ने वहां फोटोग्राफ लेना चाहा तो कहा, आउट आफ गोन, घुसने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे यह जो हठधर्मिता है एफ0सी0आई0 की, इस पर नियंत्रण होना चाहिए। मैं जानता हूं मुकदमा कायम हो गया, लेकिन जिस स्तर पर जांच होगी, मान्यवर, उस स्तर पर बड़े अधिकारी काबू में नहीं आएंगे। छोटे अधिकारी जेल चले जायेंगे। उनके खिलाफ आपने मुकदमा कायम कर दिया। यह

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संस्था मान्यवर, जिसको एफ0सी0आई0 कहते हैं, मुझे तो अनुभव है, खाद्य मंत्री के रूप में मैंने काफी भुगता है इनको, लेकिन मैंने इतना नियंत्रण जरूर कर दिया था कि यू0पी0 का कोटा इनसे छीन लिया था। यह संस्था मान्यवर, जिस प्रकार से इस देश को इस प्रदेश को जिस प्रकार से खोखला कर रही वह किसी से छिपा नहीं है। वहां भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है, किसी के नियंत्रण में नहीं है। मैं एक घटना का विशेष जिक्र करना चाहूंगा हमारे इलाहाबाद जैसी जगह में एफ0सी0आई0 के गोदाम से एक हजार मीट्रिक टन गेहूं गायब पाया गया और जब पूछा गया तो एक अधिकारी ने मान्यवर, क्या जवाब दिया आश्चर्य की बात है, पूछा, गेहूं कहां चला गया, कह दिया कि चूहा खा गया। कई लोगों से फिर पूछा गया क्या चूहा एक हजार मीट्रिक टन गेहूं खा सकता है तो कहा चूहा क्या पूरे हिन्दुस्तान के भी चूहे इकट्ठे कर दोगे तो उन्हें भी बहुत समय लगेगा एक हजार मीट्रिक टन गेहूं खाने में। बेचारे चूहे को भी बदनाम कर दिया। खा खुद गए, बेच खुद गए, विदेशों में भेज दिया होगा, बेईमानों ने, चोर नहीं मिला तो बेचारा चूहा ही सही। मेरा आपसे अनुरोध यह है सरकार से भी अनुरोध है जवाब तो इसमें आ जाएगा लेकिन मैं चाहता हूं कि इसमें उच्च स्तरीय जांच बैठे और जांच में सारे अधिकारी जो इलाहाबाद से दिल्ली तक बैठे हैं और करोड़ों-करोड़ रुपया लूट रहे हैं इस प्रदेश का मान्यवर, गरीबों को वंचित कर रहे हैं बी0पी0एल0 से नीचे जो लोग रहे हैं उनको वंचित कर रहे हैं। उन बच्चों को वंचित कर रहे हैं जिनको आप कहते हैं कि कुपोषण का शिकार हैं, अगर कुपोषण को बचाना है और प्रदेश में जो हमारी गाढ़ी कमाई का गेहूं है, उसको बचाना है,, पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना है तो चोरी, डकैती, लूट रोकनी पड़ेगी। हमारे अपने अधिकारी, अपने सुपरविजन में रख कर, जो गेहूं के बारे में कर रहे हैं। मेरा आग्रह है, माननीय मंत्री जी ने कुछ विषय गम्भीरता से लिए हैं उसी तरह से इस विषय को गम्भीरता से लेते हुए उच्च स्तरीय जांच हो और उन समस्त बेईमानों का पर्दाफाश होना चाहिए जो षड़यंत्र मे लिप्त हैं चाहे केन्द्र सरकार के हों चाहे प्रदेश के, उनको बचकर नहीं जाना चाहिए इसी के साथ मैं अपने कार्य-स्थगन के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, हमारे वरिष्ठतम् सदस्य श्री हुकुम सिंह जी ने जो प्रश्न रखा है यह नियम-56 मे तो नहीं आता हैं लेकिन यह बहुत गम्भीर मामला है कि एक हजार मीट्रिक टन गेहूं जिसका मूल्य तीन करोड़ रुपया है। यह बहुत बड़ी कीमत है। 40 फीसदी बच्चे कपोषण का शिकार हैं और इसी सदन में आप आज रख रहे हैं, लेकिन करीब 6 महीने पहले देश के प्रधान मंत्री ने एक बहुत बड़े सम्मेलन को एड्रस करते हुए यह माना था कि कितने बच्चे कुपोषण का शिकार हैं उसके बाद भारी नाश्ता हुआ। उसी के बाद अखबार में खबर छपी थी कि जिस सेमिनार में प्रधान मंत्री ने इतनी बड़ी तादाद मे बच्चों के कुपोषण होने का एलान किया उसके बाद जो नाश्ता हुआ था वह अच्छा खासा भारी था। यह एहसास की बात है मान्यवर, पत्रकारों ने उस चीज का एहसास किया और वह खबर देश की खबर बन गई। 28 प्रतिशत लोग जिस मुल्क में गरीबी की रेखा से नीचे रहते हों और यह वह प्रतिशत है जो जांच लिया गया या सामने आ गया वह प्रतिशत नहीं है जो बहुत बीहड़ इलाकों में रहता है और जहां अधिकारी और कर्मचारी वहीं पहुंच पाते हैं। उस प्रतिशत को अगर जोड़ा जाए तो हो सकता है कि यह प्रतिशत 40-45 के ऊपर

निकल जाए। हम भाषणों में कहते हैं लेकिन यह सच्चाई है। मुझे याद है बहुत पुरानी बात नहीं है। एक डेलीगेशन विधायकों का साउथ की तरफ गया था वहां यह मालूम हुआ कि ट्रेन की पटरियो के नीचे जो महिलायें और बच्चे घुसे हुए थे जिनको देखकर हमने कहा था यह तो कट जाएंगे मर जायेंगे। इन्हें हटाते क्यों नहीं, रेलवे क्यों नहीं रोकता तो मालूम हुआ कि यह लोग ट्रेन में सफर करने वाले लोगों का जो मैला होता है, उसे उठाते हैं और ट्रेन में जो मुसाफिर खाना-खाते हुए आते हैं, उसमें गेहूं, चने के जो दानें निकल जाते हैं, बगैर हज्म हुए, वह उन दानों को तलाश करते हैं, पानी से धोते हैं, धूप में सुखाते हैं और फिर मां उस मैले से निकला हुआ खाना अपने बच्चों को देती है। आजादी के इतने लम्बे दौर के बाद गरीबी की इतनी शर्मनाक सीमा हो, जाहिर है उसकी हर तरफ से निन्दा होनी चाहिए। जिस तरीके का देश में करप्शन, बेईमानी व्याप्त है, उसकी निन्दा होनी चाहिए और मान्यवर, कहीं न कहीं सिर्फ सरकारी आंकड़ों के अलावा इन्सान के जमीर को भी जगाने की जरूरत होना चाहिए। कितने बड़े सम्मेलन हो जायें, कितनी बड़ी रैली हो जाये और हम कितना ही बड़ा उपदेश दे लें और हमारे शरीर पर जो कपड़े हों वह हराम की रोजी के हों, हमारे पेट में जो रोटी हो, वह हराम की रोटी हो, फिर हम जाकर मस्जिद में नमाज पढ़ें, मन्दिर में घण्टा बजायें तो हमारे ख्याल से हराम की रोजी और हराम के कपड़ों से इबादत कुबूल नहीं होगी उस मालिक के यहां। जब तक यह एहसास समाज के अन्दर पैदा नहीं होगा और लोग खुद तैयार नहीं होंगे।

मान्यवर, आज सूरतेहाल यह है कि लोगों ने करप्शन को अपना लिया है और यह समझ लिया है कि अब करप्शन दूर हो सकता ही नहीं और उसका एक मोटा प्रमाण यह है कि जिस जमाने में अन्ना हजारे जी का आन्दोलन रूज पर था, मैं शहर में था और मेरे पार्टी के नौजवान बच्चों की जमानत उस दिन होनी थी, उन पर मुकदमें कायम थे, उन्होंने एक पुतली जला ली थी। तो जब वह बच्चे जमानत के लिए गए तो जो जमानत का तरीका है, पेशकार साहब की जब तक सेवा न की जाये, जमानत के कागज नहीं भरे जाते, वह सारी सेवा उन्होंने की। उन्हें मालूम नहीं था कि आज इनका विरोध दिवस भी है। पूरी कलेक्ट्रेट के वहीं बैठे हुए लोग एकदम बाहर निकल कर आए, जल्दी-जल्दी काली पट्टी हाथ पर लगाई और कहा कि ''भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, अन्ना हजारे जिन्दाबाद।'' तो कुछ बच्चों ने हिम्मत की और जाकर कहा कि अब हमारे पैसे तो वापस कर दो, जब ईमानदारी का इतना बड़ा नारा लगा रहे हो। मान्यवर, हालात बहुत बुरे हैं और बहुत अफसोसनाक हैं, अफसोसनाक ही नहीं अगर कभी सोचें तो बहुत शर्मनाक हैं और हम बेईमानी के गहरे गड्ढे में चले गए हैं जहां से निकलना शायद मुस्किल सा है। मैं इसमें आपसे क्या कहूं, वही दर्द तो हमारा भी है, वही आपका है, जब तक अपने तौर पर इसका एहसास नहीं होगा। मान्यवर, जहां सी0बी0आई0 की जांच चल रही हो, मुकदमा कायम हो गया हो लेकिन आपने तो खुद ही कह दिया कि क्या हो जायेगा, मुकदमा कायम होने से, कोई साहब बहुत अच्छे मिल जायेंगे, बरी कर देंगे। मान्यवर, बहुत गम्भीर प्रश्न है, रोका जाना चहिए, रुकना चाहिए। प्रदेश सरकार पूरी कोशिश में है, कोशिश करेगी, बिगड़े हुए हालात को सुधारने की कोशिश करेगी। एक जरा सा निवेदन और है कि आपने जो फरमाया कि चूहे खा गए, एक न एक चुहिया जरूर होगी, सब चूहे नहीं होंगे, इसमें।

(हंसी गूंजी)

मान्यवर, यह नियम-56 में नहीं आता अतः इसे अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री हुकुम सिंह-

यह बता दें कि जो पुतली फूंकी थी, वह चुहिया की थी या किसी और की थी ?

(हंसी गूंजी)

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय हुकुम सिंह को सुना और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुना, यह नियम-56 मे नहीं आता अतः इसे अग्राह्य करता हूं।

*श्री कमाल यूसुफ मलिक-

माननीय अध्यक्ष जी, आज आपने नियम-56 में मेरी सूचना को लिया, आप जानते हैं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की कृपा से दो बजे रात को आजमगढ़ से यह आए और उस कालेज का शिलान्यास किया और इनकी मदद से वह कालेज खड़ा हुआ। वहां पर दो सत्र के इम्तिहान नहीं हो रहे हैं। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच से लेकर डबुल बेंच तक आर्डर किया। माननीय अध्यक्ष जी, आज आपने मेरी सूचना को नियम-56 में लिया उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने ही इसका शिलान्यास किया और इनकी मदद से ही वह कालेज खड़ा हुआ। हमारे यहां इस कालेज में दो सत्र से परीक्षा नहीं हो रही है। हाईकोर्ट की सिंगिल से लेकर डबल बेंच तक ने आर्डर किया, इन पर कन्टेम्प्ट हुआ।

श्री अध्यक्ष-

कालेज का नाम तो बता दें।

श्री कमाल यूसुफ मलिक-

मान्यवर, यह मौलाना आजाद महाविद्यालय बायताल कादिराबाद, सिद्धार्थनगर का मामला है। बी0एड0 सत्र 2009-10 के इम्तिहान का मामला है। कोर्ट के आदेश से बच्चे भर्ती किये गये। लखनऊ विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों की परीक्षा हो गयीं गोरखपुर यूनिवर्सिटी अपनी हठधर्मी पर तुला हुआ है। बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। मान्यवर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एस0एल0पी0 दाखिल किया। पुराने शिक्षा मंत्री जी ने कराया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी खारिज कर दिया। सबके इम्तिहान हो गये। मेरा आपसे तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध है कि आप कृपा करके उसके इम्तिहान जो अब इम्तिहान होने जा रहे हैं इन्हीं इम्तिहानों के साथ कराने के निर्देश देने की कृपा करें। नहीं तो बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तमाम बच्चों और उनके अभिभावकों में रोष व्याप्त है। मैं इस पर आपका निर्देश और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की कृपा चाहता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह एक बहुत महान व्यक्ति और व्यक्तित्व के नाम से डिग्री कालेज है और जब ऐसी शैक्षिक संस्थायें जो बडे लोगों के नाम से कायम होती हैं तो उनका विशेष ख्याल रखना चाहिए। मौलाना अबुल कलाम आजाद देश की आजादी के बहुत से अगुवाओं में से एक थे। यह वह लोग थे जिन्होंने अपनी जिन्दगी का लगभग 80-90 प्रतिशत हिस्सा जेलों में गुजारा और आजाद हिन्दुस्तान में आजादी की खुशियां देखने के लिए यह लोग ज्यादा जी नहीं सके। मैं यह बात बल देकर इसलिए कह रहा हूं कि जहां से इसकी रोक हो रही है यह संदेश वहां तक पहुंचना चाहिए। एक मौके पर जब मौलाना अबुल कलाम आजाद जब दुनिया में नहीं थे और पार्लियामेंट में बहस हुयी और पंडित जवाहर लाल नेहरू जो उस समय प्रधान मंत्री थे उनका बचाव करने वाला शख्स आज सदन मे मौजूद नहीं था। तो पार्लियामेंट से निकलने के बाद नेहरू जी अपने आवास पहुंचे और अचानक यह देखा गया कि नेहरू जी अपनी कोठी से बाहर निकले गाड़ी में बैठे और कहा कि चलो। सुरक्षाकर्मियों को इसकी सूचना नहीं थी, प्राइवेट सेक्रेटरी को इसकी सूचना नहीं थी और यह गाड़ी बढ़ते-बढ़ते जामा मस्जिद के सामने उर्दू पार्क पहुंची जहां मौलाना अबुल कलाम आजाद की कब्र है। पंडित जवाहर लाल नेहरू मौलाना अबुल कलाम आजाद की कब्र पर जाकर गिर गये और फूट-फूट कर रोने लगे और कहा कि मौलाना आज मैं बहुत अकेला हूं। मान्यवर, इन अखलाकीकद्रों के साथ मुल्क ने आजादी हासिल की। इन अखलाकीकद्रों के साथ हमारे यहां रिश्ते पैदा हुये। मौलाना आजाद के नाम पर बनने वाला यह डिग्री कालेज जिसमें छोटा सा योगदान मेरा भी है। वह बड़ी मेहनतों से बनाया गया है और किसी शैक्षिक संस्था को बनाना और उसे चलाना यह बड़ी हिम्मत की बात है। मान्यवर, बड़े पाप और बड़े अन्याय हुये हैं। पिछले पांच वर्षों में शिक्षा के नाम पर जो-जो अन्याय हुआ है उसका जिक्र मैं थोड़ी देर बाद करूंगा। मेरे लिए यह बहुत सदमे की बात है कि इस तरह की आज सदन में सूचना मिल रही है। अगर कोई ऐसे कारण है कि परीक्षा न कराना, बहुत तकनीकी कारण हैं तो उसे तो मैं नहीं जानता अन्यथा अगर कोई तकनीकी कारण नहीं हैं तो मैं यहां अभी सदन से जाने के बाद बात करूंगा और नियमतः जो भी रास्ता निकल सकता है तो उसमें कोई देर नहीं लगेगी।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस सूचना पर माननीय श्री कमाल यूसुफ मलिक जी को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह नियम-56 में नहीं आता है। मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने कार्य-स्थगन के माध्यम से ग्राह्यता पर विचार रखने का मौका दिया। मान्यवर, अभी एस0जी0पी0जी0आई0 की चर्चा हो रही थी और वहां मरीजों को बेड न मिलने की बात हो रही थी। मैं सदन में गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। अगर आंकड़े निकालकर देखे जायें तो एस0जी0पी0जी0आई0 में कौन से वह लोग हैं कितनी बड़ी संख्या में वहां जाते हैं और कहां-कहां से जाते हैं। उनमें आधे से अधिक संख्या पूर्वी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश के लोगों की निकलेगी। यह जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के 11-12 जिले हैं जिनकी कुल जनसंख्या तकरीबन आठ करोड़ होगी। ढेर सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके इलाज की कोई सुविधा उनके पास नहीं है। गुर्दा रोग की हो, हृदय रोग की हो, दिमाग में रक्त स्राव की हो, बहुत सारी लुक्राइन बीमारियों की हो, नवजात छोटे बच्चों की न बढ़ने की हो और जो सबसे बड़ी बीमारी आज हमारे पास वहां है जापानी इन्सेफ्लाइटिस जैसी ढेर सारी बीमारियां जिनके हम कारण तक आज तक नहीं जान पाये हैं क्योंकि हम वहां शोध की व्यवस्था नहीं कर पाये। ढेर सारे वह रोग हैं, जो अपने क्षेत्रों में चूंकि कोई इलाज नहीं पाते हैं, इसलिए या तो संजय गांधी की ओर दौड़ते हैं या मजबूर हो करके दिल्ली आल इण्डिया इन्स्टीट्यूट जाते हैं, जब वहां सेवायें नहीं पाते हैं तो बड़े-बड़े चिकित्सालयों में जिनकी चर्चा अभी किसी मा0 सदस्य ने किया कि बड़े मंहगे चिकित्सालय होते हैं, लेकिन वहां जाने के लिए मजबूर होते हैं। हम लोगों ने जब यह सुना कि उत्तर प्रदेश में एक आल इण्डिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साईंसेस जैसे एक नए चिकित्सालय की स्थापना होने वाली है, तो हम लोग बहुत आशान्वित थे, क्योंकि एक प्रधान मंत्री, एक मुख्य मंत्री एक राजा की तरह होता है, सभी नागरिक उसके पुत्र होते हैं और वह यह सुनिश्चित करता है कि जो सेवायें हम देने जा रहे हैं, जो सुविधायें हम देने जा रहे हैं, हमारी सुविधायें और सेवायें वहां पहुंचनी चाहिए जहां इसकी सबसे अधिक जरूरत है, जहां आवश्यकता है इसकी, जहां के लोग परेशान और पीड़ित हैं। जहां अगर सौ रुपये इलाज में खर्च होता है तो दो सौ रुपया इस बात का खर्च होता है कि लखनऊ और दिल्ली आने-जाने का खर्चा और वहां रहने और सड़कों पर सोने का खर्चा।

हम लोकतंत्र में जीते हैं, प्रधान मंत्री कोई राजा इस दृष्टि से नहीं हो सकता कि जहां चाहे मनमानी सामंती सोच नहीं चल सकती, अगर केन्द्र सरकार ने यह तय किया है कि उत्तर प्रदेश में एक आल इण्डिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साईंसेस बनना चाहिए तो हम उनके आभारी होंगे, लेकिन केन्द्र की शर्त के साथ, अगर यह शर्त लग करके आती है कि जो आल अण्डिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साईंसेस सिर्फ हमारे लोक सभा क्षेत्र में लगना चाहिए तो अध्यक्ष महोदय, यह एक साम्राज्यवादी सोच है। अमेरिका के लोग जब पैसा देते हैं तो साथ में शर्तें देते हैं कि यह पैसा आप इन्हीं कम्पनियों को टेण्डर दे करके काम करायेंगें, इन्हीं शर्तों के अधीन काम करायेंगे। क्या हमारा देश इसी साम्राज्यवादी व्यवस्था के अन्तर्गत जी रहा है। हम जब स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं, परिवार कल्याण की चर्चा करते हैं, अस्पताल की चर्चा करते हैं, अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान में सबके दायित्व बांटे हुए हैं, सातवीं अनुसूची में काम बटा हुआ है, कौन से काम केन्द्र के होंगे, कौन से काम राज्य के होंगे, यह कोई प्रधान मंत्री इसको तय नहीं करता है, यह तय होता है भारत के संविधान से और भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची यह कहती है कि परिवार कल्याण, स्वास्थ्य, अस्पताल और चिकित्सा यह दायित्व राज्य सरकार का है। राज्य तय करेगा कि प्रदेश के किस हिस्से में किस प्रकार की समस्यायें हैं, राज्य तय करेगा कि कहां चिकित्सा के संसाधनों की कमी है और राज्य यह तय करेगा कि कहां आवश्यक है उन संसाधनों को, उन बीमारियों के मुकाबले के लिए इस प्रकार के अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान खोले जायं। मैं आभारी हूं मा0 मुख्य मंत्री जी का, अखबारों में बयान मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि प्रदेश

के पूर्वान्चल में भी ऐसे संस्थान की स्थापना होनी चाहिए। मैं इस बात का इन्तजार करता हूं, मा0 मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि यह शर्त लगाई जानी चाहिए केन्द्र सरकार के सामने, अगर उनकी शर्त है कि यह संस्था रायबरेली में बने तो केन्द्र सरकार से राज्य सरकार द्वारा यह कहा जाना चाहिए कि हम तैयार हैं रायबरेली में खोलने के लिए, लेकिन रायबरेली के साथ-साथ उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रान्त है, अपने आप में देश में अगर अकेला होता तो छठवां सबसे बड़ा देश होता दुनियां का। एक आल इण्डिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेस से इसकी आवश्यकतायें पूरी नहीं होने पा रही, छोटे-छोटे प्रान्तों को हमने एक-एक आल इण्डिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेस दे दिया और इसलिए और भी आवश्यक है कि 20 करोड़ की आबादी का यह प्रदेश है तो केन्द्र सरकार अगर रायबरेली में स्थापना करना चाहती है तो रायबेरली के साथ-साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी एक आल इण्डिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेस की स्थापना की घोषणा करे। हम उनके साथ चलने का काम करेंगे, धन्यवाद।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य के नियम-56 को मैं इस ऐतबार से, वैसे तो यह खारिज करने योग्य है, लेकिन इस ऐतबार से बल देता हूं कि खुद समाजबादी पार्टी की सोच नेता सदन प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने यह जिज्ञासा जाहिर की है, बल्कि किसी हद तक यह हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश में इस तरह के पांच इन्स्टीट्यूट खुलने चाहिए और वह इसलिए कि बड़ी जनसंख्या है, देशों से बड़ा प्रदेश है और बहुत बीमारी है, बहुत गरीबी है। इसका स्वागत आपने भी किया, हम भी करते हैं कि रायबरेली में इन्स्टीट्यूट खुले, लेकिन मात्र वी0आई0पी0, वी0वी0आई0पी0 एरिया में खुले, इतना ही काफी नहीं है। अब हम आपसे सिर्फ इतना ही कह सकते है कि हम आपकी इस ख्वाहिस को अगर कोई सुनने वाला है तो सुने वहां तक यह आवाज आपकी पहुंच गई होगी और आपने रखा भी बहुत धमाके से है इसे और बात भी धमाके की है। मगर इसके साथ इस सदन के माध्यम से संजय गांधी इन्स्टीट्यूट के डाक्टर्स से एक निवेदन यह भी है कि जिस तरह का उनका रवैया है मरीजों के साथ और नेताओं के खतों के साथ। चाहे वो किसी दल का विधायक, सांसद या मंत्री हो, किसी दौर का हो, जिस तरह से वो खतों का अपमान करते हैं और उठा कर फेंक देते हैं और यह कहते हैं क्या देती है राज्य सरकार हमें, मेरे ख्याल से शोभा नहीं देता और यह आये दिन की शिकायत है। संजय गांधी संस्थान का भविष्य बहुत अच्छा होता लेकिन जब जाकर आप देखिये उसकी इमारत की हालत तो आज भी आधी से ज्यादा इमारत वो है जिसके कमरे खोले नहीं गये हैं। जो लेटेस्ट मशीन्स उस वक्त आयी थीं वो चालू नहीं हुयीं और वो सब कबाड़ हो गयीं। मशीनों को शुरू ही नहीं किया गया, कमरों के ताले खुले ही नहीं, मशीनों की टेस्टिंग ही नहीं हुयी और मशीनें खत्म हो गयीं। इसकी भी कहीं न कहीं जवाबदेही होनी चाहिए। मान्यवर, इस अतीत के साथ आपसे सम्बद्ध करते हैं अपने आपको और नियम-56 खारिज कर दें।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो कुछ कहा संजय गांधी इन्स्टीट्यूट के बारे में, एक चिकित्सक होने के नाते मैं इनकी बातों को स्वीकार करता हूं। हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए और मा0 अध्यक्ष जी मैं आपसे संरक्षण चाहूंगा। कोई न कोई निर्णय आपकी ओर से होना चाहिए। संजय

गांधी इन्स्टीट्यूट की गतिविधियां मनमाने तरीके से नहीं चल सकतीं और इसीलिए जब यह प्रश्न आया था तो चिकित्सा का प्रश्न था लेकिन मैं अपनी ओर से इस प्रश्न में बहुत रुचि नहीं ले रहा था। हम लोगों को इसमें कोई न कोई ऐसी कमेटी बनानी चाहिए जो इस प्रकार की जो गतिविधियां वहां चल रही हैं क्योंकि बहुत सारे मा0 सदस्य हैं जिनके पास नागरिक आते हैं और कहते हैं कि चिट्ठी लिख दीजिए। हमारा बच्चा भर्ती हो जायेगा और इलाज हो जायेगा और यह सत्य है कि बातें वहां पर बहुत न सुनीं जाती हों तो समझ में आता है, बहुत अजीब तरीके से रिजेक्ट की जाती हैं इसलिए कुछ न कुछ कदम मा0 अध्यक्ष जी, आपके संरक्षण में उठना चाहिये क्योंकि राज्य सरकार इसमें कहीं न कहीं इन्वाल्व है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा इस सिलसिले में सुझाव यह है कि आप किसी दिन वहां के डायरेक्टर सहाब को बुला लें। मेरी एक दिन उनसे वार्ता हुयी और उन्होंने खेद व्यक्त किया। बी0पी0एल0 कार्ड जिन मरीजों के पास है और एक और कार्ड है जो उससे भी नीचे की रेखा का है अन्त्योदय। वो कार्ड मरीज के पास था उसके बावजूद डाक्टर ने यह कहा कि चलो, राज्य सरकार से जब पैसा आयेगा तो इलाज होगा। यह ठीक नहीं है, मैंने डायरेक्टर सहाब से फोन करके कहा कि कैंसर पेसेन्ट उसके साथ यह रवैया जिसे एक महीने बाद मर जाना है। कहां है वो कसम कहां है जो आपने ली थी तो खेद व्यक्त किया उन्होंने कहा कि मैं मीटिंग्स करता रहता हूं, समझाता रहता हूं। मगर मान्यवर, कोई बहुत अच्छा रवैया है नहीं तो मैं चाहूंगा कि आप बुला लें और जिन साहब को आप चाहें बुला लें, बुला कर बात कर लें।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, इसी प्रकरण पर बोलना है जिस पर मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने बड़ी चिन्ता जाहिर की, एस0जी0पी0जी0आई0 के चिकित्सकों के प्रति। मान्यवर, इस प्रकरण में अनुरोध यह है कि चूंकि मुख्य सचिव उसके अध्यक्ष होते हैं तो संसदीय कार्य मंत्री जी भी बुला करके मुख्य सचिव के साथ बैठक कर सकते हैं, आप अपने कक्ष में भी बुला सकते हैं तो मुख्य सचिव जब कोषाध्यक्ष हैं तो सीधे वो शासन के क्षेत्राधिकार में हैं और आप बैठ करके जो भी इस प्रकार की अव्यवस्था है, उस पर आप अंकुश लगा सकते हैं। हमारे ख्याल में चाहें तो आप बुला लें या संसदीय कार्य मंत्री भी पर्याप्त हैं।

श्री अध्यक्ष-

मैंने डा0 राधा मोहन दास जी को सुना, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह नियम-56 में नहीं आता है।

*श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मेरा कानून व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है। सरकार गठन के बाद से ही मैं देख रहा हूं कि समूचे प्रदेश के साथ-साथ हमारे जनपद महोबा में अनेक घटनायें होती जा रही हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया।

हत्या, लूट, बलात्कार, चोरी के अलावा जो मुख्य मुद्दा और आज का विषय है। हमारे जनपद में ग्राम बेलाताल है महोबा जनपद में। वैसे ये मा0 उमा भारती जी का निर्वाचन क्षेत्र है। यहां एक दलित समुदाय की महिला थी सुनीता देवी पति राजू कोरी, तीन बच्चों की मां है। उसके पति और सास रोजगार की तलाश में वैसे आप जानते हैं कि बुन्देलखण्ड में रोजगार नहीं है, लोग बाहर जाते हैं। रोजगार की तलाश में वे फिरोजाबाद गये हुये थे। उसी समय गांव का दंबग किस्म का एक व्यक्ति जिसका नाम जुगल यादव है वह आता है, उसे उठा करके जंगल में ले जाता है और उसके साथ बलात्कार करता है। यह घटना मान्यवर, 25-04-2012 की है तथा दिनांक 27-04-2012 को धारा-376 का मुकदमा दर्ज किया जाता है। चौथे महीने की घटना है, मान्यवर, और आज तक दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पीड़ित महिला पूरे परिवार के साथ जिला प्रशासन के सामने धरने पर बैठी हुई है लगातार उसको बराबर धमकियां दी जा रही हैं। आज तक उस पर सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और न ही उस व्यक्ति को पकड़ा जा रहा है। इसी प्रकार की एक दूसरी घटना साहब, ग्राम सूपा की है, वह भी चरखारी विधान सभा क्षेत्र का गांव है। वहां पर एक नीतू नाम की दलित नाबालिग बालिका है, उसके पिता का नाम खेमचन्द है। इस विधान सभा क्षेत्र की विधायिका हमारी पड़ोसी सुश्री उमा भारती जी हैं, ये दोनों घटनाएं चरखारी विधान सभा क्षेत्र की हैं, परन्तु दुर्भाग्य है कि महिला होने के नाते मा0 उमा भारती जी को इसका ध्यान नहीं है गंभीरता से नहीं ले रही हैं, मेरा जनपद है इसलिए चिंता है कि दलित समुदाय में इस प्रकार की घटनाएं न हों। इस तरह न तो महोदय उस घटना में गिरफ्तारी हुई और न यह नीतू जो 13 साल की बालिका है, दलित समुदाय की, इसके साथ भी बलात्कार हुआ है और इस मामले में भी कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष-

आपकी घटना एक ही है।

श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज-

जी मान्यवर, मैं मा0 अध्यक्ष जी, अन्य घटनाओं का उदाहरण दे रहा हूं। मेन घटना हमारी सुनीता देवी वाली है, तो सरकार संज्ञान ले। इसमें विचार करें, इसमें कार्यवाही करें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, बिल्कुल संज्ञान भी लिया गया और जो कार्यवाही और होना जरूरी होगी, वह कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। मैंने बुधौलिया जी को सुना, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

देखिए विशेष उल्लेख में तीन सूचनाएं हैं, इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। पहली चौधरी गजेन्द्र सिंह की है जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूप शहर के अन्तर्गत ग्राम- तौली में दिनांक 4-06-2012 को हुई दुर्घटना में घायलों को आर्थिक सहायता दिलाए जाने के सम्बन्ध में है।

*श्री गजेन्द्र सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, उस दुर्घटना में दो बच्चे मौके पर खत्म हो गए थे। सुबह दौड़ रहे थे, अचानक कोई वाहन आकर टक्कर मार गया। टक्कर लगने से 2 बच्चे मौंके पर खत्म हो गए, 2 घायल थे उन्हें अस्पताल भिजवाया गया, जो मृतक थे उन्हें देख करके आस-पास के गांव उमड़ पड़े और जब वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गयी और पुलिस प्रशासन पहुंचा तो उन्होंने जाते ही वहां लाठीचार्ज कर दिया। होना यह चाहिए था मान्यवर, कि सहानुभूति उन परिवारों को दी जाती लेकिन लाठीचार्ज हो गया। परिस्थिति यहां तक बिगड़ गई कि वहां पर बाद में प्रशासन दो किलोमीटर दूर खड़े हो करके पी0ए0सी0 तक मंगाने लगा, क्योंकि वहां पर 5-6 हजार की भीड़ इकट्ठी थी। जैसे ही हम लोगों को सूचना मिली, हम लोग मौके पर गए, वहां जाकर लोगों को समझाया, उनसे कहा कि आप लोग प्रशासन के साथ भाईचारे का रवैया अपनायें। ऐसा काम न करें लेकिन मौके पर स्थिति बिगड़ गई, वहां पर वाहन फूंके गए, रोड जाम हो गई। यह स्थिति बिगड़ी इसलिए थी कि मृतक के परिवार पर जाकर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। बाद में पता चला जब हम लोगों की बात हुई, प्रशासन ने हमसे कहा कि कैसे करके भी स्थिति को संभालो। हम लोगों ने जनता से हाथ जोड़े और कहा कि प्रशासन वाले भाई हैं, अगर कहीं कोई गलती हुई है तो चलकर उनसे बात की जायेगी लेकिन फिलहाल ऐसा कोई काम न करो, जिससे जो पीड़ित परिवार है, उस दिशा से काम हट जाए। इसमें अनुरोध यह है कि बाद में वहां पर 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा कर दिया प्रशासन ने, जबकि मौके पर बात यह आई थी कि ठीक है, इसको संभाला जाए, गलती हो गई और इनके परिवार को जो भी मदद होगी वह की जायेगी तो यह मेरा अनुरोध यह है मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से जो पीड़ित परिवार हैं, उसमें एक मृतक है अनमोल शर्मा पुत्र भिखन्न सिंह, दूसरे हैं कपिल शर्मा पुत्र नौरतन सिंह, उसमें जो नौरतन सिंह वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। मौके पर जब हम लोग गये थे, तो हृदय विदारक स्थिति थी, वह आदमी बैठा हुआ था, उससे पूछो कि तुम्हारा बेटा कहां है तो वह कह रहा था कि मेरा बेटा काम करने गया है तो स्थिति यह है कि उस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है तो इसमें हम कह रहे हैं कि जो मृतक परिवार है उसकी कुछ आर्थिक मदद हो जाए और जो मुकदमा हुआ है उसे वापस ले लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, आप कुछ कहेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, जहां कहीं ज्यादती हुई है, उसके लिए खेद है और उसमें जो भी दोषी होंगे, हम देखेंगे कि क्या उनके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। आगे की कार्यवाही के लिए कहते हैं कि कार्यवाही करायेंगे और निष्पक्ष करायेंगे और जितनी कार्यवाही की आवश्यकता होगी उतनी करायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस सूचना पर सम्बन्धित माननीय सदस्य चौ0 गजेन्द्र सिंह तथा मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि जो मृतक है और जो घायल है उसमें सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान कर दी जाय।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, नियमों के अन्तर्गत इसमें जो सहायता संभव होगी इसमें कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। अगली सूचना श्री वीरपाल की है जो प्रदेश में चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत चकों से काटी गयी जमीनों का किसानों को मुआवजा दिलाने के सम्बन्ध में है। इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं। अगली सूचना श्री जय प्रकाश निषाद की है जो जनपद गोरखपुर के थाना खोराबाद के ग्राम रामनगर कर्जहा में दिनांक 1-6-2012 को श्री अवधेश कुमार के अपहरण के उपरान्त हुई मौत से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इस पर भी शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

श्री जय प्रकाश निषाद-

मान्यवर, मेरा इसमें कहना यह है कि दिनांक 1-6-12 को श्री अवधेश कुमार का अपहरण हुआ उसकी पूरी सूचना थानाध्यक्ष और उच्चाधिकारियों को दी गयी लेकिन उनके द्वारा उस पर ध्यान नहीं दिया गया और अगले दिन 2 तारीख को उसकी हत्या थाना मदनपुर देवरिया जिला के अन्तर्गत कर दी गयी। अगर समय रहते पुलिस प्रशासन ने कार्यवाही कर ली होती तो उसकी जान बचायी जा सकती थी। मान्यवर, जो नामजद लोग हैं वह आज भी खुलेआम घूम रहे हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है न कोई कार्यवाही की जा रही है। मैं चाहता हूं कि इसमें गिरफ्तारी हो और कानूनी कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष-

इनका प्रश्न यह है कि एफ0आई0आर0 हुई है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इसमें जो भी उचित कार्यवाही होगी, की जायेगी। इसको अवश्य हम दिखवायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। अब आप बैठ जायें।

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा †

श्री अध्यक्ष-

अब वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा जारी करते हैं। इसमें मा0 मुख्य मंत्री जी अपराह्न 3.00 बजे अपना उत्तर देंगे। इसलिए पांच-पांच मिनट में मा0 सदस्यगण अपनी बात कह लेंगे।

---

† दिनांक 5 जून, 2012 की कार्यवाही से।

सुश्री अनुप्रिया पटेल-

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी एवं इस सम्मानित सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों का अभिवादन करते हुए मैं अध्यक्ष जी की आभारी हूं कि मुझे बजट पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया है।

मान्यवर, यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने अपार समर्थन देकर समाजवादी पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया है। किन्तु यह भी सत्य है कि अपार समर्थन अपने साथ अपार आकांक्षायें लेकर आता है। चूंकि मान्यवर, इस सरकार को हर वर्ग का अपार समर्थन मिला है इसलिए हर वर्ग के प्रति सरकार की जिम्मेदारी हो गयी है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण के पृष्ठ संख्या-3 पर इस बात को स्वीकार भी किया है कि हर वर्ग के अन्दर उत्थान अपने का सार्मथ्य पैदा करने इसके लिये वह संकल्पबद्ध है। मान्यवर, इस सोच के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहती हूं। मान्यवर, इस बजट की प्रेषित प्रति को देखने के बाद कुछ बिन्दुओं पर निश्चित रूप संशय का भाव मेरे मन में पैदा हुआ है। मैं उन बिन्दुओं पर संक्षेप में अपने विचार इस सम्मानित सदन के समक्ष रखना चाहूंगी।

मान्यवर, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों की बात करना चाहती हूं। मान्यवर, आज भी हमारे प्रदेश के बहुत बड़ी संख्या में किसान साक्षर नहीं हैं। इसलिए सरकार द्वारा इनके हित में जो कल्याणकारी योजनायें लागू की जाती हैं उनके बारे में उनको जानकारी नहीं हो पाती है और जब हमारें यह किसान भाई खण्ड विकास कार्यालयों में जाकर इन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वहां पर तैंनात अधिकारी और कर्मचारियों से उन्हें असहयोग के अलावा कुछ नहीं मिलता है। जिसके फलस्वरूप इन जनकल्याणकारी योजनाओं में सरकार जो भी धनराशि आवंटन करती है वह पूरी तरह से खर्च नहीं हो पाती है और साल के अन्त में ऐसी नौबत आती है कि जो धनराशि सरकार द्वारा किसानों को मिलनी चाहिए हकीकत में सिर्फ इन अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच उसकी बंदरबांट हो जाती है। मेरी वर्तमान सरकार से यह मांग है कि इन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी किसानों तक पूर्ण रूप से पहुंचना सुनिश्चित करें। जिससे वह इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। इस संदर्भ में आप कोई कठोर कदम उठायें। पृष्ठ संख्या-10 पर वर्तमान सरकार ने किसानों के लिए ऋण राहत योजना की चर्चा की है और सहकारी बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों की कर्ज माफी के लिए उन्हें राहत प्रदान करने की दृष्टि से 500 करोड़ की धनराशि का आवंटन भी सुनिश्चित किया है लेकिन मैं इस संदर्भ में कहना चाहती हूं कि भारी संख्या में ऐसे किसान हैं जो केवल सहकारी बैंकों से नहीं बल्कि साहूकारों से, महाजनों से, गैर सरकारी बैंकों से कर्ज लेते हैं और उसे अदा न कर पाने की सूरत में आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते हैं। ऐसे किसानों के संदर्भ में सरकार की क्या सोच है ? किस प्रकार से ऐसे किसानों को ऋण राहत प्रदान की जायेगी ? इस संदर्भ में इस बजट में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है।

इतना ही नहीं पृष्ठ संख्या-10 पर भूमि सेल योजना की चर्चा की गयी है जिसके अन्तर्गत ऊसर बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाकर किसानों के बीच आवंटित करने की बात कही गयी है। मेरा सरकार से निवेदन है कि भूमि आवंटन हेतु पात्रों के चयन में पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित की जायेगी इसको भी सरकार इस सदन के समक्ष स्पष्ट करे और इस योजना के अन्तर्गत 47.83 करोड़ रुपये

की जो धनराशि आवंटित की गयी है वह अपर्याप्त है उसकी वृद्धि करने के सम्बन्ध में भी सरकार विचार करे। पृष्ठ संख्या-13 पर ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति हेतु अलग से ग्रामीण विद्युत फीडर लगाने की भी चर्चा की गयी है लेकिन बजट में कितनी धनराशि इसके लिए आवंटित की जायेगी इसका कोई जिक्र नहीं है। पृष्ठ संख्या-23 में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति हेतु 41 हजार नये हैण्डपम्प, 41 हजार रि-बोर और 800 पाइप वाटर सप्लाई स्कीम की भी चर्चा की गयी है लेकिन पुनः इस योजना के लिए धनराशि आवंटन का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसे में यह संशय उत्पन्न होता है कि इन योजनाओं को क्रियान्वयन कैसे संभव बनाया जायेगा। जहां तक 41000 हैण्डपम्प की बात है। मैं माननीय अध्यक्ष जी और माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगी कि 403 विधान सभाएं हैं और अगर हम बराबरी से बांटने की बात करें तो एक विधान सभा क्षेत्र को हम सिर्फ 100 हैण्डपम्प उपलब्ध कराने की योजना बना रहे हैं जो पूरी तरह से अपर्याप्त है। क्योंकि अगर मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो जितना मैं जनता के बीच गई हूं और गांव-गांव सम्पर्क किया है, उसके आधार पर 500-600 हैण्डपम्प की आवश्यकता तो केवल इसी विधान सभा में है और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अन्य सदस्यगण जो अलग-अलग विधान सभाओं से चुनकर इस विधान सभा में आये हैं उनकी विधान सभाओं में भी हैण्डपम्प की आवश्यकता 100 से कहीं अधिक होगी इसलिये 41000 हैण्डपम्प की संख्या में वृद्धि पर आप विचार करें। पृष्ठ संख्या-32 पर सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की स्थापना के जरिये 4 लाख रोजगार के अवसर पैदा किये जायेंगे इसका उल्लेख भी किया गया है किन्तु एक बार फिर इस योजना के लिये आवंटित धनराशि का कोई उल्लेख नहीं है।

जहां तक माननीय मुख्य मंत्री जी की छात्र-छात्राओं को लैपटाप और टैबलेट्स बांटने की योजना है, वह बहुत अच्छी है। सूचना क्रान्ति घर-घर तक पहुंचे, आप इसके पक्षधर हैं हम भी इसके पक्षधर हैं लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जरूर जानना चाहूंगी कि क्या सिर्फ दसवीं-बारहवीं पास छात्र-छात्राओं को टैबलेट्स और लैपटाप बांटने से सूचना क्रान्ति फैलाने के जिस उद्देश्य को हम पूरा करना चाहते हैं, क्या वह उद्देश्य पूरा हो जायेगा। इन टैबलेट्स और लैपटाप के लिये आपरेटिंग स्किल्स की ट्रेनिंग किस माध्यम से दी जायेगी, ऐसा भी सरकार सुनिश्चित करे। अन्यथा जिस उद्देश्य से हम टैबलेट्स और लैपटाप को बांटने की बात कर रहे हैं वह उद्देश्य पूरा नहीं हो पायेगा। मान्यवर, वर्तमान सरकार कन्या विद्या धन की बात कर रही है और अगर मेरी जानकारी सही है तो एक विशेष वर्ग की छात्राओं को कन्या विद्या धन का लाभ देने की सरकार की योजना है। मैं इस संदर्भ में यह कहना चाहती हूं कि इस सरकार को हर वर्ग का समर्थन मिला है और इसलिये किसी भी छात्रा के साथ इस कारण भेदभाव नहीं होना चाहिये कि वह किसी एक विशेष वर्ग से आती है। सरकार की नजरों में किसी भी वर्ग से आने वाली हर छात्रा हर बच्ची बराबर है और इसलिये इस कन्या विद्या धन की योजना को हर वर्ग की छात्राओं के लिये समान रूप से लागू किया जाये। यही मेरे चन्द सुझाव हैं और मैं आशा करती हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय इन सुझावों पर ध्यान देंगे और बजट में जिन योजनाओं के लिये धनराशि आवंटित नहीं की गयी है ऐसी योजनाओं के लिये कितनी धनराशि आवंटित की जायेगी, इसकी सदन को पूरी जानकारी दी जायेगी। इन्हीं चन्द शब्दों के साथ यहीं अपनी बात समाप्त करते हुए माननीय अध्यक्ष जी को पुनः धन्यवाद देती हूं, आभार प्रकट करती हूं। धन्यवाद।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री हेमराज वर्मा का नाम पुकारे जाने एवं संसदीय कार्य मंत्री के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायें, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बोलना चाहते हैं।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

आज सबसे निवेदन करके दो मिनट मैं लेना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, यही जगह थी, नेता प्रतिपक्ष जहां बैठे हैं, यही रूत, यही जमाना था यहीं से हमने मोहब्बत की इब्तदा की थी। 1980 में मैं जब पहली बार यहां आया था। मान्यवर, मैं समझता हूं क्योंकि नौजवानों का प्रतिनिधित्व बहुत अच्छा है, बहुत से सदस्य ऐसे होंगे जो शायद 1980 में या तो बहुत मासूम होंगे या पैदा नहीं हुये होंगे। मैं अपने यहां रामपुर में लोगों से कहता हूं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जोड़ने वाला पुल हूं मैं। मान्यवर, जो संस्कार हमने उस वक्त देखे थे और जो मान्यताएं देखी थीं, इस सदन का जो स्तर देखा था वह मान्यवर, यह था कि एक सवाल पर हम बहुत बिफर गये थे, तिवारी जी मुख्य मंत्री हुआ करते थे वह हाउस से निकले और बाहर निकलकर मेरा इन्तजार करने लगे। मैं अपनी लॉबी में चला गया था, मुख्य मंत्री जी वहां खड़े रहे और मुझे वहां से बुलाया। मुझे अपने साथ लेकर गये और समझाने की कोशिश की, मैं समझा नहीं समझा वह सवाल अलग का है। वीर बहादुर सिंह जी मुख्य मंत्री थे, ऐसा ही कुछ उनके और मेरे साथ हुआ। एक दूसरे के साथ रिश्ते रखना, एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करना, एक दूसरे के सवाल को सुनना और सुनकर अगर उसका हल न निकल सके तो उसका दिल न टूटे, कभी ऐसा भी जमाना था और ऐसी भी तहजीब थी सदन की। बड़ा सम्मान मिलता था एक से दूसरे को और विपक्ष के बहुत से काम उन रिश्तों की बुनियादों पर हुआ करते थे। हमने बहुत खोया मान्यवर, उजाला बहुत बढ़ गया इस सदन में, जब हम आये थे तो इसमें पीले बल्ब लगे होते थे, बहुत सी रोशनियां नहीं थीं, यह ट्यूबलाइट्स बाद में आई, मान्यवर, रोशनी तो कम थी मगर उस कम रोशनी में चमक बहुत थी। आज बहुत रोशनी है लेकिन उजाला कम है।

न साथ देंगी, यह दम तोड़ती हुई शमें,
नये चिराग जलाओ कि रोशनी कम है।

बहुत जरूरत है मान्यवर, नयी सोच की, नये इतिहास के शुरूआत की। बहुत खोया है लोगों ने, राजनैतिक ताकत की बुनियाद पर लोगों ने बहुत खोया है। बहुत अपमान हुआ है इस समाज का, बहुत दिल दुखे हैं लोगों के और मेहनत की गाढ़ी कमाई को बरबाद किया है लोगों ने। मान्यवर, मुल्क की आजादी से पहले और मुल्क की आजादी के बाद अगर लोगों का एहसास कहीं आप तोलना और नापना चाहेंगे तो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिन्दुस्तान में इस बात को मानने वाले लोगों की तादाद शायद ज्यादा होगी कि गुलाम हिन्दुस्तान में बहुत सी चीजें आजाद हिन्दुस्तान से बेहतर थीं। मानवता थी एक दूसरे के रिश्ते थे जिनका हल्का सा जिक्र आज हमने किया आपके सामने। हम अभी महामहिम श्री राज्यपाल के पास कुछ सवालों को लेकर गये थे, उन्होंने भी कुछ बातें रखीं कि पार्लियामेंट में एक दूसरे से बहस के दौरान मुंह से झाग निकलने लगता था लेकिन जब सदन के बाहर निकलते थे तो मात्र एक सांसद के साथ प्रधान मंत्री हाथ में हाथ देकर कहते थे कि चलो गुस्से का वक्त खत्म हो गया अब चलकर चाय पियेंगे लेकिन आज हम मिटा देना चाहते हैं उस विरोधी को और

उस विरोध को। संविधान में और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था ने हमारे जम्हूरी निजाम ने आजादी के लिए लड़ने वाले लोगों ने, किसने लड़ाई लड़ी बापू ने। गांधी समाधि पर बापू की लगी प्रतिमा को नीला कर दिया गया नीले रंग से, बापू नीले हो गये। बापू नीले हो गये लेकिन बहुजन समाजी नहीं हुए क्योंकि वह पहले से ही बहुजन समाजी थे। क्योंकि बापू ने जो यह कम कपड़ा पहना था वह इसलिये नहीं पहना था कि बापू कम कपड़ा पहनने में कोई बड़ी शान समझते थे लोग कहते हैं कि बापू ढोंगी थे, एक ऐसा विचार भी है यहां। मैं कहता हूं कि इतनी लम्बी आजादी के 6 दशक गुजर चुके दूसरा ढोंगी क्यों नहीं पैदा हो सका। कोई ऐसा व्यक्ति पैदा क्यों नहीं हो सका जिसने दूसरों की टट्टी और पाखाना उठाया हो। एक दूसरा ढोंगी हिन्दुस्तान क्यों पैदा नहीं कर सका जो राऊरकेला के फसाद में जाकर मुख्य मंत्री से यह शर्त रखे कि मैं ऐसे मकान में जाकर रहूंगा जो मुसलमान का मकान होगा। मेरा खाना पकाने वाला हिन्दू नहीं मुसलमान होगा और जब मैं फसादज़दा इलाके में जाऊंगा तो मेरे साथ राज्य की सुरक्षा नहीं होगी। उस घोषणा के बाद हिन्दू-मुसलमान दोनों बापू के पास आये और दोनों ने अपनी गलती की माफी चाही और राऊरकेला का ऐतिहासिक फसाद बापू के जाने से थम गया। यह बापू का एक दिन का चरित्र नहीं था। कोई बापू या कोई व्यक्ति एक दिन, एक रात, एक हफ्ता, एक महीना, एक वर्ष में नहीं बनता। सदियां लगती हैं किसी को बनने के लिये, लेकिन बिगड़ने के लिए मात्र कुछ क्षण चाहिए होता है। इसलिए मान्यवर, नये सदस्यों की मौजूदगी में चाहे वह विपक्ष हो या पक्ष हो यह बात आनी चाहिए कि विपक्ष का महत्व, उसकी अहमियत, उसका वकार, उसकी इज्जत बहाल नहीं रहेगी तो मुल्क जम्हूरियत से दूर हो जायेगा और तानाशाही जम्हूरियत का हिस्सा हो जायेगी। यही वजह है कि नेता सदन के सामने नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी होती है, यही वजह है कि नेता सदन की तरह का माइक भी उधर होता है और यही वजह है कि हमारी व्यवस्था में यह तय है कि जब नेता प्रतिपक्ष खड़े होंगे तो सबके अधिकार शिथिल हो जायेंगे। यही वजह है कि जितना समय चाहेंगे नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे। विपक्ष इंसाफ के तराजू के दो पलड़ों की तरह है, तभी देश में बापू का सम्मान होगा और तभी देश में लोकतंत्र जिन्दा रहेगा। लोग आयेंगे, चले जायेंगे बहुत बड़े-बड़े लोग पीर पैगम्बर पैदा हुए, संत महात्मा पैदा हुए लेकिन एक नाम बाकी था, एक नाम बाकी है और वह एक ही नाम बाकी रहेगा, बाकी सब आने वालों का चला जा रहा है। इतिहास छोड़कर जायेंगे लोग, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके जाने के बाद लोग उन्हें याद करेंगे। पता नहीं इस सदन में कौन ऐसा शख्स बैठा है जो आने वाले कल का इतिहास बनने वाला है जो आने वाला कल उत्तर प्रदेश का सम्मान व उसकी इज्जत बनने वाला है और यह नहीं मालूम कि इस सदन में कौन ऐसे बैठे हैं जो आने वाले कल के कलंक बनने वाले हैं। यह भी नहीं मालूम कि कौन-कौन लोग यहां ऐसे बैठे हैं आजादी के इन सालों में और बिगड़ी हुई व्यवस्था के इन वर्षों में, जो करोड़ों लोगों को दुःख पहुंचाने का सबब रहे हैं, उसका कारण रहे हैं।

इतिहास नहीं रुकेगा किसी के लिए न इतिहास का पहिया रुकेगा न इतिहासकारों का कलम रुकेगा और यह विदित रहे, यह पूरा प्रदेश सुन ले और देश तथा पूरी मानवता जान ले कि इतिहासकार का कलम सिर्फ इतिहास की आंखें देखती हैं, व्यक्तियों की आंखें इतिहासकार का कलम नहीं देखती हैं। इतिहासकार जिस कलम से लिखता है वह कलम जब सच लिखता है तो सच उगलता है। इसलिए मैं चाहता हूं मान्यवर, कि हम सब तो मिट्टी के बने हुए लोग हैं, मिट्टी में चले जायेंगे, कोई जलकर चला जायेगा, कोई दफन होकर चला जायेगा लेकिन आज इतना जरूर कहना चाहते हैं कि-

''दुश्मनी जमकर करो लेकिन यह गुंजाइश रहे,
जब कभी हम दोस्त बन जायें तो शर्मिन्दा न हों।।''

बहुत कुछ देखा है, बहुत अच्छे और बुरे जमाने देखे हैं, दंगे देखे हैं, फसाद देखे हैं, लुटते हुए और उजड़ते हुए लोग देखे हैं। यहां गुस्से देखे हैं, यहां खून बहता हुआ देखा है, एक दूसरे को लड़ता हुआ देखा है। बात गुजरे दिनों की बहुत तल्ख यादें हैं, सुखद यादें भी हैं लेकिन इंसान की फितरत यह है कि जो अच्छा उसके साथ गुजरता है, बहुत तेजी से गुजर जाता है, लेकिन कड़ुवाहट के लम्हे शरीर पर ठण्डक रखिये, बर्फ का टुकड़ा रख दीजिए और हटा लीजिए तो बर्फ की ठण्डक का एहसास कुछ क्षणों में खत्म हो जायेगा। लेकिन इसी शरीर पर अगर अंगारा रख दीजिए तो अंगारा शरीर के नीचे से निकल जायेगा और गहरा जख्म बन जायेगा बहुत पीड़ा करेगा वह सड़ जायेगा, उससे बदबू आयेगी। समाज प्रदूषित होगा क्यों नहीं सोचा कि अंगारे हाथ में लेकर चलने वाले लोग अंगारों से मर्ज का इलाज करने वाले लोग यह क्यों भूल गये कि सब कुछ बदल गया, तकनीक बदल गई, साइंस बदल गई, विचार बदल गये। पहले जले हुए को किसी गर्म चीज से सहलाया जाता था जिसके आबले पड़ जाते थे उसे गर्म चीज से उन आबले को साफ किया जाता था। गर्म चीज का गर्मी में दबाया जाता था। लेकिन साइंस ने यह साबित किया कि वह इलाज गलत था। गर्म चीज के लिये ठण्डक की जरूरत है, इसीलिये वर्षों से कहता हूं कि आग कभी आग से नहीं बुझती, आग के लिये पानी की जरूरत होती है। जख्म कभी नश्तर से ठीक नहीं होता मरहम की जरूरत है और नफरत के लिये सिर्फ नदाबत और मोहब्बत के आंसुओं की जरूरत है। इसके बिना कभी समाज में प्यार पैदा नहीं हो सकता और जो नफरत से समाज को सुधारना चाहते हैं जो समाज के टुकड़े-टुकड़े कर देना चाहते हैं, बांट देना चाहते हैं, वर्गों में बांट कर इंसान को इंसान से दूर कर देना चाहते हैं वह कभी इतिहास का हिस्सा नहीं बनते मान्यवर और यह भी याद रहे कि भारत के इतिहास में जो कुछ हुआ उसे अच्छे और बुरे के नाम से जाना गया।

बादशाह आये, 1 हजार नंगे घोड़ों की पीठों पर बैठकर मुगल आये। सैकड़ों साल हुकूमत की मुगलों ने, लेकिन मुगल रह नहीं सके क्योंकि जब इंसाफ नाइंसाफी में तबदील हुआ और जब इंसाफ की कुर्सी से नाइंसाफी हुई तो सैकड़ों साल की साम्राजियत के परखच्चे उड़ गये और सात समन्दर पार से एक काफिला आया जिसने हमसे कहा कि हम कारोबार करेंगे और वो हिन्दुस्तान के मालिक बन गये। गलतियां हुई थीं, इंसाफ करने वाले लोगों ने जब इंसाफ नहीं किया तो इतिहास ने उनके नाम तो लिखे लेकिन इतिहास ने यह भी लिखा कि इनमें से कौन मुन्सिफ था कौन गैर मुन्सिफ था। इसीलिये मान्यवर, यह बताना चाहता हूं कि कुतुबमीनार बहुत ऊंची बनी। बड़े-बड़े किले बने और यहां तक कि ताजमहल बना। यह अकेला नहीं था मान्यवर ताजमहल। इस ताजमहल को बनाने वाले शहंशाह का अंजाम क्या हुआ, पत्थरों के किले बनाने वालों के अंजाम क्या हुए। बहादुर शाह जफर जिन्हें हमने हिन्दुस्तान की आजादी के लिये प्रतीक बनाया था सारे नवाब और बादशाह जो भी नाम के राजा थे, बादशाह थे, उन सबने मिलकर अंग्रेजी साम्राजियत के खिलाफ लड़ने के लिये एक मुगल सल्तनत के एक बूढ़े बादशाह को अपनी अलामद बनाया था और वो वक्त भी गुजरा, मुगल सल्तनत का कि बादशाह के शाही फरमान लाल किले के दरबार से जारी होते थे और सिर्फ लाल किले की दीवारों के अन्दर ही दम तोड़ दिया करते थे। चारों तरफ अंग्रेजों की फौज थी, अंग्रेज पूरी तरह से दाखिल हो चुका था, पूरी दिल्ली पर कब्जा हो चुका था लेकिन बादशाही फरमान जारी थे। इतिहास को पढ़ेंगे लोग और जानेंगे तो सबक मिलेगा मान्यवर, और राजनीति में तानाशाही करने वाले लोगों को अपने कद

बहुत बौने नजर आयेंगे। अपने हाथों से किये हुए जुल्म का अंजाम ये यह चाहेंगे कि अपने हाथों से इन हाथों को कलम कर दें जिन हाथों से इंसाफ न दिया हो उन्होंने।

मान्यवर, यही वजह हुई कि जिन्होंने इंसाफ नहीं किया था ऊपर वाले ने भी इंसाफ नहीं किया फिर उनके साथ और जब इंसाफ नहीं किया तो वहीं इंसाफ था। जामा मस्जिद की सफील पर उसकी सीढ़ियों पर खड़े होकर एक बादशाह का बेटा यह कहता है कि हमारे दादा ने क्या सोचकर जामा मस्जिद यहां बनाई थी। इतनी ऊंची जामा मस्जिद बनाई, इतनी ऊंची सीढ़ियां बनाई। दुश्मन यहां आ जायेगा, यहां तोपें फिट करेगा तो किला तोपों की जद में होगा और कब्जा कर लेगा हमारे किले पर जब यह बात औरंगजेब को पता चली कि उन्हीं के बेटे ने कहा है कि हमारे दादा ने, हमारे पूर्वजों ने यह जामा मस्जिद इतनी ऊंची क्यों बनाई ? उसी वक्त औरंगजेब ने पेशगोई की कि मुगल सल्तनत का चिराग गुल होने वाला है। जिस मुगल सल्तनत का शहजादा दुश्मन को जामा मस्जिद की सीढ़ियों तक आने देगा देश गुलामी से नहीं बच सकता। मान्यवर, हम इतिहास से कोई सबक नहीं लेंगे, इतिहास से कोई सीख नहीं लेंगे ? कभी नहीं सोचा था अंग्रेज ने कि वह हिन्दुस्तान को छोड़कर चला जायेगा। उसने लखनऊ का हजरतगंज जाने के लिए नहीं बनाया था, दिल्ली का कनाट प्लेस जाने के लिए नहीं बनाया था, कलकत्ता के बाजार जाने के लिए नहीं बनाये थे, गोआ की अय्याशगाहें उसने जाने के लिए नहीं बनाई थीं, वह नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसके जाने का कारण भी उसकी नाइंसाफी और जुल्म था और वह जुल्म यह था कि आजादी का नारा लगाने वाले भगत सिंह को फांसी इसलिए दे दी गई कि अदालत के अन्दर एक बम फूटा था जो किसी की जान लेने के लिए नहीं था। नहीं किया था इंसाफ अंग्रेज ने, काकोरी काण्ड में इंसाफ नहीं किया था अंग्रेज ने, इसलिए बगावत हुई थी मान्यवर, और वह बगावत जो किसी बड़े मकसद के लिए हो उस बगावत को अंजाम तक पहुंचना होता है। इसलिए आज के सियासतदानों से भी यही कहना चाहूंगा और इस सदन में खासतौर से जिन्होंने चार बार सत्ता का सुख भोगा है। पांच बरस, जिनकी सत्ता गुजरे हुए कल की रही है। उनको याद रखना चाहिए कि सत्ता रहती नहीं है, कभी सत्ता आती है और कभी चली जाती है और इतिहास कुछ लोगों को बागी के नाम से याद रखता है और कुछ लोगों को राक्षसों के नाम से याद रखता है। (मेजें थपथपाई गईं)।

मान्यवर, मैं नेता सदन को उनके एहसास को इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहूंगा कि किसान बहुत कमजोर हैं हमारे प्रदेश का। पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है और यह हमारा सौभाग्य है आज जो इस ऊंची कुर्सी पर बैठे हैं एक ऐसे इलाके के रहने वाले हैं जहां के लिए हर बात शब्द-शब्दशः साबित होती है जैसा मैं कह रहा हूं। आपके यहां का किसान आपके यहां का मजदूर मेरे ख्याल से उस सम्पन्न व्यक्ति के पशु से ज्यादा बदतर तरीके से रहता है। क्योंकि मेमसाहब का कुत्ता तो गोद में सोता है रात को, मेमसाहब का कुत्ता जमीन पर नहीं उतरता है, नरम बिस्तर में सोता है लेकिन गरीब का बच्चा, गरीब की बेटी, गरीब का बेटा, गरीब की मां और गरीब का बाप दवा की एक गोली के लिए तरस जाता है और वह मर जाता है गोली नहीं मिलती इसलिए कि जो कमाकर लाया है उससे तो घर का पूरा पेट भी नहीं भरता है। उसके लिए एक लाख रुपये के बजाय पांच लाख रुपया कर देना ....

(मेजें थपथपाई गईं)

यह इंसान की तकलीफ और उसके एहसास को रुपये की गड्डियों, चांदी की चमक और सोने के पिलर से नहीं तोला जा सकता है। एहसास से नापा जाता है। कभी-कभी एक शब्द इंसान को मजबूर कर देता है कि उसकी आंखों से आंसू की लड़ी बह जाए, वह दिल को छू जाता है, पूरे-पूरे इतिहास सुना दीजिए किसी को अच्छा नहीं लगता है और किसी का एक शब्द इतना बुरा और इतना अच्छा लगता है। मान्यवर, एक वाक्या हुआ मौलाना हसरत मोहानी के साथ, इतिहास पढ़ा है मैंने विधान सभा का तो मालूम हुआ विधान सभा के मेन गेट से जहां से अब हम बहुत कम आते हैं इस दरवाजे से, एक शख्स दाखिल हुए, वह पहली बार विधान सभा आये थे उन्होंने देखा कि भीड़ जा रही है और जो भी पीछे से तेज-तेज आता है वह उस भीड़ के पीछे लग जाता है आगे नहीं बढ़ता है। इन्हें बड़ी जिज्ञासा हुई और उन्होंने पूछा कि कौन साहब हैं। मैं बता रहा हूं क्या रिश्ते थे यहां यह विधान सभा इंसानी रिश्तों की गवाह है, कैसे थे लोग, मानवतायें कैसी थी यहां, कैसे इंसान की कद्रो-कीमत थी यहां कैसे एक दूसरे की लाज रखते थे और कैसा हुआ है गुजरे हुए पांच बरस, कैसे जुल्म अपमान के गुजरे हैं पांच बरस, यह सोचकर दिल में दर्द होता है।

मान्यवर, उन्होंने उस भीड़ से पूछा यह कौन साहब हैं, मालूम हुआ मौलाना हसरत मोहानी जी जा रहे हैं खजाने का पैसा है, मुझे याद है अच्छी तरह जब इलाहाबाद की रैली हो रही थी, मैं नेता जी के साथ था और मैंने नेता जी से कहा कि नेता जी आज कह दीजिए इन लोगों से कि एक वे लोग थे जिन्होंने तुम्हारी मेहनत की गाढ़ी कमाई को, तुम्हारे खून को, तुम्हारे पसीने को और खजाने का वह पैसा जो तुम्हारे खेत-खलिहान के लिए था जो तुम्हारी खाद के लिए था, तुम्हारे पानी के लिए था, ट्यूबवेल के लिए था, तुम्हारे गांव की नाली के लिए था, मोहल्ले की पुलिया और सड़क के लिए था, मरीज की दवा और इलाज के लिए था, कारखाना बनाने के लिए था, वह पैसा तो पत्थरों के हाथी बनाने में खर्च हो गया। खजाने का यह पैसा इन्सानियत और इन्सानों पर नहीं बल्कि उन पत्थरों पर खत्म हो गया जो हाथी अगर पैर रख दे तो कोरस का हाथी साबित हो जिससे कुछ मिल नहीं सकता, खोया जा सकता है। इसलिए आज घोषणा कर दीजिए कि यह खजाना तुम्हारा है, तुम्हारी अमानत, तुम्हारे हवाले और जब यह घोषणा हुई मान्यवर, तब परिवर्तन आया। यह पांच लाख रुपये की घोषणा उत्तर प्रदेश के खजाने के उस एहसास की घोषणा है, आज जिसके बदलाव को यहां देखा जा सकता है। बेरोजगारी का भत्ता, मान्यवर, यह एहसास का भत्ता है, इसका हरगिज यह मतलब नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार हर बेरोजगार को रोजगार दे देगी। आप सत्ता में थे, इस सच्चाई से हमें कहीं भी इत्तिफाक था, न रोजगार आप दे सकते थे, पूरी तरह, न रोजगार हम दे सकते हैं, पूरी तरह और न रोजगार कोई और दे सकता है। लेकिन उस बेरोजगार की तकलीफ का एहसास तो कर सकता है। वह मर न जाय इसके लिए उसके हाथ पर एक ढेला तो रख सकता है। अगर उसका हर गम दूर नहीं कर सकता तो किसी एक गम में कमी तो कर सकता है। इसलिए मान्यवर, कोशिश तो यह होगी कि बेरोजगार को रोजगार मिले लेकिन जब उसे पूरी तरह से हम रोजगार देने में कामयाब न हो सकेंगे तो बेरोजगारी का भत्ता देते हैं क्योंकि खजाना उसका है और खजाना उसके लिए है। जमीन की कीमत कितनी है आज, इसका एहसास भट्टा परसौल में हो गया होगा।

मान्यवर, छोटा सा ही सही कुछ उपजाऊ, गैर उपजाऊ जमीन का मैं भी मालिक हूं, अगर आज मुझसे कोई एक इंच जमीन भी मांगेंगा तो मैं इस सदन में कहता हूं कि अगर मेरी मर्जी होगी तो मुझसे ले सकता है अन्यथा मैं जान दे दूंगा लेकिन एक इंच जमीन नहीं दूंगा क्योंकि उस जमीन से मेरा रिश्ता है, उस जमीन से मेरा वास्ता है। क्या हुआ था मान्यवर, सरहदें खोल दी गयी थीं, 1947 में, धर्म के नाम पर देश के दो टुकड़े हो गये थे। ''आधी रोटी खायेंगे, पाकिस्तान बनायेंगे'' का नारा लगा था। क्यों लगा था, एक लम्बा इतिहास है। बापू ने तो कहा था, दे दो सत्ता, अगर जिन्ना प्रधान मंत्री बनना चाहते हैं तो बना दो, लेकिन इतिहास उसके बाद के इतिहास को भी जानता है, जिसे आज कहने की जरूरत नहीं है क्यों कहा था ? इसलिए कहा था क्योंकि उन्हें मालूम था कि यह शख्स कितने दिन जीने वाला है।

बापू देश का बंटवारा नहीं चाहते थे। बापू ने कहा था कि यह हमारी लाश पर होगा और जब बंटवारे की घोषणा हुई थी तो वह कौन शख्स था जो बापू के पास गया था और जाने के बाद कहा कि बापू ''यू टू'', बापू तुम भी तैयार हो गए ? उसका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें सरहदी गांधी कहा जाता था। वह भी बापू की गोद में फूट-फूट कर रोये थे कि बापू अब देश खून में नहा जायेगा और वही हुआ। सरहदें खोल दी गईं, जाने वाले लोग चले गये, आने वाले लोग आए, मान्यवर, लेकिन करोड़ों लोग वह हैं जिन्होंने पाकिस्तान के नारे को नाकाम कर दिया और पाकिस्तान उतने लोग नहीं गये जितने लोगों से पाकिस्तान बन सकता था, नहीं बना पाकिस्तान। वह क्यों रहे यहां क्योंकि यह उनका वतन था। कुछ भारत मां कहते हैं, कुछ मादरे वतन कहते हैं, कुछ मदर लैण्ड कहते हैं। वह अपनी मां को छोड़कर, अपनी मादरे वतन को छोड़कर नहीं जा सके क्योंकि उन्हें गलियां अजीज थीं, उन्हें अपने मोहल्ले अजीज थे, अपने मकानों की टपकती हुई छतें अजीज थीं, अपने घरों की कच्ची मिट्टी की दीवारों से आने वाली सोंधी खुशबू उन्हें अजीज थी, अपने मैदान अजीज थे, अपने खेत-खलिहान अजीज थे, इसलिए नहीं गये मान्यवर। इसलिए मान्यवर, किसान की जमीन न बेची जाये इसके लिए 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। 30 हजार रुपया बच्चियों को उनकी पढ़ायी के लिए या उनकी शादी के लिए और मान्यवर, एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय जो जब भी जमाने याद करेंगे तो उसे अच्छे शब्दों से याद करेंगे। जिस व्यवस्था में इंसान पशु बन जाये आजाद हिन्दुस्तान में इंसान जानवर बन जाये, रिक्शा चलाये। अनपढ़ है, यह नहीं जानता कि रिक्शा चलाते वक्त उसके फेफड़ों का क्या होगा। रिक्शा चलाता है, बीड़ी निकालता है, माचिस निकालता है, बीड़ी पीता है और उसके फेफड़ों में टी0बी0 और कैंसर हो जाता है। बहुत सरकारें आयी और चली गयी सोचा होगा लेकिन हिम्मत नहीं की। इसके लिए मजबूत इरादे चाहिए और जिनके पास मजबूत इरादे होते हैं उनके साथ इतिहास चलता है और यह फैसला जो उत्तर प्रदेश में समाज का एक ऐसा कमजोर वर्ग जो इंसान होकर भी जानवर की जिन्दगी गुजारने के लिए मजबूर हैं।

मान्यवर, जरा सी बात लम्बी होती है। जब 1977 में मैंने वकालत शुरू की, अक्सर देर हो जाती थी। मेरे पास उस समय कोई सवारी नहीं थी। रिक्शा बहुत आम थी और जब मैं सदन में पहली बार विधायक होकर आया था तो यहां मैंने कहा था रिक्शा से चलने को शान समझा जाता था। किसी के पास मोटर नहीं थी आप भी गवाह हैं। एक आध साथियों के पास विलीस थी जो मिलिट्री की आक्सन हुआ करती थी, वह मिला करती थी। बस वह होती थी। उसे भी हम अच्छी निगाह से नहीं

देखते थे। मान्यवर, मैं अक्सर बाहर निकलता तो देखता था कि एक 80-85 साल के बुजुर्ग एक लम्बी सी बड़ी दाढ़ी, वह रिक्शा लिये खड़े होते थे। मैं आगे बढ़ जाता था और सड़क पर इंतजार करता था कि कोई रिक्शा वाला गुजरे तो मैं उस पर बैटूं। कई दिन यह वाकया गुजरा और एक दिन उन्होंने मेरे पास आकर कहा कि बेटे क्या मैं तुमसे जान सकता हूं कि तुम मेरे रिक्शा में क्यों नहीं बैठते। मैंने कहा चचा मुझे आपके रिक्शा में बैठने में शर्म आती है आप बहुत बुजुर्ग हैं। उसने कहा बेटे अगर हर शख्स मेरे बारे में यही सोच ले तो मेरे बच्चों को रोटी नहीं मिलेगी। वह भूखे मर जायेंगे। मान्यवर, मुझे बैठना पड़ा। मान्यवर, समाज बहुत दुखी है। लोग तजुर्बों की जिन्दगी गुजारते हैं लेकिन उन तजुर्बों से सबक नहीं लेते। मैं जब श्रम मंत्री था, मैं खुर्जा गया, अलीगढ़ जाना था। मैं खुर्जा की एक पाटरी में गया उस कारखाने में जहां बहुत मासूम छोटे-छोटे बच्चे अपने फेफड़ों की ताकत से उन भट्टियों में काम करते थे। मैंने उन बच्चों को वहां पकड़ा, उनकी रिपोर्ट करायी। तब यू0पी0 बटा नहीं था उत्तर प्रदेश निवास में जाकर ठहर गया। थोड़ी देर के बाद मालिकान आये और उन्होंने मुझसे कहा कि मुकदमा वापस ले लीजिए। बच्चों को छुड़वा दीजिए, हम बच्चों के बगैर कारखाने नहीं चला सकते। एक तरफ हमारे सामने उसूली जिन्दगी थी। बाल श्रमिक बच्चों को काम नहीं करने देंगे। लेकिन मान्यवर, रात साढ़े बारह बजे होंगे मुझे जानकारी हुयी कि कुछ महिलायें खुर्जा से मिलने के लिए आयीं हैं। मैंने उन्हें बुलाया और उनसे बात की। उन्होंने मुझसे बहुत कहा कि बच्चे छुड़वा दीजिए। हमने कहा कि नहीं हम मुकदमा कायम करेंगे, बच्चों को नहीं छोड़ेंगे। मैं नहीं जानता कि सदन मेरी बात का क्या संज्ञान लेगा। मैं नहीं जानता कि मैं यह बात कानून के खिलाफ या कानून के हक में कह रहा हूं लेकिन मैं वह बात कह रहा हूं जिसके लिए इंसानियत के सामने हमेशा सवालिया निशान खड़ा रहता है। उन औरतों ने कहा कि अगर तुम इन बच्चों को नहीं छोड़ोगे तो हमारे घर में रोटी का इंतजाम नहीं हो सकता। हमारा शौहर नहीं है हमारे पास दूसरा बेटा नहीं है। हमारी जवान बेटी है अगर तुम यह बच्चा नहीं छोड़ोगे तो हम तुमसे यह कहकर जाते हैं कि हम अपनी बेटी को पेशे के लिए बैठा देंगे। जाहिर है कि इतना कहना हमारी रूह और इंसानियत के लिए काफी था। सारे बच्चों को छोड़ दिया। मान्यवर, सामाजिक कुरीतियों और गरीबी के इन मसाइल को हल करने के लिए एक बड़े नाजुक अहसास की जरूरत है जो हर किसी के पास नहीं होता है। उनके पास नहीं होता जो अपने जन्म दिन हीरों और मोतियों से लदकर मनाते हैं और फिर दलित की बेटी कहते हैं। यह रिक्शा वाले को उसका रिक्शा लेकर और बैटरी और सोलर से चलने वाली रिक्शा सरकार के पैसे से देने का इतना बड़ा फैसला है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में न कभी गरीब के लिए ऐसा फैसला हुआ होगा, न आने वाले इतिहास में होगा। आखिरी बात कहना चाहता हूं मान्यवर और वह मेरा जातीय दर्द है। आप सब जानते हैं मैं अलीगढ़ का पढ़ा हुआ हूं और वहां कभी मैं अपने बुजुर्गों से उस्तादों से सुनता था कि चश्में सैय्यद चश्म कहते हैं आंख को, ''चश्में सैय्यद निगरां हैं कि फिर उठे शायद'' यानी वह आंखें देख रही हैं-

''चश्में सैय्यद निगरां हैं कि फिर उठे शायद,
कोई दीवाना अलीगढ़ के बिया-बानों से।''

उस वक्त हमारा यह दिल चाहता था कि जो यह शेर कह रहा है, हम उसकी ताबीर बन जाएं। दिल चाहता था कि शिक्षा के मैदान में कुछ काम करें। मान्यवर, हमारी कोई गैस एजेन्सी नहीं है, हमारा कोई पेट्रोल पम्प नहीं है, हमारी कोई फैक्ट्री नहीं है, हमारी कोई कोठी कोई बंगला नहीं है। हमने बहुत दयानत और मेहनत से अपनी जिन्दगी गुजारी है, लेकिन एक छोटा सा ख्वाब देखा था, जिसकी ताबीर बहुत बड़ी थी और वह छोटा सा ख्वाब उस दिन देखा था जब यहां नेता मुलायम सिंह यादव जी बैठे थे और मैं संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर बैठा था। मैंने चुपके से कान में कहा कि नेता जी, मैं एक विश्व विद्यालय बनाना चाहता हूं, 'बनाओ, बनाओ' आप जानते हैं इसी तरह बोलते हैं नेता जी, बनाओ, मैंने उसका कानून तैयार किया और यहीं इसी कुर्सी पर बैठकर उन कागजों पर जहां-जहां मैं उंगली रखता गया, यह हमारे विश्वास के रिश्ते थे और विश्वास एक दिन में पैदा नहीं होता, पूरी जिन्दगी की कुर्बानी चाहिए होती है। उसके लिए जहां-जहां उंगली रखते गये मान्यवर, नेता जी वहां-वहां दस्तखत करते गये। वह बिल पेश हुआ, वह बिल पास हुआ, यह अलग बात है कि महामहिम ने उस पर दस्तखत नहीं किये, इसी सदन में वह बिल वापस हुआ और दूसरा एक निजी विश्वविद्यालय का बिल पास हुआ। मान्यवर, मैं दामन फैलाकर निकला, मैं हाथ फैलाकर निकला और मुझे यहां पर रहने के लिए एक प्लाट मिला था, वह प्लाट मैंने अपनी तनख्वाह से खरीदा था, लेकिन जितने में खरीदा था, वह उससे ज्यादा में बिका था। मैंने उस प्लाट को बेचकर अपने उस छोटे से सपने को साकार करने के लिए, अपनी बच्चों के लिए जमीन नहीं खरीदी, उनके लिए मकान नहीं खरीदा, कपड़े नहीं बनाये, मान्यवर, आज भी मेरे बच्चे एक आम इन्सान की जिन्दगी गुजारते हैं। मैंने उन पैसों से जमीन खरीद कर एक विश्वविद्यालय का छोटा सा सपना देखा था बस, उस सपने पर बुल्डोजर चलाये थे इन्होंने, डाके डलवाये थे इन्होंने हम पर डकैती के मुकदमें कायम कराये थे, हम पर हरिजन ऐक्ट के 25 मुकदमें, हमारे ऊपर 58 मुकदमें कायम हुए।

मान्यवर, हमारा जी चाहता था कि हम आत्महत्या कर लें, इसलिए कहता हूं कि आप इन्सानों के नहीं, आप आसमान वाले के मुजरिम हो और जो सजा आपको मिली है वह बहुत कम है, बहुत कम है वह सजा मान्यवर, वह विश्वविद्यालय मान्यवर, किसी एक का नहीं था और इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि उसको बनाने में ज्यादा पैसा हिन्दू समाज का है, हिन्दू भाइयों का है। मैंने खत लिखा था मुख्य मंत्री जी को कि मुझे इजाजत दी जाय इस विश्वविद्यालय को चलाने की मैं आपको हलफनामा दूंगा कि मैं इसमें एक मुसलमान बच्चा और बच्ची दाखिल नहीं करूंगा, लेकिन आखिर हिन्दू बच्चों ने क्या गुनाह किया है, उन्हें क्यों नहीं पढ़ने देते, दलितों ने क्या गुनाह किया है, पिछड़ों ने क्या गुनाह किया है। वह सपना मेरी जिन्दगी का हिस्सा है। यह मेरी आंखों की नमी, मेरे दिल का दर्द बहुत कीमती है। मान्यवर, मैं इस सपने के साथ जिन्दा हूं और अगर यह सपना पूरा नहीं होने वाला है तो मैंने अपने मालिक से दुआ की है कि मैं जिन्दा नहीं रहना चाहता, मैं जीना नहीं चाहता। यह साम्प्रदायिकता का सपना नहीं है मान्यवर, यह फिरकापरस्ती का सपना नहीं है, वहां कोई मदरसा नहीं बन रहा है, वहां टेक्निकल इन्स्टीट्यूट्स बन रहे हैं, वहां एक इन्जीनियरिंग कालेज चल रहा है, लेकिन ए0आई0सी0टी0 के माध्यम से, मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के माध्यम से नहीं। पांच वर्ष तक उन खामोश इमारतों पर जो जुल्म किये हैं लोगों ने और उन एहसासात पर जो ज्यादतियां की हैं मान्यवर, उसका इतिहास गवाह है। इन 5 सालों में वहां पर कितने बच्चे और बच्चियां डिग्रियां लेकर

निकले होते, कितनों के हाथों में डिग्रियां होती, अपनी रोजी रोटी का इंतजाम कर रहे होते, उनके मुंह से टुकड़ा छीना है, उनकी शिक्षा को अशिक्षा में बदला है, उनकी तालीम को जिहालत में बदला है इन्होंने, उनकी जिन्दगियों में आने वाली रोशनियों को अंधेरों में बदला है। वो झोपड़ियां जो कल घर बन सकती थीं उन्हें मिसमार किया है इन्होंने और मान्यवर, इनकी सरकार ने उन 5 बरस में, उस बरस का इतिहास किसी एक कौम की शिक्षा के मैदान में दौड़ते हुए घोड़े को रोक देने के बराबर है। उन 5 बरसों के जुल्म ने मुसलमानों को 50 बरस पीछे कर दिया है।

ऐसे मुजरिमों को जैसा मैं कहता हूं कि जमीन वाला नहीं, आसमान वाला सजा देता है। वक्त है अभी भी वक्त है मान्यवर, सुधरने का और संभलने का और जब तक हम अपनी गलतियों का एहसास नहीं करेंगे, हम अपने आपको गलतियों से दूर नहीं करेंगे, इन सभी मिले जुले एहसास के साथ अपनी भावनाओं के साथ, अपने उस दर्द के साथ जो 5 बरस हमने कभी वहां बैठ के सहा। मान्यवर, हमारे साथ तो बहुत कुछ हुआ। हमने उसूलों की जिन्दगी में कभी उसूलों से समझौता नहीं किया। कभी दिन को रात और रात को दिन नहीं कहा और कभी सोने के कंगन किसी से मांगने नहीं गये और जो मांगना चाहते थे वो मिला नहीं। आज फिर दौर बदला है, फिर हालात बदले हैं और उम्मीद करते हैं और संदेश देना चाहते हैं उन कमजोर लोगों को जो शिक्षा के मैदान में बहुत पीछे हैं कि बहुत जल्द वो दिन आने वाला है जब मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय का उद्घाटन होगा।

और वहां से वो एक बहता हुआ पानी जो रोक दिया गया था, वो एक अच्छी और खूबसूरत धार बनकर ठण्डक पैदा करेगा और समाज को एक अच्छा संदेश देगा। मैं मा0 मुख्य मंत्री के इस बजट भाषण की और उनके एहसास की सराहना करता हूं और उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं कि उनके सामने सियासी जिन्दगी का एक बहुत लम्बा सफर है और उस लंबे सफर में वो कामयाब होंगे। उत्तर प्रदेश के कमजोर और गरीबों के लिये आगे आने वाले दिनों में और कुछ करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, वह सूची गयी हुयी है। 3 बजे मा0 मुख्य मंत्री जी को बोलना है तब तक अन्य मा0 सदस्यों को बुलवा लें। वो सूची गयी है।

श्री अध्यक्ष-

हां, वही, वही, वही।

*श्री त्रिभुवन राम-

मा0 अध्यक्ष महोदय, आपने आज मुझे मा0 नेता सदन द्वारा जो दिनांक 01 जून को विधान सभा में जो बजट अभिभाषण पेश किया गया था, उसके सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है। इसके लिये मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूंगा। मान्यवर, मैं दो तीन बातों पर ही आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैं मा0 मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मा0 मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण में बुनकरों के लिये 50 करोड़ का आर्थिक पैकेज रखा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया है। इसमें कहा गया है कि प्राथमिक हथकरघा समितियों, शीर्ष सहकारी समितियों तथा व्यक्तिगत बुनकरों का ऋण माफ किया जायेगा।

(इस समय 1 बजकर 55 मिनट पर अधिष्ठाता प्रो0 शिवाकान्त ओझा पीठासीन हुए)

मान्यवर, 33 करोड़ 25 लाख रुपये की धनराशि 17 हजार बुनकरों को एकीकृत हथकरघा विकास के लिए प्राविधानित की गयी है और 127.6 करोड़ रुपया पावरलूम बुनकरों के बिजली के बकाये के लिए एक मुश्त धनराशि की व्यवस्था की गई है। मान्यवर, मैंने अपने क्षेत्र में देखा है हजारों की संख्या में बुनकरों की आबादी है और उनका जीविकोपार्जन हथकरघा ही है। आज हथकरघा व्यवसाय मृतप्राय हो गया है और यहां तक की क्षेत्र से लोग पलायन कर रहे हैं। हथकरघा पड़ा हुआ है और चलाने वाले कोई नहीं हैं। मान्यवर, मैं इस पर केवल एक निवेदन करना चाहता हूं कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने इनके ऋण माफ करने की तो व्यवस्था कर दी है, लेकिन ऋण माफ करने के बाद यदि बुनकरों द्वारा हथकरघा को चलाया जाता है। अगर बुनकर उसको अपने जीविकोपार्जन का साधन बनाते हैं तो मान्यवर, उनके द्वारा जो कपड़े तैयार किये जायेंगे क्या उनकी मार्केट के लिए कोई व्यवस्था हो रही है।

मान्यवर, समस्या यह है कि पहले बड़े-बड़े व्यवसायी हथकरघा के माध्यम से साड़ियां और कपड़े बनवाते थे, लेकिन आज स्थिति बदल गई है, अब पॉवरलूम और टैक्सटाईल मिलों के माध्यम से साड़ियां तथा अच्छे कपड़े जो बनवाये जाते हैं, उनकी फिनिश अच्छी होती है और वह हाथ से बने हुए कपड़ों से सस्ते पड़ते हैं। मान्यवर, यही कारण है कि आज उनके लिए कोई मार्केट नहीं मिल रही है और मार्केट की अभाव में मरने की कगार पर आ गये हैं, ये बुनकर लोग। मान्यवर, मैं केवल आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बुनकरों के लिए कोई न कोई मार्केट सृजित की जाए क्योंकि अगर वह कपड़े बनाते हैं तो उसके लिए कोई मार्केट नहीं मिलती है और अगर मार्केट नहीं बनती है तो उनकी समस्या जैसी की तैसी बनी रहेगी और वे पलायन करते रहेंगे। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मेरा एक छोटा सा निवेदन भी है कि अभी मा0 मुख्य मंत्री जी ने कक्षा-8 तक के बच्चों को, दो वस्त्र वार्षिक रूप से देने की बात कही है। मैं केवल इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि अगर यह वस्त्र जो बच्चों को दिया जा रहा है इसमें यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि हाथ से जो बने हुए हथकरघे से जो बने हुए कपड़े हों। अगर उनको एक नीति बनाकर, रोजी-रोटी दे दी जाए तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा उनके साथ न्याय होगा। मान्यवर, दूसरी बात मेरी बेसिक शिक्षा पर है। मान्यवर, राइट टू एजूकेशन जो भारत सरकार ने योजना चलाई है जिसमें 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजूकेशन देने की बात कही गई है। मा0 मुख्य मंत्री जी ने 33109 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था बेसिक शिक्षा के लिए की है जो 24 प्रतिशत पिछले साल की अपेक्षा अधिक है। मान्यवर, राइट टू एजूकेशन भारत सरकार की नीति है और पिछले साल उत्तर प्रदेश में लागू की गयी थी जिसमें यह वास्तविकता है कि सभी बच्चों को बेसिक शिक्षा दी जाए, 14 साल तक के बच्चों को, उसमें शासन, सरकार तथा जो अभिभावक हैं उनकी भी भूमिका बराबर की होती है। मान्यवर, मैं आपका ध्यान ड्राप आउट्स की तरफ ले जाना चाहूंगा। अभी नेशनल यूनिवर्सिटी आफ एजूकेशन प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन की एक रिपोर्ट आई है, यह मान्यवर, जुलाई, 2010 की रिपोर्ट है, जिसमें यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में 12.7 प्रतिशत ड्राप आउट्स है और

मान्यवर, इसमें एक और डाटा दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में पहली कक्षा में जो बच्चे एडमीशन लेते हैं और दसवीं तक पहुंचते-पहुंचते लड़के 47 प्रतिशत और लड़कियां 56 प्रतिशत, दसवीं कक्षा पास नहीं कर पाते। इस प्रकार से 50 प्रतिशत ड्राप आउट्स की बात कही गई है। मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, इस ड्राप आउट की रोकथाम के लिए कोई व्यवस्था की जायेगी सरकार द्वारा। मान्यवर, आपने 5 वर्ष से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए कक्षाओं में एडमीशन देने की बात कही है लेकिन जो ड्राप आउट की बात है उसकी रोकथाम की बात भी सरकार द्वारा होनी चाहिए। मान्यवर, होता क्या है जैसे ही बच्चा बड़ा होता है मां बाप उसे खेत खलिहान में काम पर लगा देते हैं और वह बच्चा एक तरह से स्कूली शिक्षा से फिर ड्राप आउट हो जाता है। इसकी रोकथाम की व्यवस्था होनी चाहिए। मान्यवर, जब आप फीस दे रहे हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए उनकी किताबों के लिए और उनके लिए दो ड्रेस भी दे रहे हैं तो उनके ड्राप आउट की रोकथाम की व्यवस्था भी होनी चाहिए। मान्यवर, अप्रैल माह से कक्षाओं में प्रवेश शुरू हो गये हैं अगर समय से उनको सब सुविधायें मिल जायेंगी तो निश्चित रूप से वह बच्चे फिर कक्षाओं में पढ़ने के लिए आयेंगे और स्कूलों में एडमीशन ले लेंगे। मान्यवर, अगर आप एजूकेशन को बढ़ावा देना चाहते हैं तो जो भी सुविधायें और फीस की सुविधा देने की बात सरकार द्वारा कही गयी है उसे तुरन्त दे दिया जाये तो निश्चित रूप से बच्चों के एडमीशन हो जायेंगे। वरना उसका अंजाम यह होगा कि वह ड्राप कर जायेंगे फिर उनसे बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत आयेगी।

मान्यवर, इसी तरह से एक बात यह कहना चाहूंगा कि जो विद्युत विभाग की व्यवस्था है उसमें स्थिति यह है कि गांवों में बहुत से निवासियों ने अपने घर बना लिये हैं और उनके घर के ऊपर से ओवरहेड हाईटेंशन बिजली की लाइनें जा रही हैं उससे रोजाना तमाम दुर्घटनायें हो रही हैं। मैं चाहूंगा कि उसके सम्बन्ध में सरकार की ओर से कोई नीति बना दी जाये और दूसरा अल्टरनेट यह हो सकता है कि उन निवासियों को उस घर से हटाकर उन्हें दूसरी जगह बसा दिया जाय उन्हें ग्राम समाज की भूमि मकान के लिए दे दी जाय और उन्हें मकान बनाने के लिए अनुदान दे दिया जाये या फिर उन ओवरहेड हाईटेंशन विद्युत लाइनों की गार्डिंग करा दी जाये तो उससे वहां पर दुर्घटनायें नहीं होंगी। आपको धन्यवाद।

श्री विजय मिश्र-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे आय-व्ययक की साधारण चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया है।

उत्तर प्रदेश की 16वीं विधान सभा में समाजवादी पार्टी के युवा मुख्य मंत्री द्वारा इस वर्ष जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह ऐतिहासिक है। उत्तर प्रदेश के संसदीय इतिहास में यह पहला अवसर है जबकि प्रदेश के बजट को एक सकारात्मक दिशा दी गई है जिससे कि प्रदेश की प्रगति के रास्ते ही नहीं खुलेंगे बल्कि प्रदेश का राजनैतिक परिदृश्य भी बदलेगा। पूर्व की सरकारें जो भी उत्तर प्रदेश में रही हैं उसकी आर्थिक सोच संकुचित और व्यक्तिवादी रही है। समाजवादी संस्कार विरासत में पाने वाले मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव के व्यक्तिगत निर्देशन में जो बजट तैयार किया गया है वह उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति की दिशा एवं दशा को बदल देगी।

पहली बार प्रदेश में सूचना क्रांति के माध्यम से जो प्रगति का ब्योरा बजट में तैयार किया गया है उससे प्रदेश का औद्योगिकीकरण ही नहीं होगा वरन् यहां की कार्य संस्कृति का महौल भी बदलेगा। इस प्रकार से यह उत्तर प्रदेश की सामाजिक रूढ़िवादिता को नये रूप से आधुनिक परिवेश में बदलने का एक सार्थक प्रयास है।

समाजवादी पार्टी ने जो चुनावी वादे किये उनका अपना एक दर्शन है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी द्वारकाधीश ने पिछले 40 वर्षों में जो देखा है, उनके अनुभवों पर आधारित है तथा उनकी सोच को समाजवादी पार्टी ने अपने वादों के रूप में प्रचारित किया था जिनको कि युवा मुख्य मंत्री ने सार्थक स्वरूप दिया है। 5 साल की इस सरकार में हम यह देखेंगे कि उत्तर प्रदेश इस देश के विकास में अन्य प्रदेशों यथा गुजरात, महाराष्ट्र एवं आन्ध्र प्रदेश से भी आगे निकल जायेगा।

युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना, कम्प्यूटर अथवा लैपटाप टेबलेट देना युवाओं के लिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं में उत्साह उत्पन्न करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में इन यंत्रों का प्रयोग करने का जो प्रयास है वह निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र की सोच एवं मानसिकता को बदलेगी।

किसानों के लिए इस बजट में विशेष प्रबन्ध किये गये हैं। किसानों की कर्ज माफी सामन्तवादी समाज पर एक करारा आघात है। यह सोच समाजवादी पार्टी के नेता एवं उनके उत्तराधिकारी की ही हो सकती है। किसानों के लिए जिस प्रकार से ऊर्जा, सिंचाई आदि के लिए बजट में आवंटन किया गया है वह भी सराहनीय है और जो विपक्ष की सरकारें हैं उनके लिए एक नसीहत लेने वाली है। उत्तर प्रदेश की 80 प्रतिशत जनता गांव में बसती है उसकी ओर भी इस बजट में निगाहें गई हैं।

चिकित्सा, शिक्षा एवं शहरी विकास के लिए भी बजट में समुचित प्रबन्ध किये गये हैं जिससे कि निश्चित रूप से इस प्रदेश की तस्वीर बदलेगी। गम्भीर रोगों की जो मुख्य मंत्री जी, आपकी जो व्यक्तिगत घोषणा है, आर्थिक मदद दी जायेगी यह बहुत ही अच्छा और प्रदेश के लिए एक अच्छा संदेश है कि गरीबों की सेवा चाहे गुर्दे की हो, चाहे हार्ट की हो वह निःशुल्क रूप से की जायेगी। पूंजी निवेश के क्षेत्र में भी नये अवसर प्रदान किये जाने के प्रयास किये गये हैं। प्रदेश की औद्योगीकरण से रोजगार के नये अवसर प्राप्त होंगे तथा ऊर्जा के क्षेत्र में भी विशेष एवं सराहनीय व्यवस्था की गयी है। समाजवादी पार्टी द्वारा ऊर्जा के क्षेत्र में किये जाने वाले इन प्रयासों से निश्चित रूप से प्रदेश में स्वतः ही औद्योगीकरण का माहौल बनेगा जिससे कि आर्थिक, सामाजिक स्थिति में आमूलचूक परिवर्तन होगा। समाजवादी पार्टी का सदस्य होने के पहले इस प्रदेश का नागरिक हूं। हम माननीय मुख्य मंत्री को इस बजट के लिए बधाई देते हैं और यह आशा करते हैं कि आने वाले समय में प्रदेश का चहुमुखी विकास दिखायी देगा और जनता पुनः अगले 5 वर्षों के लिए आपके हाथ में सत्ता की बागडोर संभालने हेतु देगी। प्रदेश में कानून व्यवस्था एवं अराजकता के विषय में बहुजन समाज पार्टी का जो लम्बा शासन रहा है इसे निचले स्तर पर जाकर देखना होगा। बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल के दौरान समाज के किसी वर्ग को कोई सुविधा नहीं मिली तथा उनको अनावश्यक रूप से प्रताड़ित किया गया। राजनैतिक प्रतिद्वन्दिता की भावना से कार्य किये गये। फर्जी मुकदमें चलाये गये। इस बारे में पुलिस प्रशासन एवं पूरा प्रदेश ही वास्तविकता को जानता है। इस प्रकार की प्रताड़ना से कोई भी सरकार दुबारा वापस नहीं आ सकती और न ही उसका भविष्य उज्जवल हो सकता है।

अभी जैसा कि हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा उनके साथ जो भी उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की उनके विरुद्ध अनावश्यक फर्जी मुकदमें लगाये गये, रामपुर के कार्यों में मान्यवर, उस कालेज में अवरोध उत्पन्न किया गया उससे हम सहमत हैं और माननीय आजम खां साहब को बताते हैं कि उससे कम पीड़ा हमें नहीं दी गयी। उत्तर प्रदेश में ऊर्जा की कमी के लिए कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी दोषी रहे हैं। उनकी गलत नीतियों के कारण ही आज बिजली का संकट व्याप्त है। इस बजट में बिजली की जो व्यवस्था की गयी है उससे उत्तर प्रदेश में ऊर्जा का परिदृश्य बदलेगा और यहां पर नये-नये कल कारखाने लगाने हेतु उद्योगपति आकर्षित होंगे और प्रदेश का चौमुखी विकास होगा। माननीय श्री आजम खां साहब ने कहा उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की कि वह तो आत्महत्या करना चाहते थे। मैंने उनको देखा है, सुना है 2007-2008 में जब वह अपनी याचना कर रहे थे उस बिल में मांग कर रहे थे कि हमारा विश्वविद्यालय बनाया जाय उसी समय बुल्डोजर वहां चलाया जा रहा था। जिसमें मुझे यातना दी गई है। एक मात्र भदोही का उप चुनाव था 2009 में माननीय श्री मुख्य मंत्री जी जानते हैं उस चुनाव में, केवल वह चुनाव समाजवादी पार्टी जीत गयी और यह सहन पूर्व मुख्य मंत्री जी को नहीं हुआ और मुझे इतनी यातना दी गयी, मेरे परिवार के खिलाफ ऐसे-ऐसे गम्भीर धाराओं में मुझे नामित कर दिया गया जिससे मुझे फांसी हो सकती है ऐसे-ऐसे गम्भीर जुर्म मेरे ऊपर मेरी पत्नी के ऊपर जो जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं, गोली चलवा दी गयी वह बच गयीं, मेरा लड़का अमेरिका में पढ़ता है हारवर्ड यूनिवर्सिटी में उसके विरुद्ध यहां मुकदमें लिखाये गये थाना गोपीगंज जनपद भदोही में। मेरे परिवार के खिलाफ माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके पास भेज रहा हूं करीब 40 से 45 फर्जी मुकदमें 304 के फर्जी लिखाये गये। विधान सभा ज्ञानपुर में इस हिसाब से वहां ट्रांसफारमर दिये गये, आप माननीय मुख्य मंत्री जी सुन नहीं सकेंगे, 70-70 ट्रांसफारमर वहां एस0डी0एम0 अन्जनी सिंह ने जलवा दिया और कहा गया कि जो बसपा को वोट देगा उस गांव में ट्रांसफारमर लगेगा। मुझे इतनी यातना दी गयी, मेरी बेटी को वहां प्रचार तक करने नहीं दिया गया और उसकी बिना महिला पुलिस के तलाशी ली जाती थी इसके अलावा जितने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे उनको गुण्डा एक्ट में निरुद्ध कर दिया गया। फिर भी माननीय श्री मुख्य मंत्री जी के आशीर्वाद से मुझे जीत मिली और हम भारी बहुमत से जीतकर आये और इसके लिये हम माननीय श्री मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं। पूज्य श्री द्वारिकाधीश जी, माननीय श्री मुलायम सिंह जी का, आदरणीय पूज्य प्रोफेसर साहब का, माननीय श्री शिवपाल जी का जिन्होंने इतनी गम्भीर धाराओं के बावजूद भी मुझ पर विश्वास रखा और समाजवादी पार्टी का टिकट दिया और मैं आप लोगों के बीच में आ सका, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं।

मैं एक चीज और चाहता हूं शिक्षण संस्थाओं में पूर्व मुख्य मंत्री की मिलीभगत से और पूर्व के मंत्रियों द्वारा चाहे माध्यमिक शिक्षा रहा हो, चाहे उच्च शिक्षा रहा हो, इनके विद्यालयों को बिना पैसे के अनुमोदन नहीं दिया गया है और उनको मान्यता प्रदान नहीं की गयी है, ऐसे स्कूल 500 से हजार होंगे। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ आप एफ0आई0आर0 लिखाने की कृपा करेंगे ताकि शिक्षा जगत जो एक मन्दिर के रूप में लिया जाता है, उसकी पवित्रता बनी रहे। इन लोगों

की जगह जेल होना चाहिए, उनकी जगह मैं जेल में हूं और वह अभी भी बाहर घूम रहे हैं। मान्यवर, माननीय नेता शत्रु दल इस समय नहीं हैं, हम उनसे भी जानना चाहते हैं कि पूर्व चीफ सेक्रेट्री मिश्रा जी किन हालातों में इस्तीफा देकर चले गये थे। नेता शत्रु दल से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किन हालातों में आपने उन्हें प्रताड़ित किया था, आप यह बताने की कृपा करें। आखिरी बात कहना चाहता हूं कि प्रतापगढ़ रायबरेली जेल में मुझे पता चला कि लल्ला मौर्या का इन्काउन्टर आपने किस हालत में किस पुलिस से करवाया अगर उसकी सी0बी0आई0 जांच हो तो निश्चित ही नेता शत्रु दल उसमें फंस जायेंगे। हमारे कार्यकर्ता थे उपेन्द्र शुक्ला जी, हमारे ज्ञानपुर छात्रसंघ के अध्यक्ष रहे हैं, उनकी हत्या कर दी गयी, मैं उनकी हत्या की सी0बी0आई0 जांच की मांग करता हूं। वह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, हमारे नेता रहे हैं। उनकी हत्या की जांच होनी चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।

(डा0 अरुण कुमार जी का नाम पुकारे जाने पर वह उपस्थित नहीं थे)

*श्री बजरंग बहादुर सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने माननीय मुख्य मंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी के बजट भाषण पर बोलने का मुझे मौका दिया, मैं उसके लिये आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जब इस सदन के अन्दर एक तारीख को इस प्रदेश के लोकप्रिय मुख्य मंत्री द्वारा प्रदेश की जनता के नाम यह संदेश पढ़ा जा रहा था कि प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिये, प्रदेश की जनता के विकास के लिये विभिन्न क्षेत्रों में काम किया जायेगा और निश्चित रूप से सरकार ने इस किताब के माध्यम से बहुत सारे क्षेत्रों में धन देने का भी काम किया है उस पर कार्य करने की योजना भी बनाई है। लेकिन आज जो प्रदेश के हालात हैं चाहे शिक्षा के हालात हों, शिक्षा के क्षेत्र में इन 10-20 सालों के अन्दर भारी गिरावट आई है। प्राथमिक शिक्षा एकदम खराब हो गयी है हम इसलिये बताना चाहते हैं जो किताबों में लिखा है उससे अलग धरातल पर स्थित यह है कि आज एक भी प्राइमरी विद्यालय के अन्दर कोई भी टीचर, कोई पढ़ाने की व्यवस्था निश्चित रूप से दिखाई नहीं देती है। उसकी कोई भी जांच करा ली जाए तो निश्चित रूप से दस बच्चे नहीं मिलेंगे उसके पीछे निश्चित रूप से गार्जियनस का यह दृष्टिकोण है कि प्रदेश के जो सरकारी विद्यालय हैं उसमें पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ऊर्जा के क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी ने पद संभालते हुए कहा कि मैं प्रदेश के नौजवानों के लिए प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए शाम को 6 बजे से 10 बजे रात तक बिजली दी जाएगी, इसको अखबारों ने भी छापा था, प्रिंट मीडिया ने छापा था, इलेक्ट्रानिक मीडिया ने छापा था और उसके दूसरे दिन से ही पूरे प्रदेश की बिजली व्यवस्था ध्वस्त हो गई, कहीं बिजली नहीं मिल रही है। मेरे विधान सभा के अन्दर 10 बजे से 5 बजे तक बिजली आ रही थी, रात्रि को 9 बजे से 5 बजे तक बिजली आ रही थी, उसके बाद से हमारे विधान सभा में हाहाकार मच गया मुख्य मंत्री के इस वक्तव्य के बाद पूरे प्रदेश की बिजली व्यवस्था ध्वस्त हो गई। मान्यवर, आप विद्युत व्यवस्था सुधारना चाहते है मेरे विधान सभा के अन्दर दो जे0ई0 काम करते हैं मेरे विधान सभा के अन्दर दो लाइनमैंन काम करते हैं, उस

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्षेत्र में साढे तीन लाख लोग रहते हैं बिजली की जर्जर व्यवस्था को दो लाइनमैन के भरोसे कैसे ठीक किया जा सकता है, इस पर सरकार का ध्यान जाना ही चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, समय कम है, कृपया समाप्त करें।

श्री बजरंग बहादुर सिंह-

वहीं दूसरी तरफ मेरे विधान सभा के अन्दर विद्युत व्यवस्था को ठीक करने के लिए वर्ष 2011-12 के अन्दर मैंने एक करोड़ उनसठ लाख रुपए स्वीकृत कराया था, उससे 10 गांव के लिए आठ सौ पोल देने का काम हुआ था। बहुत सारे पोल खड़े हो गये हैं लेकिन वर्तमान सरकार ने उसे रोक दिया है। निश्वित रूप से आप अगर बिजली व्यवस्था सुधारना चाहते हैं तो जो योजनाएं चालू हैं उनको चालू रखने की आपकी जिम्मेदारी है। वहीं दूसरी तरफ मैं एक विधायक हूं और मैंने पांच साल के अन्दर अपनी विधायक निधि का साढे तीन करोड़ रुपया विद्युत विभाग को देने का काम किया है। विद्युत विभाग से बिजली लगवाने के लिए मैंने यह राशि देने का काम किया था लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों ने साढे तीन करोड़ का काम आज तक पूरा करने का काम नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें। कांग्रेस से पंकज मलिक जी आप शुरू करें।

श्री पंकज कुमार मलिक-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा जो नौजवानों के लिए 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा पास करके आगे पढ़ना चाहते हैं उन्हें लैपटॉप और टैबलेट की सुविधा उपलब्ध कराने का काम किया गया है, इसका हम स्वागत करते हैं। साथ ही एक अनुरोध आपके माध्यम से सरकार से करना चाहता हूं बहुत से छात्र- छात्राएं 12वीं कक्षा पास करके उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि जब मैं पिछली बार इस सदन का सदस्य था तो मैं एक छात्र भी था। मैं भलीभांति जानता हूं कि छात्रों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब छात्र 12वीं का इम्तहान दे करके रिजल्ट का इन्तजार करता है तो उस समय यह तय नहीं हो पाता कि सभी बच्चों को उच्च शिक्षा में दखिला मिल पायेगा या नहीं। मेरा अनुरोध है कि टैबलेट और लैपटॉप के साथ-साथ सभी को उच्च शिक्षा देने का काम किया जाए। साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्र के छात्र-छात्राएं आते हैं उन्हें महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में दाखिला देने का काम किया जाए। मान्यवर, मैं उस किसान के बारे में बात करना चाहता हूं कि जो हम लोगों को आपको और सभी को धरती का सीना चीर करके अन्न देने का काम करता है। मा0 मुलायम सिंह जी और मा0 अखिलेश जी भी गांव से आते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, अब आप कृपया समाप्त करें। माननीय मुख्य मंत्री जी को भी बोलना है।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, पूरी बात तो सुन लीजिए, आप बड़े दयालु हैं, कृपा करके मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा। किसानों के बारे में मैं बात कर रहा था। हर राजनीतिक मंच पर किसान के दर्द की बात की जाती है, उसके आंसू को पोछने की बात की जाती है, लेकिन सही मायने में उसका दर्द कम नहीं किया जाता। मैं जानता हूं और बजट देख करके यह अहसास हुआ कि कुछ प्रयास इस सरकार के द्वारा किया गया लेकिन जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, शामली, प्रबुद्धनगर, सहारनपुर पूरा कृषि पर आधारित क्षेत्र है। वहां के किसानों के लिए मैं तो कहूंगा कि पूरे प्रदेश के किसानों को बिजली फ्री कर दी जाए जो कनेक्शन में दिक्कत होती है, सबके कनेक्शन फ्री कर दिये जायें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य समाप्त करिये। श्री रविदास मेहरोत्रा जी अपनी बात शुरू करिये।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, एक सीमा तय की गयी है लिमिट्स में कनेक्शन दिये जाते हैं। मेरा अनुरोध है, आपके माध्यम से सरकार से कि हर किसान जो आवेदन करे उसको बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने का काम करें। मेरा जिला जहां से मैं आता हूं नया जिला बना है वहां एक ब्लड बैंक की स्थापना की जाए। इसी के साथ मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, प्रदेश की जनता ने पिछली भ्रष्ट, जालिम, अलोकतांत्रिक और दमनकारी सरकार को सत्ता से हटा करके उत्तर प्रदेश में बड़ी उम्मीद एवं विश्वास के साथ विशाल बहुमत की सरकार बनायी है। मान्यवर, पिछले 5 सालों में जुल्म और अत्याचार करने की सारी सीमायें टूट गयी थीं। लखनऊ के सड़कों एवं चौराहों के ऊपर प्रदेश की जालिम सरकार ने जनता की आवाज को दमन एवं तानाशाही से दबाने का काम किया। मान्यवर, अभी संसदीय कार्य मंत्री मा0 आजम खां साहब जी अपनी बात कह रहे थे तो वह केवल उन्हीं की बात नहीं थी। यह पूरे प्रदेश का दर्द था। 5 सालों में पूरे प्रदेश की जनता के ऊपर तानाशाही के माध्यम से तथा मेरे ऊपर भी 5 साल में कई बार लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस छोड़ी गयी, जाड़े के महीने में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से पानी की बौछार हुई और पूर्व सरकार ने दमन, अत्याचार करने की सारी सीमायें तोड़ दी थीं, विकास के सारे काम ठप्प थे, पानी, बिजली, सड़क और विकास का पैसा पत्थरों और मूर्तियों में लगाने का काम हुआ था। दुर्भाग्य की बात तो यह थी कि गरीब जनता की मेहनत के पैसे से प्रदेश की पूर्व मुख्य मंत्री अपनी मूर्ति लगाने का काम कर रही थीं। जनता की गाढ़ी कमाई से मूर्तियां और पार्क बनाने का काम हो रहा था। जनता समस्याओं से परेशान थी। मान्यवर, विकास के सारे कार्य ठप्प हो गये थे और पूरी प्रदेश सरकार जनता की कमाई लूटने में लगी हुई थी। कल यहां पर एक ब0स0पा0 विधायक जी बोल रहे थे पता नहीं वह शान से या शर्म से कह रहे थे कि प्रदेश के 22 मंत्रियों को आरोपों के अन्तर्गत जांच के बाद बर्खास्त किया गया और तमाम मंत्री, विधायक बलात्कार एवं हत्या के आरोप में जेलों के अन्दर भेजे गये। मान्यवर, प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया गया है इस बजट के अन्दर

280 नई योजनाओं की घोषणा की गयी है। यह पहला ऐतिहासिक बजट है जो 2 लाख करोड़ से ऊपर का जन कल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में तमाम घोषणाएं की गई हैं। मैं बताना चाहता हूं कि जब पूर्व में माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी उस सरकार ने जो जनकल्याणकारी घोषणाएं लागू की थी जिसे पूर्व सरकार ने बन्द करने का काम किया था उसी में एक थी लोकतंत्र सेनानियों को पेंशन देने का मामला है जब 26 जून, 1975 को देश में आपातकाल लगा था उस समय बहुत सारे लोग जेलों में बन्द किये गये थे उस समय मैं 19 साल का था और मैं भी 20 महीने आपाताकाल में जेल के अन्दर बन्द रहा। पूर्व की प्रदेश सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों की वह सम्मान पेंशन राशि सहित अन्य सुविधाएं दी थी जिसे पूर्व प्रदेश सरकार ने बन्द करने का काम किया था।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

अधिष्ठाता जी अभी पांच मिनट नहीं हुआ है।

श्री अधिष्ठाता-

मैं चाहता हूं कि बहुत से सदस्य बोलने को हैं इसलिए सभी सदस्य दो-दो मिनट में अपनी बात रख लें।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

वर्तमान सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों के लिए 11 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है मैं उसके लिए सरकार को बधाई देना चाहता हूं। लेकिन यह राशि और बढ़नी चाहिए। अध्यक्ष जी लखनऊ के समग्र विकास के लिए इस सरकार ने पांच सौ करोड़ रुपये दिये हैं। पिछले पांच सालों में टूटी हुई नालियां, टूटी हुई सड़कें और खुले हुए नाले उन सबके विकास के लिये कोई काम नहीं किया गया। वर्तमान सरकार ने लखनऊ के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये देने का काम किया है। हमारे लखनऊ में तमाम नाले खुले हुए हैं हर साल 14-15 बच्चे उन नालों में गिरकर मर जाते हैं। सरकार इन लबालब भरे नालों को साफ कराकर ढकने का कार्य करे।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोरगुल)

श्री अधिष्ठाता-

मैंने राजू यादव को बुला लिया है। मेहरोत्रा जी आप लिखकर दे दें। कार्यवाही में सम्मिलित हो जाएगा।†

*श्री राज कुमार उर्फ राजू यादव-

माननीय अधिष्ठाता जी आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार के युवा मुख्य मंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बजट पेश

† (देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 124 पर)
* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया है वह जनाकांक्षाओं के लिए परिपूर्ण है और मैं इस बजट के समर्थन में बोल रहा हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अपना बजट पेश किया है वह अपने चुनावी घोषणा-पत्र में किये गये सारे वायदों को पूरा करने वाला बजट है। विगत पांच सालों में पिछली सरकार द्वारा जो धन की बरबादी की गई थी उससे उत्तर प्रदेश विकास की दृष्टि से बहुत पीछे छूट गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है उससे उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर अग्रसर होगा। अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने रामपुर में हुए जुल्म के बारे में बताया है। मान्यवर, मैं भी ऐसी लोक सभा क्षेत्र से हूं जो माननीय नेता जी का लोक सभा क्षेत्र मैनपुरी है। मैनपुरी में भी जुल्म कम नहीं किये गये। हमारी पिछली सरकार में तब भी लोक निर्माण थे आज भी लोक निर्माण मंत्री हैं इन्होंने 11 एकड़ में एक लोहिया पार्क का निर्माण कराया था। साइंस भी कहता है कि पौधों में जीव होता है। पिछली सरकार ने लोहिया पार्क का काम 90 प्रतिशत पूरा हो गया था उसकी बिजली काट दी गई उसमें करोड़ों रुपये की लागत से लगे हुए पौधे सूख गये हम कई बार जिलाधिकारी से मिले और यह कहा कि आप अगर बिजली नहीं दे सकते तो बिजली मत दीजिए। हम समाजवादी लोक अपने पैसे से इन पौधों में पानी लगायेंगे बस आप उसकी परमीशन दे दीजिए। जिलाधिकारी सच्चिदानन्द दुबे ने कहा कि हम सरकार को लिख रहे हैं। जब दुबारा उनसे मिले तो वह बोले कि सरकार ने परमीशन नहीं दी। सही मायने में माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक कैंसर यूनिट दिया था पूरे प्रदेश में, पूरे देश में सबसे ज्यादा कैंसर अगर कहीं हैं तो मैनपुरी जनपद में है। सबसे ज्यादा मरीज कैंसर के मैनपुरी में हैं। सरकार ने उस कैंसर यूनिट को आज तक चालू नहीं होने दिया। जितने भी उपकरण वहां आये थे।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय राजू जी अब समाप्त करें।

श्री राजकुमार उर्फ राजू यादव-

मान्यवर, एक मिनट और लूंगा। मान्यवर, उन उपकरणों को वहां से हटाने का काम इस सरकार ने किया है। इस बजट में हो रही चर्चा के माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा, एक सुझाव देना चाहूंगा कि अभी राधामोहन जी ने जो एम्स बनाने की बात कही थी। मेरी विधान सभा की दो ग्राम सभाओं ने क्रम से नौनेर और पनवा दोनों ग्राम सभाओं ने 150-150 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव कर दिया है। यदि एम्स बनाने की बात आती है, मैनपुरी में जमीन की बात है तो मैनपुरी जनपद सहर्ष जमीन देने को तैयार है। धन्यवाद।

श्री सिनोद कुमार शाक्य (दीपू)-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे इस बजट पर बहस करने का मौका दिया, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपका ज्यादा समय न लेते हुए कुछ गम्भीर समस्याओं की तरफ आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आज इस उत्तर प्रदेश में किसानों के नेता कहे जाने वाले आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं मान्यवर, वो किसानों के नेता कहे जाते हैं। आज प्रदेश में उनकी सरकार है। माननीय नेता सदन यहां पर मौजूद हैं, मान्यवर, मैं उनके संज्ञान में आपके माध्यम से लाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर किसानों की आज जो बदहाली है, परेशानी है वह किसी से छिपी नहीं है। माननीय नेता सदन ने भी

गेहूं क्रय केन्द्रों का निरीक्षण करा था उन्होंने भी कमियां पाई थीं। माननीय नेता सदन 75 किलो के हैं मगर मौके पर पाया तो 20 किलो का खुद को पाया। 55 किलो की बीच की जो राशि है मान्यवर, वह अफसर और दलाल खा रहे हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि क्रय केन्द्रों पर जो इस तरह की बदहाली, बदइंतजामी चल रही है उसमें मान्यवर कम से कम 200-250 रुपये बीच में बिचौलिये खा रहे हैं। करोड़ों रुपये का नुकसान किसानों का हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं जनपद बदायूं से जीतकर आया हूं। यह एक ऐसा जिला है जो खास तौर पर समाजवादियों के लिये एक इतिहास बनाकर दिया। माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जब वहां से चुनाव लड़े तो इस पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में सबसे बड़ी जीत गुन्नौर विधान सभा से माननीय मुलायम सिंह जी की हुई। वहां का किसान परेशान है। वहां के किसानों को उम्मीद थी कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो उनकी सुनी जायेगी। मान्यवर, उनकी आस्था का यह आलम था कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी का हेलीकाप्टर जब बदायूं की सरजमीं से गुजरता था तो वहां की बूढ़ी औरतें, वहां की औरतें, वहां के बच्चे, भारतीय संस्कृति के हिसाब से सिर पर पल्लू डाल लिया करते थे। वहां के बुजुर्ग उस हेलीकाप्टर को नमस्ते किया करते थे कि इससे दद्दा जा रहे हैं। मान्यवर, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि वहां के किसानों का 14 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य था और आज 9 लाख मीट्रिक टन खरीद लिया गया। मान्यवर, मैं इस बात को दावे से सदन में कहना चाहता हूं कि मैं किसानों की राजनीति करके यहां पर पहुंचा हूं। वहां पर 9 लाख मीट्रिक टन के अन्दर 99 परसेन्ट लोगों को 200 रुपये की कटौती के हिसाब से पैसा दिया गया। वहां पर 19-20 करोड़ का घोटाला हुआ। अगर मेरी यह बात सदन में झूठी पाई जाये तो मैं सदन से इस्तीफा देकर चला जाऊंगा। मैं यह कहना चाहता हूं जब बजट सत्र आया तो वहां के किसानों में एक खुशी की लहर दौड़ी यहां की कर्मभूमि समाजवादी लोगों की कही जाती है। इसके बावजूद बजट में जनपद बदायूं को कोई स्थान नहीं दिया गया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि बजट में बदायूं में एक मेडिकल कालेज, एक यूनिवर्सिटी खुलवाने का प्रावधान हो। धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

आप अपनी बात समाप्त करें। शेष हो तो लिखकर दे दें। श्री यासर शाह अपनी बात रखें। शाक्य जी अब आप बैठ जायं।

(माननीय सदस्य श्री शाक्य और सदस्य यासर शाह के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

*श्री यासर शाह-

मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे आज उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ जनता के सामने बोलने का मौका दिया है। यह सच्चाई है कि यह विधान सभा 20 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों को रिप्रेजेन्ट करती है और हम लोग जो विधायक चुनकर आते हैं उनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होता है कि जिस जनता ने हमको चुनकर इस विधान सभा में भेजा है। 20 करोड़ की जनता ने इस विधान सभा में चुनकर भेजा है उस 20 करोड़ जनता की ख्वाहिशें, उनके सपने, उनकी उम्मीदों पर हम खरे उतरें। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अखिलेश यादव जी का, जो बजट भाषण था, उस पर ज्यादा बोलने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मेरा यह मानना है कि वह बजट भाषण इस उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ जनता की ख्वाहिशों, उम्मीदों को पूरा करता है। बोलने की आवश्यकता इसलिए है कि आखिर जो विपक्षी दल हैं उनको परेशानी किस बात की हो रही है इस बजट से, सोचने का विषय यह है कि जबसे बजट भाषण आया है कोई इस बात का विरोध कर रहा है, गरीबों को साड़ियां किस लिए दी गईं और कोई इस बात का विरोध कर रहा है कि बच्चों को लैपटाप और कम्प्यूटर क्यों दिया गया और कोई इस बात का विरोध कर रहा है कि गरीबों के लिए योजनायें क्यों चलाई गईं। अधिष्ठाता महोदय, यह सच्चाई है कि पिछले पांच साल में जो हमारे ऊपर जुल्म और ज्यादती हुई है इस प्रदेश की जनता पर हुई वह चरितार्थ की गई है। पांच साल में जितनी हदें थीं वह सब पार कर दी गई है। आज वक्त बदला है और आने वाले दो चार मिनट के अन्दर में मैं आपको यह भी बता दूंगा। मैं बहुजन समाज पार्टी का धन्यवाद करूंगा कि प्रदेश की जनता को उन्होंने यह दिखा दिया कि खराब और घटिया प्रशासन कैसे चलाया जाता है। मैं इस बात के लिए मुतमईन हूं और मुझे इत्मिनान है कि दुबारा यह सरकार आने वाली नहीं है और जिस तरह का आचरण यह लोग विधान सभा शुरू होने के पहले और आज तक यह करते रहे हैं उस तरह से तो यह लोग 80 से आठ भी आने वाले नहीं हैं। इसके लिए हम लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मान्यवर, लखनऊ आते थे, मान्यवर, मैं तीन-चार मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा।

श्री अधिष्ठाता-

दो मिनट का तो कुल समय है। अपनी बात समाप्त करें।

श्री यासर शाह-

मान्यवर, मैं आपको बताना यह चाह रहा था कि विपक्षी दल परेशान इस बात से हैं कि आज आजादी के 65 साल बाद ऐसी सरकार आई है जिसने मुसलमानों के दिलों में उम्मीद जगाई है। इनको परेशानी इस बात की है कि अगर प्रदेश का मुसलमान एक होकर समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता में ला सकता है तो कहीं यह चिंगारी हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी अपने कार्यों से, कहीं यह चिंगारी उत्तर प्रदेश से, यह देश के मुसलमानों में न ले जाए कि इनकी सरकार केन्द्र में भी न बन जाए। परेशानी यह है।

श्री अधिष्ठाता-

समय समाप्त हो गया है।

भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी लिस्ट दी है उससे लोगों को बुलवा रहे हैं।

(श्रीमती विमला सोलंकी का नाम पुकारा गया)

विमला जी नहीं हैं, (शोर)

जिनका नाम आपने दिया वह है ही नहीं। आप लोग बैठ जाएं।

*डा0 महेश शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने एक बजट पेश किया है। मुख्य मंत्री जी देश और प्रदेश की प्रगति का द्योतक शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य है। अगर पूरा सदन इस बात की सहमति दे कि किसी प्रदेश किसी क्षेत्र का स्वास्थ्य खराब है और शिक्षित नहीं है तो किसी सेंसेक्स या डालर के भावों से किसी प्रदेश की प्रगति नहीं आंकी जा सकती है। आज सच्चाई यह है कि आज 21 प्रतिशत शिक्षा के बजट में बढ़ोत्तरी की गई और 23 प्रतिशत स्वास्थ्य के बजट में उसके बावजूद कुल बजट का 3.7 प्रतिशत चिकित्सा के मद में खर्च हो रहा है। लेकिन सच्चाई यह है, अभी मान्यवर, बात हो रही थी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री और अन्य मंत्रियों की, बहुत चिकित्सा पर बात हुई कि प्रदेश के स्वास्थ्य की कितनी चिन्ता आज हमें है। मान्यवर, कड़ुवा सच है कि 99 अल्ट्रासाउण्ड मशीनें खरीदी गई, सब में मांग की गई कि एक-एक डाक्टर वहां होना चाहिए। मान्यवर, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा का डाटा है कि प्रदेश में 40 हजार डाक्टर हैं और 12900 डाक्टरों की कमी है। प्रदेश के अन्दर 43 हजार नर्सें काम कर रही हैं और 1 लाख 19 हजार नर्सों की कमी है। मान्यवर, 25 मेडिकल कालेज प्रदेश में हैं जिनमें 2550 डाक्टर प्रतिवर्ष बनते हैं और 5 मेडिकल कालेज और बनने जा रहे हैं जिनमें 550 डाक्टर प्रतिवर्ष बनेंगे। 550 डाक्टरों से जो 12 हजार डाक्टरों की कमी है, उस कमी को पूरा करने में 20 वर्ष लगेंगे। आज मान्यवर, चिकित्सा और स्वास्थ्य के बजट में 20 प्रतिशत बढ़ाने के बाद में अगर यह स्थिति है तो भविष्य कहां है, यह हमें देखना होगा। मान्यवर, आप युवा हैं, आपको सरकार के पिछले इतिहास को देखकर जनादेश और यह शासन नहीं मिला है। सरकार को जनादेश पिछली सरकार का इतिहास देखकर नहीं मिला है बल्कि उम्मीदों को देखकर मिला है। बजट इतिहास का पन्ना नहीं होता, उम्मीदों का आइना होता है। बजट एक सपनों का सागर होता है और इस बजट में कुछ ऐसा नहीं दिखाई देता जिससे इन कमियों को दूर किया जा सके। बहुत कुछ करना अभी बाकी है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

डा0 महेश शर्मा-

मुख्य मंत्री जी, आप युवा हैं, धर्म, जाति, बिरादरी से ऊपर उठकर काम करें, आप तो ऐसे न थे, किसी जाति, धर्म, बिरादरी के नाम पर बजट का एलोकेशन हो, किसी धर्म विशेष की बच्ची को अगर अनुदान दिया जाता है तो दूसरे धर्म की बच्ची को भी मिलना चाहिए, उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, धन्यवाद।

श्री शैलेन्द्र यादव ''ललई''-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपको धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। उत्तर प्रदेश के युवा मुख्य मंत्री जी जिनसे पूरे प्रदेश को ही नहीं भविष्य में पूरे देश को बहुत आशाएं और उम्मीदें हैं। जिस तरह का बजट प्रस्तुत किया है, मैं समझता हूं इसकी चर्चा आज गांव-गांव में है और इसकी तारीफ गांव में बैठा हुआ किसान, मजदूर और नौजवान भी कर रहा है। हो सकता है सदन में बैठे हुए कुछ

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोग अपने नेताओं के डर के कारण यहां इसकी तारीफ न कर रहे हों, उनके नेताओं तक अगर इसकी तारीफ पहुंच जायेगी तो हो सकता है कि अगली बार उनका राजनैतिक भविष्य खतरे में पड़ जाये। इसलिए कुछ लोग तारीफ नहीं कर रहे हैं लेकिन वह लोग भी जब मिलते हैं तो कहते हैं पिछली सरकार से अच्छी सरकार है, हम लोग स्वतंत्र हैं और स्वतंत्रता से हमें काम करने का मौका मिलेगा। मुझे विपक्ष के कुछ साथियों ने, विधायकों ने कहा कि कम से कम इस बात की खुशी है कि आजादी के साथ काम करने का मौका मिलेगा और सरकार कोई भेदभाव नहीं कर रही है। आपके आर्शीवाद से हमें भी कई बार से इस विधान सभा में आने का मौका मिल रहा है, लगातार 3 बार से हम भी विधान सभा में आ रहे हैं, पिछली बार जब हम लोग विपक्ष में थे, आज हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी समय दे रहे हैं, मैं नेता प्रतिपक्ष और उनके साथियों से पूछना चाहता हूं कि जितना एक दिन में हमारे मुख्य मंत्री जी, नेता सदन बैठे होंगे, उतना पूरे पांच साल में उनकी तत्कालीन नेता सदन यहां नहीं बैठी होगी। काम क्या होता था, हमारे मुख्य मंत्री जी यहां बैठ करके समस्याओं को सुन रहे हैं और इनकी तत्कालीन नेता सदन सरकारी कोठी में बैठकर मशीनों से नोट गिनवाने का काम किया करती थी। समय नहीं मिलता था और जनता के दुख-दर्द सुने नहीं जाते थे। नेता प्रतिपक्ष जी यहां बैठे होते तो उन्हें पता चलता, कितना लोकतंत्र का दुर्भाग्य था, हमारे उस समय के तत्कालीन नेता विरोधी दल, आज के लोक निर्माण मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, 16 मिनट के अन्दर उत्तर प्रदेश का बजट पास कर दिया गया और उत्तर प्रदेश को चार टुकड़ों में बांट दिया गया।

मैं नेता प्रतिपक्ष से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को जिन 4 टुकड़ों में आपने बांटने का प्रस्ताव किया था, 16 मिनट में तो आप उनके जिलो का नाम भी नहीं बता सकते हो। तो कैसे आपने 16 मिनट में पूरे उत्तर प्रदेश को बांटने का प्रस्ताव रख दिया। मान्यवर, जिस तरह से चहुमुखी विकास का बजट लाया गया है, आज अपने घोषणा पत्र को लागू करने की समाजवादी पार्टी की प्रतिबद्धता है। हमारे नेता माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी की हिन्दुस्तान ही नहीं हिन्दुस्तान के बाहर भी साख है। दुनिया में कहा जाता है कि आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी जिस बात को कहते है अक्षरशः उसको पूरा करते हैं। उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र को पांच साल में लागू करने का वचन दिया था लेकिन अधिकांश चुनावी घोषणा पत्र को एक साल में ही लागू करने का काम कर दिया गया है। जिस तरह से काम हो रहा है। आपको दर्द इस बात का हो रहा है कि आप तो अपनी बात पर टिकते नहीं हो जनता के दुखःदर्द से मतलब नहीं रखते हो। हम जनता के साथ चल रहे हैं तो आपको दर्द हो रहा है। मान्यवर, हमारे एक साथी ने गेहूं की बात उठायी। मान्यवर, जितने अच्छे तरीके से किसानों के गेहूं की खरीद इस बार हो रही है उतनी पिछले 20 वर्षो में कभी नहीं हुयी। आप कभी किसानों के बीच में जायेंगे तो आपको इस बात का अहसास होगा।

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस बजट में किसानों के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, बेरोजगारों के लिए जो तमाम व्यवस्थायें की गयी हैं आज सिर्फ यह सदन ही नहीं बल्कि आज प्रदेश का हर किसान, हर नौजवान, हर विद्यार्थी अपने युवा मुख्य मंत्री को बधायी दे रहा है। जिस तरह से नौकरियों में उम्र सीमा बढ़ाने का जो निर्णय लिया गया है उसके लिए भी आज पूरे प्रदेश में लोग बधायी दे रहे हैं। जहां तक समस्याओं का सवाल है यह समाजवादी पार्टी की देन नहीं है। पिछले पांच सालों के अन्दर जिस तरह से सरकारी खजाने को लूटा गया है जिस

तरह से बाकायदा सभी दफ्तरों में रेट लिस्ट बना दी गयी थी। चाहे माध्यमिक शिक्षा का दफ्तर रहा हो, चाहे उच्च शिक्षा का दफ्तर रहा हो चाहे परिवहन विभाग का दफ्तर रहा हो, कहां पर रेट लिस्ट नहीं रखी हुयी थी। डी0आई0ओ0एस0 के दफ्तरों से मंत्रियों के यहां जो रजिस्टर आते थे उस डिस्पैच रजिस्टर में उनके यहां कितने आदेश हुये हैं उस आदेश को देखकर धन की वसूली पिछली सरकार में की जाती थी। इस तरह का भ्रष्टाचार था। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस बजट का पुरजोर समर्थन करते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि पिछली बार जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो तत्कालीन मुख्य मंत्री मा0 श्री मुलायम सिंह यादव जी ने जनपद जौनपुर में मेडिकल कालेज के लिए सिर्फ घोषणा ही नहीं की थी बल्कि उसके लिए टोकन मनी की भी व्यवस्था की थी। मुझे उम्मीद है कि इसको भी उसमें समायेजित कर लिया जाएगा और जनपद जौनपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना करने का काम किया जाएगा। एक बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पिछली बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के किसानों की रीढ़ तोड़ने के लिए प्रदेश की अधिकांश चीनी मिलों को औने-पौने दाम में बेचकर भ्रष्टाचार करने काम किया था उस सौदे को रदद करने का काम किया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें। पवन पाण्डेय जी बोलें।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

*श्री तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं, आदरणीय अधिष्ठाता जी, आज मैं आपके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2012-2013 का जो बजट हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्य मंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने प्रस्तुत किया है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज मैं आपके सामने इस बजट के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि लोहिया, गांधी, जयप्रकाश नारायण के सपनों को साकार करने के लिए, वीर अब्दुल हमीद और अश्फाक उल्ला खां के सपनों को साकार करने के लिए जैसा कि अश्फाक उल्ला खां ने फैजाबाद के मण्डल कारागार में फांसी के फंदे को चूमते हुए कहा था--

''उठो-उठो सो रहे हो नाहक, पयाम-ए-वादे कान से सुन लो,
उठो कि कोई बुला रहा है, निशान-ए-मंजिल दिखा-दिखा कर।''

उसी तरह से आज उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने इस उत्तर प्रदेश का क्रांतिकारी बजट प्रस्तुत करके इस उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक नया इतिहास रचने का काम किया है, इसके लिए हम उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। पिछली पांच वर्षो की सरकार ने, जिस तरह से

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश की सरकार ने बजट प्रस्तुत कर के किसान, छात्र, मजदूरों के ऊपर जुल्म अत्याचार किया था, पिछली मायावती की सरकार में छात्रों, नौजवानों की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, पूरी शिक्षा का बाजारीकरण कर दिया गया था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने इस पूरे प्रदेश के छात्रों और नौजवानों को लैपटाप और टैबलेट देकर भविष्य को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं इस बात को भी बड़े गर्व से कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में इस बात का भी प्राविधान किया है कि देश की आजादी के बाद गांव किसान का लड़का, गांव किसान का बच्चा, गरीब का बच्चा पन्चर की दुकानों पर टायर और ट्यूब न बनाये, उसके हाथों में कलम और किताब की व्यवस्था हो सके इसकी व्यवस्था हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में की है, इसके लिए हम आपको बधाई देना चाहते हैं। हम आपसे यह भी कहना चाहते हैं आदरणीय अधिष्ठाता जी, पिछली मायावती की सरकार में इस प्रदेश में छात्रों और नौजवानों के ऊपर मुकदमें लादने का काम किया गया, उनके ऊपर लाठियां बरसाने का काम किया गया, लेकिन आज इस बजट के माध्यम से हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने कानून-व्यवस्था के लिए भी बजट का प्राविधान किया है। कानून-व्यवस्था के लिए पुलिस के लिए, पुलिस की व्यवस्था को चुस्त-दुरूस्त करने के लिए भी अपने इस बजट में इसका प्राविधान किया है, लेकिन पिछली सरकार में मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मायावती की सरकार ने इस प्रदेश में क से कत्ल, ख से खून और ग से गनर की परम्परा को प्रारम्भ किया था, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने क से कबूतर, ख से खरल और ग से गमला की परम्परा को दोबारा प्रारम्भ करने का काम किया है, इसके लिए हम आपको बधाई देना चाहते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय-

आदरणीय अधिष्ठाता जी, मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए सिर्फ दो लाइनों में इतना कहना चाहता हूं कि हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने जो यह बजट प्रस्तुत किया है यह बहुत ही सराहनीय है और गोपाल दास 'नीरज' के शब्दों में कहना चाहता हूं कि-

''अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाय,
जिसमें इन्सान को इन्सान बनाया जाय।''

हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी की ख्वाहिश यह है कि-

''यह महफिल रहे हमेशा रोशन यूं ही,
खून चाहे मेरा दीयों में जलाया जाय।''
मेरे दुःख दर्द का तुझ पर कुछ असर हो ऐसा,
मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाय।
मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाय।।''

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई।

*श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री द्वारा जो वित्तीय वर्ष 2012-2013 का बजट प्रस्तुत किया गया है उसके सन्दर्भ में आप से बात करना चाहता हूं। पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश के मुख्य मंत्री को कि जितना समय उन्होंनें सदन को दिया है,, शायद यह अपने में एक मिशाल है। दूसरा मुझे यह कहने में संकोच नहीं कि आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने बीमारी के लिए लीवर, कैंसर, हार्टअटैक जैसी बीमारियों के लिए सरकार ने व्यवस्था की बात कही है यह गरीब, किसान और मजदूर की बात कही है, इसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं। साथ में एक लाख से पांच लाख रुपये का मुआवजा जो किसानों को बढ़ाने की बात कही है, इसमें आदरणीय मुख्य मंत्री जी, मैं अपना सुझाव देना चाहता हूं कि मैं किसान हूं ईमानदारी में मैं किसान हूं, मेरी उम्र 60 साल है, मैं घाट पर बैठा हूं, मेरा बेटा, बेटी, पत्नी, मेरा कृषक मजदूर जो मेरे साथ काम करता है, उसकी व्यवस्था की बात बजट में नहीं की गई है, उसको भी आप इसमें शामिल करने का कष्ट करें। दूसरा अभी आरोप-प्रत्यारोप जिस तरह उत्तर प्रदेश विधान सभा की मर्यादा को खण्डित करने का काम बसपा के लोगों ने किया और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सपा के लोगों को भी उसी शैली में जवाब नहीं देना चाहिए था ,ताकि लोग इन्हें बुरा साबित कर सकें। इसमे मेरा कहना यह है कि बसपा के लोग मायावती की सरकार ने पिछले पांच साल में जो लूट-घसूट की बात की वह तो अलग है, लेकिन गैर एक जाति विशेष के अलावा सारी जातियों के जीवन को जो नरक बनाने का काम किया वह भी किसी से छुपा नहीं है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मुझे बात आपसे कहनी है जो बहुत लोगों ने नही कहीं, आज सबसे यदि छोटा स्तर है सर्विस के लिहाज से, सामाजिक दृष्टि से। आज हमारे सफाई कर्मचारियों को दस-दस, बारह-बारह महीनों के वेतन की व्यवस्था की बात मा0 मुख्य मंत्री जी ने नहीं की है। उनके जीपीएफ की व्यवस्था भी अधूरी है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 पहाड़िया जी, अब आप अपनी बात समाप्त करें।

(श्री अधिष्ठाता और मा0 सदस्य पहाड़िया जी के साथ बोलने के मध्य)

श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

और संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने की बात नहीं कही गया है। आदरणीय अधिष्ठाता जी, मेरी एक बात आप जरूर सुन लें।

श्री अधिष्ठाता-

श्री केशव प्रसाद मौर्य जी।

*श्री केशव प्रसाद-

मा0 अधिष्ठाता जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपने बजट भाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं इसके लिये आपका बहुत आभारी हूं। मैं अपने जनपद कौशाम्बी के अपने विधान सभा क्षेत्र के सम्बन्ध में कुछ बातें आपके सामने सदन में रखना चाहता हूं। मा0 अध्यक्ष महोदय,, जिस जनपद से चुन करके आया हूं वो सिराथू विधान सभा क्षेत्र है। सिराथू विधान सभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश के सबसे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पिछड़े विधान सभा क्षेत्रों में से एक है और उस विधान सभा क्षेत्र में इस बजट के अन्दर मैं पढ़ रहा था। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी का उद्बोधन भी मैं पढ़ रहा था। उस उद्बोधन में किसानों के सम्बन्ध में बहुत बड़ी-बड़ी बातें की गयी हैं। एक लाख से पांच लाख रुपया किसान दुर्घटना बीमा योजना में बढ़ा दिया गया है। मैं इसका निश्चित तौर पर स्वागत तो करता हूं लेकिन यह इतना बड़ा काम नहीं किया गया। इसकी सराहना तो तय की जाती जब पूरे किसान परिवार को पूरी तरीके से इस बीमा में कवरेज प्रदान किया जाता। उस परिवार का अगर कोई सदस्य किसी कारण से उसकी दुर्घटना अगर होती तो उसको यहां पूरा मुआवजा प्रदान करने का अधिकार हर सदस्य का होता। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे जनपद के अन्दर पिछले 30 साल से पूरा क्षेत्र सूखे से ग्रस्त है, भूजल स्तर इतना नीचे चला गया है कि हैण्ड पम्पों ने पानी देना बन्द कर दिया है। लेकिन 30 साल से उन सूखी हुयी नहरों में पानी लाने की इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गया है। मा0 अध्यक्ष महोदय, नील गायों के सम्बन्ध में राज्यपाल जी के अभिभाषण की चर्चा के समय पर भी कह रहा था। आज उस बात को फिर से दोहराना चाहता हूं कि नील गाय पूरे उत्तर प्रदेश की समस्या है। मेरे विधान सभा क्षेत्र का किसान इन जानवरों से पूरी तरह से....

(इस समय 2 बजकर 55 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

तबाह है मैंने इस पर चार प्रस्ताव रखे थे। एक तो नील गायों का बाड़ा, नील गायों का बन्ध्याकरण अथवा किसान की फसल का बीमा। अगर यह नहीं हो सकता तो मा0 मुख्य मंत्री महोदय जी बैठे हुये हैं। मा0 अध्यक्ष महोदय, नरेगा के अन्तर्गत बहुत मजदूर हैं, उनमें से कुछ मजदूरों को इनकी रखवारी के लिये लगा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जाइये, हो गया आपका। अब आप बैठ जाइये, वो मंत्री है एक मिनिस्टर को तो बोल लेने दीजिये। आगे भी बजट है आप आगे कहियेगा।

श्री केशव प्रसाद-

मा0 अध्यक्ष महोदय, हमारा इलाहाबाद अमरूद के लिये जाना जाता है। आज वह अमरूद की फसल पूरी तरह से समाप्त होने को अग्रसर है।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत सारगर्भित बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं इसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं। मा0 अध्यक्ष जी, आपको मालूम है और इस उत्तर प्रदेश विधान सभा का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। हिन्दुस्तान में जितने भी राज्य हैं। हिन्दुस्तान ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की परम्पराओं की, उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य प्रणाली की सदैव चर्चा होती रही है। बहुत ही आदर से और सम्मान से इस विधान सभा का नाम लिया जाता है और यहां पर स्थापित मूल्यों और परम्पराओं की बात होती है। 16वीं विधान सभा का गठन हुआ, समवेत सदन की बैठक आहूत की गयी और हमारे विपक्षी सदस्यों द्वारा जो आचरण किया गया, हमें शर्म आयी और एहसास हुआ इस बात का कि यदि लोकतांत्रिक परम्पराओं का ये विपक्ष इस तरह से आदर करता है तो लज्जाजनक और शर्मनाक है हमारे लिये और यह गिरती हुई परम्पराओं का प्रतीक

है कि किस तरह से बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों ने इस विधान सभा की गौरवमयी मर्यादाओं को तार-तार किया। बहुत-बहुत बातें और ज्यादा लम्बी-चौड़ी बातें नहीं करना चाहूंगा। पांच साल का सुअवसर मिला इनको उत्तर प्रदेश में राज करने का लेकिन उत्तर प्रदेश को इन्होंने क्या दिया ? हमें मालूम है, मैं सहारनपुर से सम्बन्ध रखता हूं, सहारनपुर जिले से इनकी नेता ने चुनाव लड़ा है और जो आज से 15-16 साल पहले साइकिल पर सवार होकर जब इनकी नेता और इनके लोग प्रचार करते थे, हमें वह याद है। बहुत बड़ी बातें कर दी आपने आप तो अब बहुत-बहुत इनकम टैक्स देते हैं, दुनिया के धनाढ्य नेताओं में से है। इनको यह भी नहीं मालूम है कि कितने नेता दुनिया और हिन्दुस्तान मे ऐसे हैं जो इनके नाम पर शर्म करते हैं कि दलितों की बात करने वाली, दलितों का नाम लेने वाली और दलितों की मसीहा अब दौलत की बेटी बन गई है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करिए।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

मा0 अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया है। इतना लम्बा-चौड़ा मामला है।

श्री अध्यक्ष-

लम्बी-चौड़ी बात कहने के लिए समय नहीं है, बाद में कहिएगा।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

मान्यवर, हमें तो 2 मिनट में अपनी बात कहनी है।

श्री अध्यक्ष-

आप अपने क्षेत्र की बात कहिए।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

मा0 अध्यक्ष जी, हम यह पूछ रहे हैं कि इतनी अकूत संपत्ति, इतना ज्यादा पैसा कहां से आया ?

श्री अध्यक्ष-

आपके नेता बोलने जा रहे हैं, एक अच्छे माहौल में मुख्य मंत्री जी को बोलने दीजिए।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

मान्यवर, मैं कोई माहौल थोड़े न खराब कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मेरे क्षेत्र में मझोल रदस्तपुर गांव का एक आदमी है ज्ञानचन्द, जब इनकी नेता संसद का चुनाव लड़ रही थी वहां से, उसका पच्चीस पैसा जूता ठीक कराने का ये लोग और इनकी नेता और इनकी पार्टी के लोग 25 पैसे उस ज्ञानचन्द मोची के नहीं दे पाए। अब कहां से करोड़ों रुपए आ गए, कहां से इनके पास कालाधन आ गया।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करिए। अब आप बैठ जाइए, मा0 मुख्य मंत्री जी बोलेंगे।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी नहीं हैं, यह बहुजन समाज प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी है, जिसकी चेयरपर्सन इनकी नेता हैं। आप देखिए इन्होंने कानून-व्यवस्था की बात कही और इनका कानून-व्यवस्था का आंकड़ा हमारे पास है। इन्होंने कहा कि आने वाले 100 दिन में पिछले 3 सालों में किसी भी आदमी जिसने दलितों का अपमान किया हो, दलितों का विरोध किया हो, वह मुकदमा दायर करा सकता है। कहीं लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में उत्तर प्रदेश राज्य के गौरवशाली इतिहास में ऐसा आदेश होता है। 44 हजार से ज्यादा मुकदमें, मेरे पास रिकार्ड है, यह मेरा बनाया हुआ नहीं है, मैंने होम डिपार्टमेंट से निकलवाया है।

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

अध्यक्ष जी, प्लीज, हमें बोलने दें। मान्यवर, हमने चार दिन से नहीं बोला। हमें एक मिनट बोलने दीजिए। मान्यवर, 44 हजार से ज्यादा मुकदमें इनके राज में पहले 100 दिन में लिखे गए, यह रिकार्ड है। यह हम कोई अपने से नहीं कह रहे हैं और यह देखिए हत्याएं 1189 पहले 100 दिन में, आगे देखिए 718 डकैतियां, लूट, बलात्कार। कानून-व्यवस्था का बड़ा ढोंग कर रहे थे उस दिन कि हमने कानून-व्यवस्था को बहुत अच्छा रखा है। इनके समय में 440 बलात्कार पहले 100 दिन में हुए और शर्म नहीं आई इनको जो 440 बलात्कार हुए उनमें अपराधी तक नहीं पकड़े गए।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जाएं। अब मुख्य मंत्री जी के बोलने का समय हो गया है।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

मा0 अध्यक्ष जी, हम इतनी बड़ी बात बता रहे हैं कि हमारे जिलों में एक गरीब ब्राह्मण जाते-जाते अपने क्षेत्र से 70 किलोमीटर तक चला गया कि किसी तरह वह अपनी बेटी के हाथ पीले कर दें, लेकिन इस पार्टी के एम0एल0सी0 उसके लड़के और उसके भाई जाकर उस लड़की को मण्डप से उठाते हैं और उसको उठा कर ले जाते हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

अध्यक्ष जी, बात कहने दीजिए मैं पांच मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। देखिए प्रदेश को कैसे इन्होंने बेचा अब आप रिपोर्ट देखिए।

श्री अध्यक्ष-

अब आप राणा साहब बैठ जाइए। अब 3 बज गया है। अब आपके नेता बोलने जा रहे हैं अब आप बैठ जाइए। अब आप नेता को बोलने दीजिए।

(मेजे थपथपा कर मा0 मुख्य मंत्री जी का स्वागत किया गया)

*मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं और वित्तीय वर्ष 2012-2013 का जो बजट सदन में प्रस्तुत हुआ है अभी तक का यह सबसे बड़ा बजट है और 2 लाख हजार करोड़ से भी ज्यादा का बजट है। मान्यवर, केवल हमारे विरोधी दल के नेताओं से लेकर के और अखबारों के माध्यम से जो भी हम लोगों को पढ़ने का मौका मिला है उससे यही मैसेज निकला है कि पूरा का पूरा चुनावी घोषणा-पत्र को अमलीजामा सरकार ने इस बजट में दे दिया है। उसको पूरा का पूरा इस बजट में उतार दिया गया है। मान्यवर, जो हमारे विरोधी दल के नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय हुकुम सिंह जी हैं, माननीय डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी बैठे हुए हैं, माननीय प्रदीप माथुर जी बैठे हुए हैं और भी दलों के माननीय नेता बैठे हुए हैं मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने कहीं न कहीं इस बात को जरूर कहा है कि जो चुनावों के समय समाजवादी पार्टी ने जनता से वायदे किये थे और जो घोषणा-पत्र जारी किया था उसको कहीं न कहीं इस बजट के माध्यम से वह पूरा करने जा रही है। मान्यवर, सत्ता पक्ष के लोगों ने भी कहा कि यह बजट बहुत अच्छा है। अभी आखिर में जो माननीय सदस्य विपक्ष के बोल रहे थे वह अमरूद की फसल लाभप्रद नहीं रह गयी है उनको मैं सुन रहा था, वह चाहते हैं कि अमरूद की फसल को लाभप्रद बनाया जाये। उन्होंने उस पर अपनी बात रखी और अच्छा सुझाव दिया है। अध्यक्ष जी, इस तरह से जो भी बातें यहां पर आयी हैं उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि उत्तर प्रदेश के हालात खराब हैं। सड़कों की खराबी की बात कहीं गयी उनको ठीक कराने की मांग की गयी। स्वास्थ्य विभाग की बात कहीं गयी कि जितने डाक्टरों का इन्तजाम होना चाहिए वह नहीं है। अस्पतालों में डाक्टर नहीं पहुंच रहे हैं। गेहूं खरीद की बात कही गयी कि किसानों को मूल्य नहीं मिल पा रहा है।

मान्यवर, जब से यह सदन चला है कोई दिन ऐसा नहीं रहा होगा जब बिजली की समस्या पर माननीय सदस्यों ने अपनी बात न रखी हो। मान्यवर, इस सरकार को सत्ता में आये हुए अभी लगभग तीन माह का समय हुआ है तीन महीने भी अभी पूरे नहीं हुए हैं जो भी आर्थिक संकट मौजूद हैं हमारे समक्ष और जो हालात हैं उसके लिए कहीं न कहीं पिछली बहुजन समाज पार्टी की सरकार का पांच साल का कार्यकाल जिम्मेवार है। (मेजों की थपथपाहट) इस बजट भाषण में हमने कहा है कि ''विगत पांच वर्षो में इस प्रदेश की जो दुर्गति हुई है उसमें न केवल प्रदेश की आर्थिक स्थिति जर्जर हुई है अपितु हमारे सामाजिक ताने-बाने पर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ा है। इस दौरान भ्रष्टाचार, लूट-खसोट, धांधली व निर्दोष लोगों के उत्पीड़न का कीर्तिमान स्थापित हुआ।'' मान्यवर, यह सब जानते हैं कि जितना भ्रष्टाचार पिछली बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुआ है उतना भ्रष्टाचार में और किसी सरकार के समय में नहीं हुआ है। मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल जानते होंगे कि उस समय एक टैक्स चलता था। एक हैप्पीनेस टैक्स लगता था।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री विवेक कुमार सिंह-

मान्यवर वह [xxx] चलता था।

श्री अखिलेश यादव-

यह कहा गया कि यह घाटे का बजट है दूसरी तरफ विरोधी दल के माननीय नेता ने कहा कि हम इतना पैसा इतना खजाना छोड़कर गये हैं। वह खजाना 13 हजार करोड़ का बताया है। जो छोड़कर आप गये हैं। मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने भी इस बजट भाषण को और पूरे बजट को पढ़ा होगा आप मंत्री जी भी रहे हैं यहां पर, आप बता दें कि देनदारियां कितनी छोड़कर आप गये हैं। आर्थिक स्थिति कैसी है उसकी जर्जर हालत है। मैं माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि 6214 करोड़ रु0 आप लैंड कम्पेनसेशन का छोड़कर गये हैं। यह कार्य आपकी सरकार के समय में हुआ था जिसका पैसा हम लोगों को देना पड़ रहा है। इसी तरह से सात हजार करोड़ रु0 आप विद्युत विभाग के बकाये का छोड़कर गये हैं। इसी प्रकार से, बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के वेतन भत्तों और पेंशन की मद में 2670 करोड़ रु0 छोड़कर गये हैं। इसी तरह से, पुलिस विभाग की मद में वेतन और भत्ते की मद में आप 350 करोड़ रु0 छोड़कर गये हैं। यह हम लोगों को देना पड़ रहा है इसी तरह से अध्यक्ष जी, उत्तराखण्ड राज्य को देय पेंशन लगभग 1400 करोड़ रुपये हम लोगों को देना है। जो कुछ हम लोगों को मिला है खजाना खाली मिला है और खजाना खाली होने के बावजूद हम लोग अपनी जो जनता के बीच में बात रखी थी, जनता ने जिस उम्मीद के साथ जिस बहुमत के साथ भेजा है उन उम्मीदों को हम पूरा करना चाहते हैं और इसीलिए हम लोगों ने, समाजवादी सरकार ने हर पहलू पर अपनी बात रखी, हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम करने का संकल्प लिया है आपने कहा कि बजट हर क्षेत्र में कम हो गया। माननीय सदस्य ने कहा जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने कहा कि बजट हरेक में कम हो गया, कोई विभाग नहीं है उद्यान का समझ सकता हूं, एविएशन का नाम लिया, कृषि का भी नाम लिया था।

अध्यक्ष जी, एविएशन का हम लोगों ने इसलिए कर दिया क्यों कि कोई प्लेन हेलीकाप्टर हम लोगों को खरीदना नहीं है और पुरानी सरकार ने जो हेलीकाप्टर खरीदे थे जो 12 सीटर था वह 4 सीटर 5 सीटर बना दिया था, जो 12 सीटर हेलीकाप्टर था उसको 4 सीटर कर दिया अब पता नहीं जो मंत्री रहे होंगे माननीय कितने मंत्री उसमें बैठ पाये होंगे कितने नहीं बैठ पाये होंगे। जो 12 सीटर हेलीकाप्टर था उसको 4 सीटर बना दिया। एविएशन का क्यों दे, हम क्यों खर्चा करें। जिन विभागों का हमने बढ़ाया मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य देख नहीं पाये या जानबूझकर देखा नहीं। अल्पसंख्यक कल्याण को 81 प्रतिशत बढ़ाकर हम लोगों ने दिया, पिछड़ा कल्याण में 40 प्रतिशत बढ़ाया हम लोगों ने, इसी तरह से शहरी विकास में 62 प्रतिशत बढ़ाया है हम लोगों ने, पंचायती राज में 51 प्रतिशत बढ़ाया है, चिकित्सा शिक्षा में 30 प्रतिशत, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में 25 प्रतिशत बढ़ाया है, बेसिक शिक्षा में हम लोगों ने 26 प्रतिशत बढ़ाया है, माध्यमिक शिक्षा में 25 प्रतिशत और उच्च शिक्षा में 70 प्रतिशत बढ़ाया है और यह इतना

नोट-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

बढ़ाकर तब ले जा रहे है जब हम लोगों को आर्थिक स्थिति ठीक नहीं मिली और वह भी 3 महीने के अन्तराल के साथ जबकि हमें लम्बा कार्यकाल मिला है तो यह शुरूआत में किया है इसके साथ-साथ हमारी भातीय जनता पार्टी के नेता है उन्होंने कहा कि 3 लाख हजार करोड़ रुपये से ऊपर का बजट बढ़ गया 3 लाख 72 हजार का, चूंकि आपने जब कहा तो मैंने कहा कि इतने सीनियर माननीय सदस्य ने कहा तो इसको जरूर देखना पड़ेगा कि आखिरकार यह हमसे गलती कहां हुई या पूरी सरकार से गलती कहां हुई और पता नहीं हमारे माननीय सदस्यों ने कहा कि यह आंकड़ों का मकड़जाल है और आंकड़े जो दिये हैं इसमें सच्चाई नहीं है यह सच्चाई से दूर है। जो हमारा बजट भाषण था मैं समझता हूं कि सब कुछ आपने गिन लिया पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक अगर पेजों को संख्या गिन लेते तो थोड़ा सा बढ़ जाता। वह भूल हो गयी वह गिनती उसी पेजों की थी जो विभाग के अन्दर वाला बजट चूंकि बजट पूरा नहीं पढ़ा जा सकता बजट वाला तो जो विभाग का था विभाग के अन्दर जिन चीजों को हम लोगों ने उनको भी आपने जोड़ दिया। यह मैं बताना चाहूंगा सदन को यह जो बजट हमारा है यह 2 लाख करोड़ का ही है वह 3 लाख का नहीं है वह 2 लाख का है और सीमित जो चीजे मिली उनमें हम इन सब चीजों को पूरा करना चाहते हैं। यह सही है कि जब तक किसान हमारा गन्ने का नहीं, गन्ने के किसान को हमें देखना पड़ेगा। आने वाले समय में गन्ने के किसान को कैसे मदद करें उसके लिए भी हम लोगों को मदद करना है।

गेहूं के किसान की जो दुर्दशा हुई है थोड़ी बहुत, हम जानते हैं कि क्यों हुई है कारण, मैं पूछना चाहता हूं विपक्षी पार्टी जब सरकार में थी इन्हें बोरे कब आर्डर करना चाहिए था, जो बोरे को आर्डर होना चाहिए था पहले, बोरे का आर्डर जाकर किया पुरानी सरकार ने जनवरी, फरवरी में जबकि सितम्बर में आर्डर हो जाना चाहिए था बोरों का, इसलिए बोरों की कमीं आई और स्टोरेज के लिए कोई इंतजाम किया हो पुरानी सरकार ने तो बता दें, स्टोरेज बढ़ाने के लिए कोई इंतजाम किया हो तो बताये। कोई स्टोरेज का इंतजाम नहीं किया और खाद किसी को मिली नहीं, इस सरकार में हम लोगों ने पहले ही तय कर लिया, बजट में आवंटन किया है इसका जब किसान को खाद चाहिये होगी तो उसका इंतजाम पहले से कर देना चाहिए। 300 करोड़ हम लोगों ने बजट में डाले हैं जिससे खाद का इंतजाम पहले से हो जाय और आने वाले समय में हम लोग स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ाने जा रहे हैं और ऐसा इंतजाम करने जा रहे हैं, हम साइलोज भी बनायेगें, अपने उत्तर प्रदेश में कुछ जगह साइलोज बने भी हैं। हापुड़ में बने हैं और भी एक-आध जगह बने हैं, जो स्टील के बड़े-बड़े बनते हैं। दूसरे स्टेटों ने पहले बनाना शुरू कर दिया हमारे स्टेट में किसी भी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इसलिये स्टोरेज के लिये चाहे हमें गेहूं के स्टोरेज के लिये इंतजाम करना पड़ें, चाहे धान के स्टोरेज का इंतजाम करना पड़े, उसके लिये इस बार इस सरकार में बेहतर इंतजाम होगें, साइलोज बनाने का काम इस बार मंडी से होगा। हमारे कृषि मंत्री जी बैठे हैं, हम लोगों ने इंतजाम किया है कि इस बार हम उत्तर प्रदेश में स्टोरेज बढ़ायेगें। उसमें केन्द्र की भी योजना है, उनका भी सहयोग लेगें, नाबार्ड के चेयरमैन अभी आये थे, हम उनकी भी मदद लेगें। स्कीम लगाकर हम लोग इस बार स्टोरेज बढ़ाने जा रहे हैं और 6 महीने में ही आप देखेगें कि उत्तर प्रदेश में साइलोज बनना शुरू हो गये हैं और स्टोरेज

कैपेसिटी उत्तर प्रदेश में बढ़ गयी है। इसी तरह से आलू की फसल का भी इंतजाम करना है, धान का इंतजाम करना है। तो कृषि हमारी प्राथमिकता रहेगी, उस पर तो हम लोग ध्यान देगें ही देंगे। क्योंकि बिना कृषि के हमारा उत्तर प्रदेश और देश तरक्की के रास्ते पर नहीं जा सकता।

क्योंकि जिन-जिन मुल्कों ने एग्रीकल्चर सेक्टर को बेहतर किया है, वह मुल्क आज आगे दिखाई दे रहे हैं। दुनिया में जितने भी देश हैं वह अपने किसानों को हर मदद, हर सहूलियत देते हैं। चाहे उनकी कितनी भी पैदावार हो उसके इंतजाम सरकार करती है। वहीं हमारे यहां जहां किसान ज्यादा हैं, पैदावार ज्यादा होती है, उसके लिये हम लोग सहूलियतें नहीं दे पा रहे हैं उसके लिये इस बार कुछ न कुछ हम लोग अवश्य करेगें और आने वाले समय में आपको परिवर्तन अवश्य दिखाई देगा। चाहे हमें खाद का इंतजाम करना पड़े, बीज का इंतजाम करना पड़े, स्टोरेज का इंतजाम करना पड़े, हम लोग किसान की पूरी मदद करने का काम करेगें।

इसी तरह जो कन्या विद्या धन योजना है, उसके लिये भी हम लोगों ने पैसा दिया है। बेरोजगारी भत्ता के लिये भी पैसा दिया है। बेरोजगारी भत्ता इसलिये हमने कहा कि बहुत बड़ी संख्या में हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, और लगातार बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। यह सही है कि पुरानी सरकार को कारखाने लगाने चाहिये। अगर कारखाने लगाये होते तो हम लोग भी शायद आगे बढ़ गये होते लेकिन 5 साल में कोई उद्योगपति उत्तर प्रदेश में नहीं आया। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में इसलिये नहीं आया क्योंकि उन्हें हैप्पीनेस टैक्स का डर था कि अगर कोई उद्योगपति आया तो उसको हैप्पीनेस टैक्स देना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है तब से चाहे फिक्की के लोग आये हो, चाहे सी0आई0ए0 के लोग आये हों, चाहे हिन्दुस्तान टाइम्स अखबार के माध्यम से बड़ा एक कान्क्लेव हुआ हो, सब चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश आगे बढ़े और उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट हो। आप लोगों ने जो माहौल नहीं दिया वह हम परिवर्तन करके माहौल देना चाहते हैं ताकि यहां पर इन्वेस्टमेंट बढ़े। हम चाहते है कि उद्योगपति कारखाने लगाने वाले यहां आये, हम उनकी मदद करेगें। यह सही है कि जब पुरानी समाजवादी सरकार थी और नेताजी मुख्य मंत्री थे तब चीनी नीति बनाई गयी थी और उस समय जो नीति उद्योग के लिये बनाई गयी थी, उस समय तमाम कारखाने लग गये थे। इतनी चीनी मिल कभी किसी प्रदेश में नहीं लगी थी, जितनी उत्तर प्रदेश में उस समय लगी थी। आप लोग सब सरकार में थे और आपने भी वह देखा होगा। यहां सब लोग बैठे हैं, उनके समय में लगी हैं। गोण्डा में तो कम्पटीशन था, बलरामपुर में तो कम्पटीशन था, एक उद्योगपति लगाना चाहता है और दूसरा उद्योगपति जगह ढूँढ़ रहा था और गन्ने की खरीद में मुकाबला हो गया था तो एक माहौल बनाया गया था, एक नीति हम लोगों ने बनाई थी। मैं समझता हूं कि अगर वही नीति हम लोग लागू करें और परिवर्तन करें तो परिवर्तन अवश्य होगा। जल्दी वह हमारी उद्योग नीति भी आ जायेगी। क्योंकि बहुत सारे हमारे माननीय सदस्यों ने कहा कि रोजगार के अवसर कैसे पैदा होगें। यह सही है कि जो लोक सभा क्षेत्र हैं जहां पहले बड़े-बड़े कारखाने लगे थे, वह आज नहीं चल पा रहे हैं क्योंकि परिवर्तन का दौर है। वह कारखाने जो यहां लगने चाहिये थे वह दूसरे प्रदेशों में लग गये हैं।

गाड़ियां, आटोमोबाइल उद्योग हम लोग लाना चाहें तो हम लोग नहीं ला सकते हैं। आटोमोबाइल सेक्टर इतना बड़ा है, अगर हम चाहें तो भी नहीं ला सकते। उसके लिये हम लोगों को माहौल और कुछ न कुछ सहूलियत देनी पड़ेगी। अगर सहूलियत उत्तरांचल में मिल रही है केन्द्र सरकार से, तो हमारे यहां कोई कारखाना नहीं आयेगा। सिडको जो बना है इसलिये वहां पर कारखाने लग गये। हिमांचल में इसलिये कारखाने लग गये क्यों कि वहां पर टैक्सेस की रियायत दी गयी है। हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है हम रियायत देकर कारखाने लगा सकें। इसलिये हमें कहीं न कहीं उद्योग नीति ऐसी लानी पड़ेगी जिससे कारखाने व उद्योग लगाने वाले कहीं न कहीं प्रभावित हो जिससे कि यहां कारखाने लगें और अच्छे-अच्छे कारखाने आ सकें। आटोमोबाइल सेक्टर यहां एक भी नहीं आया, शायद आपने इशारा किया था कि एक कारखाना आयेगा, लेकिन वह भी बंद हो गया वह कारण दूसरा था, जिसकी वजह से उद्योग बन्द हो गये हैं। कारखाना तो यह लोग नहीं लाये लेकिन जो पुरानी सरकार थी उसने एफ-1 की रेस जरूर की, फार्मूला वन की। जब फार्मूला-1 हो रहा था तो मैंने कहा था कि इस फार्मूला-1 को कोई अगर हरायेगा तो वह है ए-1, क्योंकि साइकिल एवन चलेगी तो सब ठीक हो जाएगा और हम लोगों ने चलाई थी उसी सड़क के किनारे से लेकर। इन लोगों ने कितना मुनाफा दिया, कितने गुना मुनाफा दिया, यह सही है कि सड़कें बनीं और सड़कों की जरूरत भी है। सही मायने में अगर देश को किसी ने सड़कें दी तो वह भारतीय जनता पार्टी की देन है, एन0एच0ए0आई0, लेकिन आपको वोट उससे नहीं मिला। आपको खुश इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि जो योजना आप ले करके आये देश में शाइनिंग इंडिया, उससे आपको कहीं वोट नहीं मिला लेकिन मैं सहमत हूं कि कहीं न कहीं वह योजना देश के हित में थी।

दूसरी सरकार ने सड़क के बहाने कितना मुनाफा कमाया, कितना लूटा, किसानों पर गोलियां चलीं, किसान जेल गये, मुकदमें खतरनाक लगा दिये सरकार ने और हम लोग तो पुतला जलाने वाले लोग थे, समाजवादी पार्टी विरोध कर रही थी तो हमारे लिए यह लोग कहीं से वह धारा ढूंढ करके लाये जो आजादी में क्रान्तिकारियों पर लगती थीं। एक और धारा थी, अब मुझे याद नहीं है यदि आपको याद हो तो बता दीजिएगा कि कौन सी धारा थी। मैं तो भूल गया कि कौन सी धारा थी, कोई धारा थी नेता, बहुजन समाज पार्टी उसे जानते होंगे। वह ऐसी धारा लगाई, जिसके लिए वकीलों को भी कागज पलटना पड़ा तब जाकर मिला कि आखिर यह धारा कौन सी है, ब्रिटिश पीरियड की धारा लगती थी, उसको आपने लगाया। आपने ऐसे-ऐसे काम किये कि कोई भी उद्योगपति नहीं आया, कोई आना नहीं चाहता था उत्तर प्रदेश में। इसलिए माहौल बदलने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी जिससे कि यहां कारखाना लगाने वाले उद्योगपति आये, इस पक्ष में हम लोग उद्योग नीति तैयार करेंगे। यह सही है बहुत चर्चा हुई लैपटाप और कम्प्यूटर टैबलेट की। मैंने अपने भाषणों में भी कहा क्योंकि पिछला चुनाव जो हमने विधान सभा में लड़ा कहीं न कहीं उसमें हम इसलिए भी हार गये थे कि हमारी पार्टी के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर प्रचार हुआ कि समाजवादी पार्टी के लोग अंग्रेजी और कम्प्यूटर की खिलाफत वाले लोग हैं। बहुत प्रचार हुआ अखबारों में भी प्रचार हुआ तमाम राजनैतिक दलों ने भी आरोप लगाया। मैं समझता हूं सदन में बैठे हुए बहुत से माननीय सदस्यों को याद होगा, जब नेता जी का

जन्म दिन था तो सबसे पहले मैंने अंग्रेजी में ऐड दिया था अंग्रेजी अखबार में और मैंने जानबूझ करके दिया था और अंग्रेजी अखबार में ऐड देने के बाद यह चर्चा हुई कि समाजवादी पार्टी कैसे बदल गई, जो हमारे खिलाफ मुद्दा था वह हमारे पक्ष में मुद्दा बन गया, जो चर्चा हमारे खिलाफ होनी थी वही हमारे पक्ष में हो गई। अखबारों के माध्यम से लिखा गया कि समाजवादी पार्टी अंग्रेजी की तरफ चल दी ऐसा अंग्रेजी के अखबारों ने भी लिखा और हिन्दी के अखबारों ने भी लिखा। कांग्रेस पार्टी को लैपटाप और कम्प्यूटर का विरोध नहीं करना चाहिए और इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि गांव-गांव आप ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछा रहे हैं। आपके केन्द्र की योजना है, चिठ्ठी मेरे पास है, जो आपके मिनिस्टर्स लोगों ने स्टेट को भेजी है और उसमें कहां है कि गांव-गांव ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछनी चाहिए। अच्छा बताओ यदि ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछ जायेगी कांग्रेस सरकार में तो चारा काटने वाली मशीन तो चलेगी नहीं उससे। ऑप्टिकल फाइबर और इंटरनेट की लाइन जो आप केन्द्र सरकार से देना चाहते हैं, टू-जी बड़ा मामला है सब जानते हैं कि टू-जी में क्या-क्या हुआ, अब थ्री-जी आ गया है और समाजवादी सरकार में कुछ लोग मांग रहे हैं वह आपकी ही देन है कि आप ही के समय में फोर-जी आ रही है तो मान्यवर, अगर हम टैबलेट और लैपटॉप नहीं देंगे तो जो सुविधा केन्द्र सरकार दे रही है वह चलेगी आखिर कैसें जो एक डर रहता था कम्प्यूटर के प्रति वह डर बहुत हद तक बच्चों से मोबाइल ने निकाल दिया। आज बच्चे मोबाइल अपने आप चलाना सीख गये किसी को सिखाना नहीं पड़ा। मुझे अच्छी तरह याद है शुरूआत में लोग केवल ऑन-ऑफ करना जानते थे फिर धीरे-धीरे नाम लिखना जान गये, धीरे-धीरे और भी फन्क्शन जान गये। विपक्ष के नेता पता नहीं कैसे कहते हैं कि झुनझुना, मैं समझता हूं कि मोबाइल वाला भी झुनझुना आपके पास होगा है या नहीं है।

मैं यकीन से कह सकता हूं कि वह इस झुनझुने के बारे में ज्यादा नहीं जानते होंगे, ज्यादा नहीं बजा पाते होंगे। क्योंकि बजाने के लिए जानकारी चाहिए, आखिरकार बजाओगे कैसे ? एक बात और मैं सच कह सकता हूं कि आपके नाती, पोते वह आपसे अच्छा चलाना जानते होंगे। शायद यहां भी माननीय सदस्यों को कम्प्यूटर, लैपटाप मिलता होगा तो वह भी तो झुनझुना है और पुरानी सरकार ने दिया है। लैपटाप मिलता है, हम लोग डर निकालना चाहते हैं और डर इसलिए निकालना चाहते हैं। गांव के बच्चे के हाथ में जब आ जायेगा तो अपने आप चलाना सीख जायेगा। उसमें ऐसा साफ्टवेयर डाल देंगें जिसमें किताबें हो, मान लीजिए हम जन-गण-मन, सारे जहां से अच्छा, बन्दे मातरम भी डाल देंगें, पूरा गाना डाल देंगे। कोई सब्जेक्ट की किताब महत्वपूर्ण है तो हम वह भी डाल सकते हैं और कुछ अच्छी चीजें भी उसमें डाल सकते हैं और बिल्ट इन थ्री-जी दे देंगें क्योंकि थ्री-जी टेक्नॉलाजी धीरे-धीरे आ ही रही है। 100-200 रुपये एकस्ट्रा खर्च होंगे टैबलेट में, अगर थ्री-जी दे देंगें तो वह कहीं इस्तेमाल कर सकता है। हम जानते हैं कि जितना आर्डर प्लेस करेगी सरकार उसको पूरे साल में पूरा नहीं कर पायेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि तमिलनाडू में बांटना शुरू किये हैं, उन्हें एक साल लग गया बांटने में। पहले वर्ष की कम्प्यूटर/टैबलेट वह बांट नहीं पा रहे हैं। हम जानते हैं कि उसमें दिक्कतें आयेंगी, लेकिन उन दिक्कतों को हम दूर करेंगे जिससे कि बच्चों को मिल जाए, पढ़ाई का इन्तजाम हो जाए। लैपटाप

तो हम बड़े लोगों को दे रहे हैं जो बारहवीं पास करके जायेंगे। कहीं न कहीं आज जो बदलाव आया है, उसके हिसाब से दे रहे हैं। टेक्नॉलोजी इतनी सस्ती है कि अगर वह हिन्दी, उर्दू कोई भी इस्तेमाल करना चाहेंगें, वह इस्तेमाल कर पायेंगें। इसलिए उनका उत्साह बढ़े, मनोबल बढ़े। कुछ चीजें हम लोग उनकी पढ़ाई की डाल देंगे तो उनके ही काम आयेगी। भविष्य में अगर कहीं हम कम्प्यूटर यूनिवर्सिटी बना ले जांय, क्योंकि इण्टरनेट का जमाना है, डाक्टर साहब (डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल) समझते होंगे, अगर कोई बीमारी या दवाई के बारे में जानना है तो इण्टरनेट से जितना जानना चाहो, जितना पढ़ना चाहो, उतना जान सकते हो। अगर उत्तर प्रदेश में कोई बोर्ड या यूनिवर्सिटी बन जाए तो इण्टरनेट के माध्यम से सीधा-सीधा जो सब्जेक्ट या टॉपिक जो निकालना चाहें या वेस्ट लेक्चर निकालना चाहें, वह निकाल सकते हैं। इस योजना में जो कमी आयेगी तो मैं समझता हूं कि विधान सभा चलेगी तो बहुत सारी कमियां जब आप लोगों के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचेगी, उसमें सुधार लाने का काम हम लोग करेंगे।

इसके साथ ही साथ बिजली बहुत बढ़ी चीज है। बिजली का संकट हमारे सामने है। अभी कल ही कैबिनेट में हम लोगां ने डिसीजन लिया। मैं पूंछना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में आखिरकार कितने प्लाण्ट लगे, कोई बिजली का प्लाण्ट नहीं लगा। एम0ओ0यू0 कर लिये इन्होंने और एम0ओ0यू0 से कोई बिजली प्लाण्ट नहीं लगने जा रही है, कोई बिजली घर लगाने के लिए आने वाला भी नहीं है, क्योंकि उनके पास कोयला है नहीं। कोयले का इन्तजाम भी नहीं किया इन्होंने, और एम0ओ0यू0 करा दिया। एम0ओ0यू0 कैसे हुऐ हैं, वह चर्चा अलग है, वह चर्चा सदन में कर नहीं सकते। कोई बिजली घर नहीं लग पाया, कोई एक मेगावाट बिजली का कारखाना लगा हो इनकी सरकार में तो बता दीजिए। जो भी लगे हैं वह भी समाजवादी पार्टी की सरकार में शुरूआत की गयी थी, वह आज पूरे हुये हैं, चाहे वह हरदुआगंज का हो, चाहे झांसी का पारीक्षा रहा हो। प्राईवेट में कभी बिजली के कारखाने नहीं लगे। पुरानी समाजवादी पार्टी की सरकार में बिजली के कारखाने लगे। जो कारखाने लगे वह केवल समाजवादी सरकार में उस समय लग पाये, जिसमें लैमको का बिजली का कारखाना था, रोजा, रिलायन्स का कारखाना था। हम लोगों ने अलग से पॉलिसी बनाकर चीनी मिलों को मौका दिया कि चीनी मिलें बिजली का कारखाना लगायें और बिजली की आपूर्ति करें। आज बताईये, न इन्होंने बिजली का एक भी कारखाना लगाया और न कोई चीनी मिल लगवायी।

(सत्तापक्ष की तरफ से आवाज आयी कि औने-पौने दाम में सारी चीनी मिलें बेच दी)

अगर कोई बिजली का कारखाना लगा हो तो बता दें। चीनी मिलें आपने बेच दी और बड़े पैमाने पर इन्होंने चीनी मिलें बेंच दी। कोई बिजली का कारखाना इनकी सरकार में नहीं लगा, 9 के 9 एम0ओ0यू0 ऐसे पड़े रह गये और दो जो लगा भी रहे हैं, उन पर कोल लिंकेज नहीं है। केन्द्र सरकार भी जितना सहयोग करना चाहिए वह नहीं कर पा रही है। अखबारों से जो पढ़ते हैं और जो सूचनायें या जानकारी मिल रही है उससे यह मालूम पड़ रहा है कि अगले दो साल तक कोई कोल लिंकेज नहीं मिलने जा रहा है।

यह बिजली का संकट हैं अगर बिजली के संकट को नहीं दूर किया गया उत्पादन नहीं बढ़ाया तो यह संकट बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि सरकार में समाजवादी पार्टी है इसलिए पूरा

बिजली का आरोप समाजवादी पार्टी के ऊपर आएगा। जिम्मेदार पुरानी सरकार है जिसने बिजली का इन्तजाम नहीं किया कोई इन्तजाम नहीं किया इन्होंने ट्रांसमीशन लाइनें बेच दी लेकिन ट्रांसमीशन लाइनें अभी नहीं लगी। डिस्ट्रीब्यूसन का बुरा हाल है हम लोगों ने कहा कि फीडर लाइनें हम लोग अलग करना चाहते हैं फीडर लाइनें जिस समय हम लोग अलग कर लेंगे तो किसान को समय पर बिजली दे सकते हैं और उसको समय बता सकते हैं जिससे वह समय पर खेती का इंतजाम कर ले। किसान खेत में खड़ा होकर अपनी पूरी सिंचाई कर लेगा। इसलिए फीडर हम लोग अलग करना चाहते हैं। फीडर के लिए हम लोगों ने योजना भी चालू कर दी है। वह कागज मैं मिस कर रहा हूं नहीं तो मैं बताता। ग्रामीण क्षेत्र के फीडर को अलग करने के लिए वेस्टर्न यू0पी0 से हम लोग शुरू कर रहे हैं क्योंकि वहां पर बड़े पैमाने पर ट्यूबवेल्स हैं तो जो हमारा बिजली देने का हमारा कार्यक्रम है कि मुफ्त बिजली दे पाएंगे या सस्ती दर पर दे पाएंगे वह तब फीडर हमारे अलग हो जाएंगे। हम लोग फीडर प्राथमिकता पर अलग करना चाहते हैं। अध्यक्ष जी, डिस्ट्रीब्यूशन जब तक ठीक नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं कर पाएंगे। पुरानी सरकार ने बिजली प्राइवेट देने की शुरूवात की थी दो शहर बिजली के प्राइवेट के लिए इन्होंने किए हैं। जो फीडर अलग होने के 1800 करोड़ है उस सम्बन्ध में 29 प्रोजक्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुरू करने जा रहे हैं। 1800 करोड़ की योजना फीडर अलग करने के सम्बन्ध में हैं। इसके साथ-साथ जो प्राइवेटाइजेंशन योजना शुरू की गई थी वह दो शहरों की कर दी थी किस दाम में किए कैसे किए वह अलग पहलू है डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा करने से कुछ तो बिजली मिलेगी। लेकिन कानपुर में शुरूआत ही नहीं हुई, सरकार खरीदे मंहगी बिजली और जनता से लिया ज्यादा पैसा उसमें मुनाफा कौन कमा रहा है यह बताएंगे हमारे विरोधी दल के बैठे हुए नेता। इसलिए अभी हमें रिवाइज करना पड़ रहा है। अगर हम उद्योगपति को हटाते हैं तो भी सरकार का नुकसान होगा इसलिए रिवाइज रेट करना पड़ेगा। जिससे स्टेट का नुकसान न हो और सहूलियत भी मिले इसलिए रिवाइज रेट करना पड़ेगा। किस रेट पर दिया है वह सदन में हम बता देंगे। जो बिजली के कारखाने लगने हैं उसमें हम पूरी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। कोल लिंकेज नहीं है तो कोल लिंकेज में जो मदद हो सकती है वह भी करेंगे। जो कारखाने लगा रहे हैं जिन्होंने दो-दो, तीन-तीन हजार करोड़ रुपए खर्च कर दिये हैं कारखाना लगाने में वह चाहते हैं कि कोल लिंकेज का इन्तजाम हो जाय। जो उड़ीसा का कोल पड़ा है वह भी मिलना नहीं है। उसमें भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने कुछ न कुछ किया है। उड़ीसा में जो कोल माइन उत्तर प्रदेश को मिली थी उसमें भी कुछ किया है इन्होंने पता नहीं क्या किया है। उड़ीसा में कोल ब्लाक में इन्होंने कुछ कर दिया।

हम सदन से सहमति चाहेंगे अगर कहेंगे तो हम विदेशी कोयला लगाकर जो कुछ करना चाहते हैं उसके लिए हम लोग प्रस्ताव भी ले आएंगे। उसमें मंहगा पड़ेगा। क्योंकि उसमें एक दिक्कत आएगी कि जब कोयला मंहगा हो जाएगा या डालर मंहगा हो जाएगा तो हमें दिक्कत आ जाएगी। इसलिए जो कमेटी बनी हुई है वह रेट तय करे। अगर वह परमीशन देनी पड़ेगी तो सदन की अगर सहमति होगी तो हम उस पर भी विचार करेंगे। जिससे सरकार की सहमति से बिजली के कारखाने शुरू हो जाए। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि बिजली के क्षेत्र में जो भी काम

करना चाहेगा हम उसकी मदद करेंगे और बिजली किसी भी रूप में बनकर आए सोलर इनर्जी पर तमाम प्रदेशों ने बहुत काम किया है हमारा बुन्देलखण्ड का इलाका है जहां जमीन पड़ी हुई है वहां सोलर इनर्जी के प्लांट लग सकते हैं। पूरी पूर्ति नहीं हो सकती है लेकिन हम बिजली का इंतजाम कर सकते हैं। हम लोग सोलर पालिसी लेकर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार सोलर पालिसी लेकर आ रही है और सोलर पालिसी से सूर्य से बनने वाली बिजली का इन्तजाम करेंगे और प्रदेश आगे हैं तो हम भी दौड़ में कहीं न कहीं दिखाई दे हम ऐसा करना चाहते हैं। अगर बुन्देलखण्ड को प्राथमिकता देनी पड़ेगी तो बुन्देलखण्ड को प्राथमिकता देंगे। इसीलिए हम लोगों ने ललितपुर का जो कारखाना जो छोटा लग रहा था उसको बड़े की भी परमीशन दे दी। ललितपुर में जमीन को ट्रांसफर करके बड़ा कारखाना लगाया जाएगा। इसलिए बिजली के क्षेत्र में भी हम लोग काम करने जा रहे हैं और कीमत नहीं बढ़ने देंगे किसानों को और डोमिस्टिक को बिजली के रेट नहीं बढ़ने देंगे। इण्डस्ट्रियल की अगर बढ़ानी पड़ेगी तो हम लोग बढ़ाएंगे यह हम पर दबाव है लेकिन किसानों की और डोमिस्टिक की बिजली का रेट हम नहीं बढ़ने देंगे। जहां तक लाइन लास की बात है डिस्ट्रीब्यूसन सेक्टर में ट्रांसमीशन में जो लासेस हैं उसके लिए क्या किया ? कानपुर में 40-50 प्रतिशत लाइन लास है उस पावर की लाइन लास कम करने के लिए आपने क्या किया। किसी भी जिले में लाइन लास को कम करने के लिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने कोई काम किया हो तो बताएं और जिस कीमत पर इन्होंने बिजली खरीदी इन्हें लगता था कि चुनाव का साल हैं जितने पैसे से चाहो उतने से बिजली खरीद लो। इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर बिजली खरीदी और 25 करोड़ का घाटा हमको देकर के गये हैं। 25 हजार करोड़ का घाटा है जो बिजली विभाग को हमको देना है। वह तो आप खरीदकर चले गये और बहुतों का दिया नहीं है बकाया अभी तक। बहुतों का बकाया पड़ा है जो इन्होंने दिया नहीं है और हमें देना पड़ रहा है और अगर हम यह बकाया नहीं देंगें तो हमको बिजली नहीं मिलेगी।

इस बजट में पत्थर और मूर्तियों के लिये कोई पैसा नहीं है। जनेश्वर मिश्र जी के नाम पर हम लोग जो पार्क बना रहे हैं वह हरियाली से भरा पार्क होगा, उसमें हरियाली होगी। मैं समझता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के लोगों को यह भी नहीं पता कि पेड़ भी जिन्दा होते हैं, पेड़ों में भी जीवन होता है। इन्होंने कितने बड़े पैमाने पर पेड़ काटे हैं। इन्हें जो सजा मिल रही है ऊपर से, वह पेड़ काटने की भी सजा है, उसको भी जोड़ लीजिये इसमें। पूरे पेड़ काट दिये इन्होंने और वह भी कितने बड़े पैमाने पर। अभी तक तो पूरा सदन केवल यह जानता था कि पत्थरों के हाथी लगे हैं, पत्थरों की प्रतिमाएं लगी हैं। हमारे माननीय सदस्य मंत्री रहे हैं वे जानते होंगें कि अष्टधातु की जो प्रतिमाएं लगी हैं। अष्टधातु की प्रतिमाएं लगी हैं कि नहीं ? मान्यवर, मान्यवर कांसीराम स्मारक में जायं तो कोई जानवर नहीं बचा जो अष्टधातु का न लगा हो वहां पर हाथी भी अष्टधातु का है वहां पर, गैंडा भी अष्टधातु का है वहां पर मगरमच्छ भी लगा है अष्टधातु का पेड़ भी अष्टधातु का लगाया है इन्होंने वहां पर शेर से लेकर टाइगर बिल्ली सब कुछ अष्टधातु का लगाया हैं इन्होंने वहां पर पत्थर तो दूर सब कुछ अष्टधातु का बड़े पैमाने पर इन्होंने लगाया है वहां पर हम पूछना चाहते हैं कि अष्टधातु का कितनी कीमत का लगाया है ? अष्टधातु के जानवर लगाये हैं इन्होंने मैं तो इनसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। हमें तो यह भोला

कहते हैं। कहते हैं कि हम भोले-भाले हैं। मेरा केवल एक सवाल है आपसे कि वहां पर अष्टधातु का वनमानुष क्यों लगाया है आपने ? (हंसी) अष्टधातु का वनमानुष क्यों लगाया है आपने यहां मान्यवर कांसी राम स्मारक में, बतायें ? और वनमानुष से क्याा लाभ है आपको ? वनमानुष लगाया है आपने और मना करते हैं तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे चाहूंगा कि इस पर जरूर कहें कि यह वनमानुष क्यों लगाया है आपने ग्रेनाइट कहां नहीं लगाया आपने ? सारा ग्रेनाइट लगा है। पूरा पैसा पत्थर और मूर्तियां पर बर्बाद होता था, स्मारकों पर पैसा बर्बाद हुआ। हम पूछना चाहते हैं कि बडी-बडी इमारतें बनी आखिर इनका क्या इस्तेमाल हुआ ? कमरे खाली पडे हैं, कैन्टीनें खाली पडी है। मैं पूछना चाहूंगा कि उन कैन्टीनों का क्या होगा। मैं तो चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी कि एक बार पूरे सदन को आप टूर पर वहां जरूर ले चलें। कांशीराम स्मारक पर टूर पर ले चलें और जो बडी-बडी कैन्टीनें बनी हैं वहां पर सदन की तरफ से खाना हो कि जिससे हम लोग वहां पर खाना खायें। यह इन्तजाम किया है, कितने हजारों करोड़ रुपये उस पर बर्बाद हुआ है।

इन्वायरमेंट की सब धज्जियां उड़ा दी। इन्वायरमेंट की कोई परवाह नहीं की। उसमें अगर केन्द्र का सहयोग नहीं मिलता तो यह कभी अपना नोएडा वाला स्मारक नहीं बना सकते थे मैं इस सदन में कह सकता हूं। इनको अगर एन0ओ0सी0 किसी ने दिया है तो वह केन्द्र सरकार ने दिया है तब जाकर खर्च हुआ है नोएडा में 700 करोड़ रुपया। यह कोर्ट-वोर्ट सब मिलकर के हुआ है। कोर्ट की भी कहां माना ? कोर्ट भी नहीं माना आपने। हाईकोर्ट नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट नहीं माना। (शोर) यह सही है कि जो परमीशन मिलना चाहिए था, बिना पर्यावरण की एन0ओ0सी0 के नहीं मिल सकती थी वह मिली तब जाकर के बना वह स्मारक। हम लोग भी सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम सम्मान न करते हों। आपने खुद स्वीकार किया है, तमाम माननीय सदस्यों ने स्वीकार किया है कि अम्बेडकर जी के नाम पर योजना शुरू उस समय हुई जिस समय स0पा0 की सरकार थी। 21 साल यह लगातार चलाते रहे। वह योजना 21 साल चली और कितने गांव में कितना काम बनाया ? कभी एक गली बना दी कभी आधी गली बना दी भीम राव अम्बेडकर जी के नाम पर। जो पूरी योजना लागू होनी चाहिए थी वह योजना लागू नहीं की इसलिये हम लोगों ने नाम बदल करके डा0 राम मनोहर लोहिया जी के नाम पर और योजना बढ़ाकर पूरा का पूरा जो गांव पिछड़ा होगा जाति के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर नहीं जो पिछड़ा होगा, विकास से दूर होगा उसको टेकअप कर रहे हैं। अगर इसमें कोई कमी रह जाएगी तो उसका भी अलग से इन्तजाम किया जाएगा। सरकार पैसा देगी जिससे गांव में पूरी की पूरी सड़क बन जाए। विकास का इन्तजाम हो जाए। इसलिए हम योजना लेकर आए हैं।

(मेजें थपथपाई गईं)

बजट के माध्यम से हम लोगों ने जो जनता के बीच में घोषणा की है उसको पूरा करने का फैसला लिया है क्योंकि घोषणा-पत्र हम लोगों ने जनता के बीच में रखा था और अभी कुछ महीने पहले, अभी पहले साल में ही, अभी बीच में हमारा बजट आना है। अभी डिपार्टमेंट के अपने बजट आने हैं। पढ़ाई के लिए हम लोग इन्तजाम कर रहे है, दवाई के हम लोग इन्तजाम करेंगे, कैंसर इंस्टीट्यूट हमने बनाई थी। लखनऊ में लोहिया इंस्टीट्यूट बना है। उसमें एक सेक्शन पूरा कैंसर

का बनाया था और 100 करोड़ से ज्यादा इक्युपमेंट्स खरीदे गये थे, वह पूरी की पूरी बिल्डिंग बनी है, कैंसर इंस्टीट्यूट के हिसाब से, लेकिन इस सरकार ने पांच साल उस कैंसर इंस्टीट्यूट की तरफ नहीं देखा। वह मशीनें और इक्युपमेंट्स चलाए नहीं इन्होंने, अब टैक्नीशियन कहां से आएं, यहां जो हमारे बीच डाक्टर बैठे हुए हैं, वह समझते होंगे कि कितने टैक्नीशियन्स चाहिए। डब्ल0एच0जो0 हैल्थ कहती है कि एक डाक्टर के नीचे शायद आठ टैक्नीशियन की जरूरत होती है। कोई पैरामेडिकल चला हो तो बताइए आप, प्रदेश में कोई नया पैरामेडिकल कालेज आपने शुरू किया हो तो बताइए। बांदा में मेडिकल कालेज बनाया आप बताइए कितनी बार छत गिर गई उसकी, कौन से आर्किटेक्ट से बनवाया, हमारे मा0 सदस्य जानते होंगे कितनी बार छत गिर गई। जो पुल वहां बनाया था उसमें 12वें, 13वें दिन ही छेद हो गया। पता नहीं कहां से आर्किटेक्ट लाए थे। कहां के इंजीनियर लाए। केवल एक मेंडिकल कालेज के अलावा कोई शुरूआत नहीं की। कन्नौज का मेडिकल कालेज पूरा बना खड़ा था लेकिन इन्होंने कन्नौज का मेडिकल कालेज नहीं चलाया। चलाने के लिए केवल नाम बदल दिया। अभी तक मैंने कन्नौज का नाम नहीं बदला। क्योंकि कन्नौज का अपना इतिहास है लेकिन इनकी सरकार आई इन्होंने कन्नौज मेडिकल कालेज का नाम बदल दिया। पूरी मशीनरी खरीदी गई हैं सिविल वर्क कम्पलीट है सब कुछ खरीदा गया है लेकिन इनकी सरकार ने पांच साल मेडिकल कालेज चालू नहीं करने दिया। हम लोग कोशिश करते रहे। आजमगढ़ का नहीं चालू होने दिया, जालौन का नहीं चालू होने दिया। जालौन का एक पूरा सेक्शन उठा ले गए, जाने कहां ले गए पैसा। आजमगढ़ का चालू हो जाना चाहिए था बहुत सुन्दर बिल्डिंग बनी है बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी है। लेकिन कोई काम नहीं किया। आज हम पैरामेडिकल कालेज का इन्तजाम नहीं करेंगे तो कल हम कितने इन्तजाम कर पाएंगे। डाक्टरों की कमी है। गांव-गांव में नहीं जाते हैं डाक्टर। तो इसलिए डाक्टरों की कमी कैसे पूरी हो। पैरामेडिकल कब बने, तो हम लोगों ने फैसला लिया कि पैरामेडिकल भी बनायेंगे और जो मेडिकल कालेज बन रहे हैं उनको पूरा करके चलायेंगे भी। एक साल में, आप देखिएगा अध्यक्ष जी, एक साल में जो मेडिकल कालेज पूरे हो गए है वह सरकारी मेडिकल कालेज हम चलाएंगे भी।

(मेजें थपथपाई गई।)

एक सदस्य-

एम्स का क्या हुआ ?

श्री अखिलेश यादव-

हम तो तैयार हैं इन्होंने एम्स नहीं बनने दिया। हम तो तैयार हैं हम आज भी कह रहे हैं कि अगर एम्स आना है यू0पी0 में, क्योंकि यू0पी0 बीस करोड़ का प्रदेश है। आप मांगते रहे इनसे एक एम्स की जमीन, इन्होंने नहीं दी। लेकिन हम आपको तीन एम्स की जमीन दे रहे हैं।

(मेजें थपथपाई गई।)

हमने प्रस्ताव भी उस जमीन का भेज दिया। प्रस्ताव भी भेज दिया आपको पता होगा। एविएशन यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं केन्द्र के लोग, हमने कह दिया आपको एविएशन यूनिवर्सिटी के लिए कुछ चाहिए होगा तो हम उसके लिए भी तैयार है। जगह भी

उपलब्ध करायेंगे और किसानों को मुआवजा भी अच्छा देंगे। जो घोषणा-पत्र में हमने लिखा है उस घोषणा-पत्र के हिसाब से हम किसानों को मुआवजा दिलायेंगे। हम इसके लिए सहमत हैं जो कारखाने उद्योग आएंगे उसके लिए हम इन्तजाम करेंगे। यह सही है कि बहुत बुराईयों के साथ हमें सरकार मिली है। बहुत आर्थिक संकट और जर्जर हालत में उत्तर प्रदेश की सरकार चलाई है। कोई विभाग कोई-कोई जगह नहीं बची है कि सरकार ने हैप्पीनेस टैक्स सरकार ने न लगाया हो। अब जो सरकार चल रही है उसमें बहुत सारी चीजों को ठीक करना है। बहुत से इन्तजाम बेहतर करने हैं। बुछ लोगों से तो पीछा छुड़ाया है और कुछ लोगों से पीछा छुड़ाना है।

अभी शुरूवात हुई है तीन महीने की शुरूवात है। अभी अधिकारियों को भी नियंत्रण में लेना है क्योंकि अधिकारी उसी तरह से काम कर रहे हैं उसी रवैया से काम कर रहे हैं जिस तरह पुरानी सरकार में काम करते रहे।

(मेजें थपथपाई गई।)

हालत किसने बिगाड़ी है क्योंकि डेमोक्रेसी में सुप्रीम एम0एल0ए0 है। वह किसी भी दल का हो, अगर एम0एल0ए0 की सुनवाई नहीं होगी तो कहीं न कहीं अधिकारियों की गलती है और यह आदत अगर किसी ने डाली है तो पुरानी सरकार के लोगों ने डाली है, उसको भी हम लोगों को सुधारना हैं। यह सच है, कानून-व्यवस्था और बिजली दोनों महत्वपूर्ण सवाल हैं। कानून-व्यवस्था के लिए जो भी हम लोगों को करना पड़ेगा, हम लोग करेंगे। हमारे मंत्रीगण जानते होंगे, पहली कैबिनेट में ही हम लोगों ने डिसीजन लिया कि जो ऐसे इलाके हैं, जहां क्राइम ज्यादा होते हैं, उसे सी0सी0टी0वी0 पर ले जायेंगे। बहुत सारी घटनाएं सी0सी0टी0वी0 से खुल जाती हैं। ऐसी जगहों पर कैमरे लगें। तो अध्यक्ष जी, पहली कैबिनेट मीटिंग में ही हम लोगों ने ऐसा फैसला लिया। जो भीड़ वाले इलाके हैं, जहां पर घटनाएं ज्यादा होने की सम्भावनाएं हैं, उन इलाकों को हम लोग सी0सी0टी0वी0 पर जरूर लेकर जायेंगे और जो खराब अधिकारी हैं, उनको हटायेंगे और समाजवदी पार्टी की सरकार में उनके खिलाफ कार्यवाई भी होगी क्योंकि जब सदन चलेगा तो बहुत सारी बातें हम लोगों को सुनने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी। इसलिए सदन को चलाने की परम्परा भी हम लोगों` शुरू की है। मैं धन्यवाद दूंगा कि आप इस बार हमारे भाषण पर गए नहीं। अध्यक्ष जी, यह ऐसा घोषणा-पत्र है जो उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना चाहता है। जिस उम्मीद के साथ हमें समर्थन मिला है, उन उम्मीदों को पूरा करने वाला यह बजट है, सीमित संसाधनों के बाद भी, तमाम आर्थिक संकटों के बाद भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने कोशिश की है कि जो जनता के बीच में हम लोगों ने बातें रखी हैं, उनको पूरा करना चाहते हैं। किसानों की कर्ज माफी का काम हम लोग शुरू करेंगे, 500 करोड़ से शुरू कर रहे हैं। हम जानते हैं, उसके लिए बहुत धन चाहिए होगा। जो घोषणा-पत्र में हम लोगों ने लिखा है, उसके अनुरूप हम काम करेंगे और योजना बहुत जल्दी आपके बीच में बन जायेगी।

बिजली का उत्पादन हम हर कीमत पर बढ़ाना चाहते हैं, चाहे सोलर एनर्जी का इन्तजाम करना पड़े, चाहे कचरे से बिजली बनानी पड़े, कई कारखाने ऐसे थे जहां 1 मेगावॉट, 2 मेगावॉट बिजली बनती थी, सहारनपुर और मुजफ्फर नगर के इलाके में, वह कारखाने भी बन्द कर दिए। वह नहीं चल पा रहे हैं क्योंकि उनके लिए जो इन्तजाम रखने चाहिए थे, वह नहीं रखे। तो चाहे

1 मेगावॉट, 2 मेगावॉट या सोलर एनर्जी का सहारा लेना पड़े चाहे बड़े कारखाना लगाकर उन्हें विदेशी कोयले को एलाउ करना पड़े, हम लोग फैसला लेंगे और सदन सहमत होगा तो प्रस्ताव ला करके सदन में रखेंगे, जिससे कि बिजली बन सके, बिजली का इन्तजाम हो सके। बिजली होगी तो उत्तर प्रदेश में तरक्की और खुशहाली आयेगी। इसलिए प्राथमिकता के हिसाब से जो हमने घोषणा-पत्र में लिखा है, वह हम लोग पूरा करने जा रहे है और जनता ने इतना बहुमत दिया है, अभी तो शुरूआत है, 3 महीने में यह घबरा रहे है, अभी तो बहुत दिन चलेगी। अभी शुरूआत है, ऐसा नहीं है कि यह सब 1 दिन या दो दिन में हो जायेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश को सही रास्ते पर लायेंगे ताकि लोग उत्तर प्रदेश का उदाहरण बनायें। अभी सड़कें बनानी है, इंजीनियर इन चीफ रहे है, यहां बैठे है, वह भी जानते होंगे, क्या-क्या होता था, कैसे सड़कें बनी है। पता नहीं सड़के कहां बनायी, कैसी बनायी, जितने भी इन्होंने पीपीपी पर प्रोजेक्ट दिया, वह एक भी चालू करके नहीं गये। इनकों सरकार ने जितने भी प्रोजेक्ट पी0पी0पी0 पर दिया, एक भी चालू नहीं हुआ और उन पीपीपी प्रोजेक्ट पर हैपीनेस टैक्स ले लिया। तो अभी तो वह सड़कें शुरू करनी है, पूरा मुआवजा हमें देना है, आप तो एग्रीमेंट करके चले गए। हम लोग और भी पी0पी0पी0 सड़के ला रहे है क्योंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरसिप अगर बढ़े या कोई दूसरे इन्तजार से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरसिप बढ़े, स्टेडियम को भी हम लोग लाना चाहते है और भी इन्तजाम करके हम लोग उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ायेंगे। इसलिए मौका मिला है, जनता ने 5 साल के लिए चुना है। हम लोग हर साल अच्छा हो बजट लायेंगे और आपके जो अच्छे सुझाव होंगे, उससे सहमत होंगे। गन्ने के सवाल पर हम लोगों को काम करना है, नीति लानी है। चीनी मिलें चलें, बिजली बने और भी इन्तजाम हों। किसान को अच्छी कीमत मिले, धान की फसल आने वाली है, खाद के इन्तजाम के लिए 300 करोड़ दे रहे हैं, उसमें आपका भी हमें सहयोग चाहिए क्योंकि जिन अधिकारियों में गलत आदतें पड़ी हुई हैं उनको हम लोगों को सुधारना पड़ेगा। ये सदन मिल करके इन्हें भी सुधार सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ और जो बजट आया है वह खुशहाली का बजट है और उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस उम्मीद के साथ हमें समर्थन दिया है, उन उम्मीदों को पूरा करने वाला यह बजट है। यह सही है कि जो इन्तजाम पहले साल में पूरे होने चाहिए, कोशिश करके वह इन्तजाम हम पूरे करने जा रहे हैं। इसलिए यह एक अच्छा बजट है और इस बजट से जनता को राहत मिलेगी और किसान से लेकर के सभी वर्ग के लोग खुशहाल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद और तमाम हमारे सदस्यों ने जिन्होंने सुझाव दिए, उनको भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

*श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं। हर विषय पर उन्होंने अपना दृष्टिकोण रखा। ज्यादा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत ही सशक्त नेता प्रतिपक्ष के रूप में वह आज नजर आयें, सवाल ज्यादा किये। आपने सारी मदें रखी लेकिन आप एक बहुत महत्वपूर्ण मद भूल गये। वह भी आ जानी चाहिए। क्योंकि आज माननीय प्रमोद जी नहीं हैं उनकी हमें आज बहुत याद आ रही है। वह किसी वजह से नहीं आ पाये है। मान्यवर, यहां पर 403 सम्मानित विधायक हैं।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

30 तारीख को बजट सेंशन समाप्त हो जाएगा। 30 तक तो यहां पर काम रहेगा 30 के बाद सब अपने चुनाव क्षेत्रों में चले जायेंगे। यह लोग भी अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों में वायदा करके आये हैं। आपने तो बहुत वायदे गिनाये और आप करेंगे भी, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन यह भी कुछ वायदा करके आये हैं। जो परम्परा चली आ रही थी कि जब भी माननीय मुख्य मंत्री जी कोई उत्तर देते थें जिस मद का भी उत्तर देते थे तो उस मद का बड़े जोरशोर से उल्लेख करते थे। अगर उसका उल्लेख होता है तो तालियां दोनों तरफ से बजती हैं। अभी एक तरफ से बजी है। मान्यवर, उस मद पर आ जायें। अब जितने भी हमारे विधान सभा या विधान परिषद के सदस्य है शनैः शनैः उनका रोल बदला है। जनता आपसे अपेक्षा करती है कि आपने मेरे यहां विकास का क्या काम किया और उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए क्योंकि चुनकर सभी लोग आये हैं। उत्तरदायित्व भी उनका है और अपेक्षा भी उनसे बहुत ज्यादा है और हमारी अपेक्षा नम्बर एक सीट से रहती है। मुझे विश्वास है कि जिस तरह से विचार-विमर्श हो रहा है कोई अच्छा ही उत्तर आएगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी, अपने प्रस्ताव को खुलकर रखिये काहे इशारे-इशारे से कह रहे है।

(हंसी)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, दरअसल मैं दूसरी पीढ़ी के साथ बात कर रहा हूं। मैंने माननीय नेता श्री मुलायम सिंह जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी देखा है मुख्य मंत्री के रूप में देखा है। पक्ष में रहे होंगे लेकिन सदैव उन्होंने जमीनी बात की। जमीन से कभी अलग नहीं हटे और विधायकों का पूरा-पूरा ख्याल रखा। विपक्ष का भी कोई विधायक उनके पास चला गया तो कभी निराश होकर नहीं आया यह मेरी व्यक्तिगत जानकारी है। मान्यवर, संस्कार तो वही है। जब संस्कार वह है तो बात तो पूरी होगी। और बात अगर पूरी होगी तो आज कम से कम माननीय नेता सदन मा0 मुख्य मंत्री और माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र आज विधायक निधि के रूप में 5 करोड़ रुपये की घोषणा करें। ताकि सब सदस्य क्षेत्रों में जाकर काम कर सकें, विकास कर सकें।

श्री अखिलेश यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी बजट पास होना है। बजट होने से पहले जो माननीय सदस्य जी ने कहा है उस पर सरकार जरूर विचार करेगी।

*डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह सदन की परम्परा रही है पूर्व मुख्य मंत्री माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के जमाने की, हर विधायक को बजट के दौरान कुछ निश्चित किमी0 की सड़क दी जाती थी। अब तक हम लोगों को प्रति विधायक 7 किमी0 सड़क मिली हुयी है। यह आप जानते हैं। अब तक माने पांच साल पहले। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि माननीय मुलायम सिंह जी ने बहुत अच्छी परम्परा डाली थी। जो पांच साल पहले बंद हो गयी। आप आये हैं।

हर विधायक को कम से कम 15 किलोमीटर की सड़क उसके विधान सभा में दी जाय और पिछले पांच साल से पहले हैण्ड पम्प देने की परम्मरा थी ढाई सौ तीन सौ हैण्ड पम्प हम लोगों को मिलते थे, लेकिन जो स्थिति पानी की अब गिरती चली जा रही है, बहुत दबाव में मा0 विधायकों के ऊपर हैण्डपम्प का, इसलिये कम से कम 500 हैण्ड पम्प प्रति विधायक, तीसरी चीज जो सभी मा0 विधायकों की एक सामान्य प्रक्रिया है, हम उनकी बातों को सुनते हैं, हम उनकी आवाज को आपके बीच में रख रहे हैं, सबका यह कहना है कि यह जो डीजल और यह जो रेलवे का कूपन है इसकी व्यवस्था बढ़ाई जानी चाहिये।

*श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय हुकुम सिंह जी और हमारे डा0 अग्रवाल साहब के भाव आपके सामने आये, पिछले पांच साल तो हम लोगों के बिल्कुल सूखे निकल गये। हर विधायक तरस गया विकास के नाम को लेकर, ऐसा सूखा पड़ गया, बिल्कुल अकाल पड़ गया विधायकों के क्षेत्रों में तो मान्यवर, आपके माध्यम से हमारे होनहार मुख्य मंत्री जी ने अपना बजट पेश किया और उसका समर्थन हमारे संसदीय कार्य मंत्री और सारे कैबिनेट के मंत्री जी भी दे रहे हैं तो जो भी बात हमारे मा0 हुकुम सिंह जी ने कही वह भी और उस वक्त गांवों के विद्युतीकरण भी दिये जाया करते थे, सात-सात गांव उसको भी जोड़ लिया जाय, देहातों में पेयजल का बड़ा गम्भीर संकट है हमारे मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी बताते रहे कि गत सरकारों में टंकियां बनीं और बनने के बाद वह झूलने लगी तो मान्यवर, आप गांव की स्थिति जान सकते हैं, गांव के लोग प्यासे मर रहे है और उसके साथ-साथ शहरों के लोग भी प्यासे मर रहे हैं और वहां पर भी हैण्ड पम्प नहीं है, जो ट्यूब्वेल भी लगाये गये पिछले शासनकाल में वह भी अपनी जमीन छोड़ चुके हैं। तो मान्यवर, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है जो क्षेत्रिय विकास निधि है उसको समुचित रूप से बढ़ाकर पांच करोड़ करेंगे और हैण्डपम्प पांच सौ देंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आपकी बात बिल्कुल सही है, सूखा रहा मगर आप भी तो सूखे रहे पांच साल तक बोले नहीं और मेरे ख्याल से सड़कें देने की बजाय बड़ी कृपा रही है गड्ढे भरवा लीजिए।

श्री प्रदीप माथुर-

इन्होंने जो फसल बोई है, उसे हम क्यों काटें, उस फसल को हम नहीं काटने वाले। हमें उम्मीद है कि मा0 होनहार मुख्य मंत्री जी सभी 403 विधायकों के साथ बिना भेद-भाव किये हुए, क्योंकि मान्यवर, पिछली सरकारों में तो पूरा भेद-भाव हुआ और आपके पास तो आकर देखते हैं कि इस दल के लोग भी आपके पास आकर आपसे बात करते हैं। हमने तो सूरत भी नहीं देखी, सीरत की बात तो बहुत दूर है। तो माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से हम कहेंगे, यह लोग हताश न हो, हमारे नेता विरोधी दल हैं, हम लोग उन्हीं के संरक्षण में काम करते हैं और जो हुआ, जो बीता वह तो स्टैन मन कर रहा है इतने अच्छे भाषण के बाद और मा0 हुकुम सिंह जी हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं उन्होंने यह सब कहा तो मैं जानता हूं कि आप हम सब लोगों की मनोभावना को रखेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है अब आप बैठ जायें, मा0 नेता विरोधी दल बोलने जा रहे हैं। मा0 नेता विरोधी दल जी केवल स्पष्टीकरण पूछियेगा।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण पर विस्तार से चर्चा हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी मा0 सदस्यों ने तमाम सुझाव भी दिये बातें भी रखी और कुछ ऐसे भी मौके आये जहां स्वागत भी हुआ, लेकिन मा0 मुख्य मंत्री जी को मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि यह मान्यवर, श्री कांशीराम इको गार्डेन में, वनमानुष, शेर, हाथी यह सब देखने गये। मान्यवर, आखिर आपने देखा तो भले ही छुप-छुप करके देखा, लेकिन मान्यवर, यह तो बच्चों के लिए बनाये गये थे और शाम-सुबह लखनऊ चूंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तमाम बच्चे और बच्चियां उनकी मातायें एक ऐसा ईको गार्डेन रहा जहां शाम-सुबह जाकर के पिकनिक स्पाट के रूप में देखती रहीं। मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप उसको देखने के लिये गये और साथ ही साथ मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, अभी मा0 मुख्य मंत्री ने कहा कि मैं सदन चालने का प्रयास कर रहा हूं। सही मायने सदन चलाने का कार्य तो विपक्ष कर रहा है और जब आप इधर थे तो कोई भी उनमें से पढ़ने लिखने में यकीन करता नहीं था, पढ़ लिख के आते नहीं थे तो वेल में जा करके हमेश अव्यवस्था फैलाने के अलावा कभी कुछ नहीं करते थे। वो सहयोग हम कर रहे हैं।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा हंसी)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

वह सहयोग हम कर रहे हैं और स्थितियां ऐसी ला रहे हैं कि हम घेर करके, हम घेर करके सदन को ज्यादा से ज्यादा चलाने की परिपाटी को पैदा कर रहे हैं।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा हंसी)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, तमाम मा0 सदस्यों के सुझाव। अब जैसे हमारे मा0 बहुत ही वरिष्ठ नेता भाजपा, हमारे कांग्रसे के, हमारे तमाम अन्य नेताओं ने और इशारा आपकी भी तरफ से हुआ मान्यवर, पीठ से भी इशारा हो गया कि खुल के कह दिया जाये। चलिये कम से कम आश्वासन तो मिला मा0 मुख्य मंत्री जी का क्योंकि वो तो बजट भाषण में ऐसा गोल कर दिया गया था कि सारे मा0 सदस्यगण सोच रहे थे कि चमत्कार हो गया और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि चमत्कार होगा तो वह ऐसी स्थिति हो गयी कि इधर वाला चमत्कार होगा कि उधर वाला चमत्कार होगा। माइनस होगा या प्लस होगा। यह असमंजस में था कि लेकिन सकारात्मक होगा। मान्यवर, इसके साथ ही साथ जैसा कि बार बार जैसा कि मैंने कहा कि मा0 मुख्य मंत्री जी शब्दों के बाजीगर भी हैं, बड़ी बारीकी से बड़ा घुमा करके अपनी बात कहने में माहिर हैं। ये 25000 करोड़ रुपये बार बार बिजली घाटे की बात करते हैं। मैं अवगत कराना चाहता हूं कि 16000 हजार करोड़ रुपये का 2007 में सपा सरकार ने वो जो छोड़ के गयी थी, वो भी उसमें शामिल है। दूसरी चीज मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि फीडर व्यवस्था तो हमारी पूर्व की सरकार कर ही गयी थी।

फीडर को जो अलग करने की व्यवस्था है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों में, तमाम क्षेत्रों में इस पर कार्य भी हो रहा है। आप भी उसको कर रहे हैं इसका मैं स्वागत करता हूं और मान्यवर, जहां तक रही बात कि जब कभी, कहीं किसी निर्माण में कोई गड़बड़ियां होती हैं तो वो टेक्निकल खामियों के कारण होती हैं। सैफई में जब स्टेडियम बन रहा था तो आपको मालूम होना चाहिये कि सैफई के स्टेडियम की छत भी गिरा था इसलिये वो गलती आपकी नहीं है वो टेक्निकल इंजीनियर्स की गलती होती है, वो कहीं न कहीं डिजाइनिंग में या वर्किंग में कहीं-कहीं गलती छोड़ जाते हैं तो उस नाते से कभी-कभी हो जाता है और उसमें अगर सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाये तो फिर सैफई में अगर गिरा तो उसके लिये जिम्मेदार कौन था। इसलिये मैं इस पर नहीं जाना चाहता। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं मान्यवर,.....

श्री अध्यक्ष-

स्पष्टीकरण पूछ लीजिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, बार-बार मुख्य मंत्री जी पूछ रहे थे, मैं तो एक मिनट में खत्म कर दूंगा। आप अभी एक हफ्ता पहले तक एम0ओ0यू0, एम0ओ0यू0, एम0ओ0यू0 पर इतना बाण चलाये, इतना बाण चलाये। आखिर आपने भी तो वही काम किया।

''बाबा की गलती नमोनारायण, बाबा की गलती नमोनारायण, चेले की गलती पर संशा चले''

यही हाल मा0 मुख्य मंत्री जी का है। हमने एम0ओ0यू0 कर दिया था गलत और अगर आपने उसी को आगे के लिये बढ़ा दिया तो सही। इसलिये मामला जैसा कि मैंने कहा, पहले ही कह दिया था, पहले तो मैं भोले-भोले कहता था, पहले तो मैं भोले-भोले कहता था लेकिन ये तो ऐसे जादूगर, ऐसे जादूगर हैं अब तो हमको [x x x] कहना पड़ेगा और मान्यवर, इस बजट में हम लोग, मा0 अध्यक्ष जी....

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा खड़े होकर नेता प्रतिपक्ष का विरोध करने पर व्यवधान की स्थिति)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जाइए। आप लोग बातें सुनिये तो सही, जो असंसदीय होगी वह निकाल दी जाएगी, उसके लिए परेशान क्यों हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

भोला तो इसलिए वापस ले रहे हैं क्योंकि बात भोली की भी आ गयी थी।

(सदन में हंसी)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, यह तो इनकी अक्ल की बलिहारी है। अगर समाजवादी पार्टी के लिए लोग पढ़े-लिखे होते तो [x x x] श्रीकृष्ण को कहते हैं। अगर यह पढ़े-लिखे लोग होते तो इस बात पर खड़े नहीं होते।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता प्रतिपक्ष आप स्पष्टीकरण पूछें और खत्म करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

और इसीलिए मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री जी ने जो बजट में घोषणा की और घोषणाओं के अनुरूप बजट में जो प्रावधान किया, उस व्यवस्था का भी स्वागत किया ही था लेकिन जो आपने बजट काट-पीट करके ''गवैया की लाठी तोड़ने'' की कहावत है। बजट को काट-पीट करके ऐसा कर दिया कि सारे बेरोजगार, सारे छात्र हाथ मलते रहे जायेंगे। अभी हाई स्कूल और इण्टर की परीक्षा हुई है। 53 लाख इसमें बच्चे पास हुए हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह तो आप पहले बोल चुके हैं। अपने भाषण में अब स्पष्टीकरण पूछिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

इसलिए मान्यवर, मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं कि आपने उद्योग स्थापना के लिए माहौल बनाने की बात की है, स्वागत है, लेकिन उद्योग तभी स्थापित होंगे, जब किसी भी उद्योगपति को यह अहसास हो जाए कि हमारी सुरक्षा और हमारी सम्पत्ति रहेगी तभी उद्योग आएगा। इसलिए मा0 मुख्य मंत्री जी अगर आप उद्योग लगाने की व्यवस्था अनुकूल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले यह मेरा सुझाव है कि क्या आप कानूनराज व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित कराने का काम करेंगे ? क्या [x x x] पर अंकुश लगाने का काम करेंगे ? क्या बड़े पैमाने पर जो अराजकता फैली है, इस पर बंदिश लगाने के लिए कोई कठोर उपाय सुनिश्चित कराने का काम करेंगे और अगर इन सारी चीजों को जवाब आ जाता है तो शायद आज मा0 मुख्य मंत्री जी के पूरे भाषण को मैं बधाई देता, धन्यवाद देता लेकिन मान्यवर, कोई नई चीज आज मा0 मुख्य मंत्री जी ने नहीं कही है। वही घिसा-पिटा और रटा-रटाया भाषण दिया इसलिए मान्यवर, जैसाकि मैं पहले विरोध कर चुका हूं और जो बजट में तमाम कटौतियां की हैं, अगर उसको पर्याप्त दें तो हम आगे इनका स्वागत करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाएं।

(श्री राम गोविन्द चौधरी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 श्री राम गोविन्द चौधरी जी आप तो खुद मंत्री हैं। आप क्या पूछेंगे ?

*बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमें समय दिया। मा0 हुकुम सिंह जी ने एक सवाल किया, ये बड़े पुराने सदस्य हैं। इनको हम लोग गम्भीर नेता भी मानते हैं लेकिन इस बार प्रदेश में जनता ने मा0 अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो जनसमर्थन दिया है वह बदलाव के लिए दिया है और बदलाव मा0 मुख्य मंत्री जी कर भी रहे हैं। मेरा स्पष्ट मत है श्रीमन् कि राजनीति की

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शुचिता को बनाये रखने के लिए और इस मण्डप में बैठने वाले तमाम सदस्यों की गरिमा को बरकरार रखने के लिए यह आवश्यक है कि चाहे क्षेत्र विकास निधि को जितना भी कर दिया जाए। उसका नाम विधायक निधि है, मा0 मुख्य मंत्री जी, आप विधायक निधि को समाप्त करके क्षेत्र विकास में चाहे जितना भी बढ़ाना चाहते हों, बढ़ा दीजिए, लेकिन इस विधायक निधि को समाप्त करने की घोषणा करें। विधायक निधि से विधायकों की गरिमा समाप्त हो रही है, मान्यवर। मान्यवर, इसलिए यह विधायक निधि समाप्त होनी चाहिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 मंत्री जी को यह मालूम होना चाहिए कि इसका नाम विधायक निधि नहीं है, पहले से ही इसका नाम विधायक क्षेत्र विकास निधि है। इसका विधायक निधि नाम नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, आप सदन की गरिमा समझिए। आप मंत्री हैं, मुझे आश्चर्य है कि आप मिनिस्टर हैं और कैबिनेट में बैठते हैं और ये सारे डिसीजन कैबिनेट में होते हैं और मंत्री होकरके आप सदन में मुख्य मंत्री से इस तरह से बात कर रहे हैं। ऐसी परम्परा न डालिए। अच्छी परम्परा डालिए। अब आप बैठ जाइए।

श्री अध्यक्ष-

वह अपने कैबिनेट में इसको कहते आप।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, परम्परायें क्या हैं विधान सभा की वह हम सब लोग जानते हैं। माननीय हुकुम सिंह जी ने जो आज यहां पर सवाल किया उसी पर हमने अपनी यह बात रखी है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, दासता का अंधकार गया। नया सबेरा आया है। लोकतंत्र कायम हो। यह हम सब जानते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी युवा हैं और नई-नई योजनायें लेकर यहां पर आये हैं। लेकिन इस बजट भाषण में एक अंतर्विरोध दिखाई दे रहा है उस मेरे संशय को आप दूर कराने का कष्ट करें। जिसका मैं आपके माध्यम से स्पष्टीकरण चाहता हूं।

मान्यवर, बजट भाषण के पृष्ठ संख्या-46 पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि ''वर्ष 2012-2013 में पांच हजार आठ सौ चौरासी करोड़ पैंतीस लाख रुपये (5,884.35 करोड़ रुपये) की राजस्व बचत अनुमानित है। जबकि जो बजट समीक्षा में 2012-13 का रु0 का घाटा दर्शाया गया है तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एक तरफ तो बचत दिखायी गयी है और दूसरी तरफ घाटा दर्शाया जा रहा है। हो सकता है यह त्रुटिवश हो गया हो यदि त्रुटि है यह तो कृपया इसे ठीक कराने का संशोधित कराने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब हम नियम-51 की सूचनाओं को लेते हैं।

आज दिनांक 8-6-2012 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 59 सूचनायें प्राप्त हुईं।

पहली सूचना श्री जियाउद्दीन रिजवी की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर में घाघरा नदी के किनारे तेजी से हो रहे कटान को तत्काल रोके जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री कुंवर कौशल सिंह की महराजगंज के नौतनवां महौनानाला में बाढ़ आने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की प्रदेश सरकार द्वारा यू0पी0टी0ई0टी0 में संस्कृति भाषा को विकल्प में रखे जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री जय प्रकाश अंचल की जनपद पीलीभीत में स्टेट फार्मेसी के पद पर तैनात अधीक्षक द्वारा अनुसूचित जाति का फर्जी प्रमाण-पत्र एवं फर्जी डिग्री के आधार पर नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा पांचवीं सूचना श्रीमती रजनी तिवारी की जनपद-हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर के अन्तर्गत सेतुओं का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। यह सभी सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती हैं। छठवीं सूचना श्री भाईलाल कोल की जनपद मिर्जापुर के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र छानबे के अन्तर्गत पावर हाउस जिगना व लालगंज व हलिया के पावरहाउसों की जर्जर स्थिति के कारण बिजली की समस्या के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री धर्म सिंह सैनी को जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र नकुड़ के अन्तर्गत पड़ने वाले कस्बे नकुड़, सरसावा एवं सुल्तानपुर चिलकाना में विद्युत सप्लाई के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री संजय कपूर की रामपुर की टाउन एरिया केमरी में किसानों के हित में उपमण्डी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री बजरंग बहादुर सिंह की जनपद-महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र फरेंदा के बलसर रिगौली हेतु बांध के घानी बाजार को बाढ़ से सुरक्षित कराये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री अजय मिश्रा की जनपद-लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र निघासन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है तथा ग्यारहवीं सूचना श्री भगवान सिंह कुशवाहा की जनपद-आगरा विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ के ब्लाक सैंया में ग्वालियर नेशनल हाइवे रोड पर बी0टी0सी0 प्रशिक्षण हेतु बने सरकारी कालेज में प्रशिक्षण बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। यह सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती हैं। बारहवीं सूचना श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय की इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अन्तर्गत मेडिकल कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा तेरहवीं सूचना श्री राधेश्याम की राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा जारी पदोन्नतियों सम्बन्धी शासनादेश का अनुपालन उ0 प्र0 जल विद्युत निगम में कराये जाने के सम्बन्ध में है। इन सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत की जाती हैं :-

1-श्री सूरजपाल सिंह,

2-श्री भीम प्रसाद सोनकर,

3-श्री रामहेत भारती,

4-श्री महावीर सिंह राणा,

5-श्री उमेश पाण्डेय

6-डा0 धर्मपाल सिंह,

7-श्री ललितेशपति त्रिपाठी,

8-श्री प्रदीप चौधरी,

9-श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय,

10-श्री बब्बन चौहान,

11-डा0 पूर्णमासी देहाती,

12-श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महराज,

13-श्री राजेश त्रिपाठी,

14-श्री पंकज कुमार मलिक,

15-श्री रोशन लाल वर्मा,

16-श्री सुल्तान बेग,

17-श्री अगयशराम सरन वर्मा,

18-श्री सुरेश बंसल,

19-श्री सिबगतुल्ला अन्सारी,

20-श्री पूरन प्रकाश,

21-श्री जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी,

22-श्री ठा0 दलवीर सिंह,

23-श्री श्यामदेव राय चौधरी,

24-रविन्द्र भड़ाना,

25-साध्वी निरंजन ज्योति,

26-श्री मुकुट बिहारी वर्मा,

27-डा0 अरुण कुमार,

28-श्री जगन प्रसाद गर्ग,

29-श्री मदन चौहान,

30-श्री अमित गौरव यादव,

31-श्री राम चन्द्र यादव,

32-श्री ममतेश शाक्य,

33-श्री प्रदीप माथुर,

34-श्री उमाशंकर सिंह,

35-श्री सुनील कुमार सिंह यादव,

36-श्री मुकेश श्रीवास्तव,

37-डा0 महेश शर्मा,

38-श्री विजय बहादुर यादव,

39-श्री मनीष असीजा,

40-सुश्री सावित्री बाई फूले,

41-श्री सुरेश कुमार खन्ना,

42-श्रीमती विमला सिंह सोलंकी,

43-श्री सिनोद कुमार शाक्य (दीपू),

44-श्री राधेश्याम जायसवाल,

45-श्री चन्द्रभान सिंह पटेल तथा

46-श्री जय प्रकाश निषाद।

जनपद लखनऊ स्थित वृन्दावन योजना में किसानों की भूमि का उचित मुआवजा न दिये जाने तथा फर्जी मुकदमों में फंसाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री शारदा प्रताप शुक्ल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा....

बाल विकास पुष्टाहार व बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री वसीम अहमद)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। इसे पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ मान गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[दिनांक 01-06-2012 को विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में उल्लेख किया गया है कि वृन्दावन योजना लखनऊ काफी दिन पहले शुरू हुई, उक्त योजना में किसानों की काफी जमीन चली गयी परन्तु उक्त जमीन का बाजार मूल्य के अनुसार मुआवजा नहीं दिया गया है, इसे लेकर किसान आन्दोलित भी हैं। तमाम इनके ऊपर आन्दोलन के दौरान पिछली सरकार में फर्जी रूप से मुकदमें भी पंजीकृत कर दिये गये। कल्ली पश्चिम और माती गांव के बीच 2700 एकड़ जमीन पर हाईटेक सिटी बनाने का जाल भी बुना जा रहा है। पिछली सरकार की मुखिया के भाई श्री आनन्द और गर्व बिल्डर के साझे में यह योजना चल रही है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

किसानों को धोखे में रखकर उनकी जमीन कम कीमतों पर लिया जा रहा है, जमीन सरकार द्वारा न अधिग्रहण करके सीधे किसानों से नीगोसेशन करके बिल्डर या औद्योगिक घराने खरीदे, जिससे किसानों को अपनी जमीन का अच्छा मूल्य मिल सके। यह बहुत ही महत्वपूर्ण एवं गम्भीर विषय है तत्काल इसका समाधान किये जाने की आवश्यकता है।

2-प्रश्नगत प्रकरण में मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना दिनांक 01-06-2012 पर उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् से आख्या मांगी गयी थी, जो उनके पत्र दिनांक 6-6-2012 में प्राप्त हुआ, जिसमें अवगत कराया गया है कि उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा वृन्दावन योजना के अन्तर्गत चार भागों में भूमि का अधिग्रहण किया गया है :-

वृन्दावन योजना संख्या-1-इस योजना के अन्तर्गत क्षेत्रफल 432.42 एकड़ भूमि वर्ष 1983 में अधिग्रहण किया गया था। शासन द्वारा निर्धारित करार नियमावली के तहत आपसी समझौते से रु0 9.00 प्रति वर्ग फिट की दर से समझौता किया गया था, जिसके तहत अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) लखनऊ द्वारा कुल रु0 16.05 करोड़ की धनराशि की मांग की गयी थी, जिसमें से रु0 15.70 करोड़ की धनराशि का वितरण सम्बन्धित भू-स्वामियों को किया जा चुका है जिसमें से समझौते के अनुसार 144 किसानों को तथा 350 किसानों को अभिनिर्णय के अनुसार अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) लखनऊ द्वारा भुगतान की कार्यवाही की गयी है। शेष प्रतिकर का भुगतान अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।

वृन्दावन योजना संख्या-2-इस योजना के अन्तर्गत 843.00 एकड़ भूमि का अधिग्रहण वर्ष 1983 में किया गया था जिसमें कुल काश्तकारों की संख्या-1764 थी जिसमें से 1054 किसानों द्वारा करार नियमावली के तहत रु0 9.00 प्रति वर्ग फिट की दर से प्रतिकर का भुगतान प्राप्त किया जा चुका है। अवशेष 710 किसानों के लिये एवार्ड घोषित किया गया था, जिसके विरुद्ध भी किसानों को प्रतिकर का भुगतान किया जा रहा है, जिसके लिए अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) लखनऊ को रु0 29.25 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है, जिसमें से रु0 29.01 करोड़ की धनराशि का वितरण किया जा चुका है। शेष का भुगतान अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) लखनऊ द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।

वृन्दावन योजना संख्या-3-इस योजना के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल 440.84 एकड़ है, जिसमें कुल किसान 810 है जिसमें से 670 किसानों को आपसी समझौते से निर्धारित दर रु0 18.00 प्रति वर्ग फिट की दर से कुल रु0 22.37 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। अवशेष 140 किसानों के भुगतान हेतु अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) लखनऊ द्वारा दिनांक 23-12-2010 को अभिनिर्णय घोषित किया गया है जिसके तहत रु0 3.89 करोड़ का भुगतान किया जा रहा है।

वृन्दावन योजना संख्या-4-इस योजना के अन्तर्गत चकबन्दी होने के कारण दो भागों में भूमि अर्जन की कार्यवाही की गयी है। ग्राम-हैवतमऊ मवैया, बरौली, खलीलाबाद एवं बिरूरा का क्षेत्रफल 234.6 हे0 है जिसमें कुल किसान 1165 हैं, जिसमें से 1006 किसानों द्वारा रु0 18.00 प्रति वर्ग फिट की दर से समझौता कर प्रतिकर प्राप्त किया गया है। अवशेष 159 किसानों द्वारा एवार्ड के माध्यम से प्रतिकर प्राप्त किया जा रहा है। उक्त योजना के अन्तर्गत ग्राम-हैवतमऊ मवैया, बरौली, खलीलाबाद एवं बिरूरा की भूमि के प्रतिकर भुगतान हेतु परिषद् द्वारा प्रतिकर की धनराशि के रूप में रु0 39.91 करोड़ की धनराशि अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) लखनऊ के यहां जमा की थी जिसके विरुद्ध रु0 33.75 करोड़

की धनराशि वितरित की जा चुकी है। शेष धनराशि एवार्ड के माध्यम से किसानों को वितरित की जा रही है। ग्राम कल्ली पश्चिम में किसानों की भूमि 82.95 हे0 है जिसका प्रतिकर आपसी समझौते के आधार पर रु0 13.5 लाख प्रति बीघा तय किया गया है। परिषद् द्वारा प्रतिकर भुगतान हेतु अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) लखनऊ को रु0 37.65 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है जिसके विरुद्ध लगभग 33.00 करोड़ की धनराशि का वितरण प्रतिकर के रूप में किया जा चुका है। शेष प्रतिकर का भुगतान एवार्ड के माध्यम से किया जा रहा है, जहां तक किसानों के आन्दोलन का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में किसानों से आपसी बातचीत कर प्रकरण को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। परिषद् द्वारा किसी भी काश्तकार पर कोई फर्जी मुकदमा आदि दायर नहीं किया गया है।

3-ग्राम-कल्ली पश्चिम एवं माती गांव के बीच लगभग 2700 एकड़ जमीन पर प्रस्तावित हाईटेक सिटी के सम्बन्ध में लखनऊ विकास प्राधिकरण के पत्र दिनांक 6-6-2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि उ0 प्र0 में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से हाईटेक टाउनशिप के विकास हेतु हाईटेक टाउनशिप नीति 2007 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-2608(2)/आठ-3-09-13विविध/08, दिनांक 3-7-2009 द्वारा जनपद लखनऊ में लखनऊ-रायबरेली रोड पर लगभग 2700 एकड़ क्षेत्र में हाईटेक टाउनशिप विकसित किये जाने हेतु विकासकर्ता मै0 गर्व बिल्डटेक प्रा0लि0 का चयन शासन द्वारा किये जाने के पश्चात दिनांक 10-9-2009 को विकासकर्ता एवं प्राधिकरण के मध्य एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया है। लखनऊ-रायबरेली रोड पर स्थित ग्राम-कल्ली पश्चिम, अशरफनगर, माती, अलीनगर खुर्द, अहमदपुर उर्फ कमलपुर की भूमि पर हाईटेक टाउनशिप विकसित किये जाने हेतु विकासकर्ता का कन्सेप्चुवल डी0पी0आर0 प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 22-6-2010 द्वारा अनुमोदित है। स्वीकृत कन्सेप्चुवल डी0पी0आर0 के अनुसार सम्पूर्ण टाउनशिप का विकास कुल चार चरणों में पूर्ण किया जाना है, जिसमें से प्रथम चरण (लगभग 669.352 एकड़) का विस्तृत विन्यास मानचित्र दिनांक 21-10-2011 को अनुमोदित/निर्गत किया जा चुका है। हाईटेक टाउनशिप के अन्तर्गत भूमि जुटाव का कार्य विकासकर्ता द्वारा किसानों से आपसी समझौते के आधार पर किया जा रहा है। अभी तक विकासकर्ता को प्राधिकरण द्वारा कोई भूमि अर्जित कर हस्तगत नहीं की गयी है।]

जनपद शाहजहांपुर में पावर कार्पोरेशन लि0 के लिये 2010-2011 में मलिन बस्तियों में स्वीकृत धनराशि से अब तक विद्युतीकरण न किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

(श्री सुरेश कुमार खन्ना का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

खन्ना जी नहीं हैं। अब मद संख्या-15 लेते हैं।

जनपद सीतापुर की ग्राम पंचायत खरौहा में स्वीकृत अग्निशमन केन्द्र न खोले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा अवगत कराया गया है कि माननीय सदस्य....

बाल विकास, पुष्टाहार व बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री वसीम अहमद)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[जनपद सीतापुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र 150 सेवता तहसील बिसवां में विकास खण्ड रेउसा के ग्राम पंचायत खरौंहा में स्वीकृत अग्निशमन केन्द्र हेतु गाटा संख्या-62 कुल क्षेत्र 0.4620 क्षेत्रफल भूमि खतौनी में दर्ज है। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि संभवतः उक्त स्थान पर अग्निशमन केन्द्र बनाये जाने हेतु धन भी शासन द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। त्रासदी यह है कि प्रति वर्ष सात सौ से आठ सौ घटनायें अग्निकाण्ड की होती हैं। संसाधन के अभाव में अग्निकाण्ड की घटनाओं पर काबू नहीं पाया जा रहा है जिससे धन हानि के साथ-साथ जन हानि भी होती रहती है। मेरे द्वारा निरन्तर प्रयास करने के बावजूद अभी तक उक्त स्थान पर अग्निशमन केन्द्र की स्थापना धनाभाव का कारण बताकर नहीं की जा रही है। मा0 सदस्य द्वारा उक्त लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए वक्तव्य की मांग की गयी है।

2-उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद सीतापुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र 150 सेवता तहसील बिसवां में विकास खण्ड रेउसा के ग्राम पंचायत खरौंहा में अग्निशमन केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु भूमि का चयन कर लिया गया है। अग्निशमन केन्द्र खोले जाने हेतु अन्य औपचारिक कार्यवाही सम्प्रति प्रक्रियाधीन है।]

लखनऊ से सीतापुर नेशनल हाई-वे पर सिधौली अटरिया के पास डी0एस0सी0 कम्पनी द्वारा नियम विरुद्ध टोल टैक्स की वसूली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय सदस्य द्वारा दी गयी सूचना में.....

बाल विकास, पुष्टाहार व बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री वसीम अहमद)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[यह उल्लेख किया गया है कि लखनऊ से सीतापुर नेशनल हाई-वे पर बन रही फोर लेन की सड़क पर कमलापुर, सिधौली, अटरिया, बक्शी का तालाब पर फ्लाई ओवर नहीं बनने पर भी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

डी0एस0सी0 कम्पनी द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से टोल टैक्स की वसूली की जा रही है। जबकि लखनऊ फैजाबाद रोड पर फ्लाई ओवर बनने तक टोल टैक्स की वसूली नहीं हो रही है। इस नियम के विरुद्ध टोल टैक्स वसूली से जनता में काफी आक्रोश व्याप्त है।

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूचना के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त सूचना के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-24 लखनऊ-सीतापुर का चार लेन चौड़ीकरण का कार्य मानकों के अनुरूप किया गया है एवं कंशेसन एग्रीमेन्ट के अनुसार लगातार 50 कि0मी0 भाग पूरा करने के उपरान्त 50 कि0मी0 लम्बाई हेतु कंशेसनायर टोल टैक्स कंशेसन एग्रीमेन्ट के अनुच्छेद-6.1 के अनुसार वसूल रहा है। उक्त परियोजना पूर्ण होने के पश्चात् पूरी परियोजना की लम्बाई के हिसाब से कंशेसनायर द्वारा टोल टैक्स वसूला जायेगा।

इस परियोजना में चार स्थानों पर अन्डर पास बनना प्रस्तावित था, जिसमें से एक स्थान पर बन गया है तीन स्थानों के अन्डर पास का निर्माण कार्य पर्याप्त जमीन उपलब्ध न हो पाने के कारण पूर्ण नहीं किया जा सका है। उक्त निर्माण में प्रयुक्त की जाने वाली भूमि का अभिनिर्णय हो चुका है लेकिन उक्त भूमि का भू-स्वामियों के मध्य विवाद होने के कारण मुआवजे का वितरण नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण उक्त परियोजना में निर्माणाधीन तीन स्थानों के अन्डरपास के निर्माण कार्य की प्रगति प्रभावित हो रही है। उक्त तीन अन्डरपास के निर्माण हेतु उक्त परियोजना के कंशेसनायर ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को शपथ-पत्र दिया है कि यदि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कंशेसनायर को तीन वर्ष के अन्दर भूमि उपलब्ध करा देगा तो कंशेसनायर द्वारा उक्त तीनों अन्डरपास का निर्माण पूर्ण कर दिया जायेगा अन्यथा कंशेसनायर उक्त निर्माण की अवशेष लागत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में जमा करा देगा।

यह भी अवगत कराना है कि लखनऊ-फैजाबाद रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-28 जिसका कार्य भी पूर्ण हो चुका है, परन्तु गजट नोटीफिकेशन का प्रकाशन लम्बित है, प्रकाशन के बाद ही टोल की वसूली की जायेगी।]

श्री शमशेर बहादुर-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि रोड वहां कुल 70-80 कि0मी0 बनी है और दो जगह वसूली की जा रही है इसमें यह लिखा है कि रोड 50 कि0मी0 बनने पर वसूली हो रही है तो दो जगह वसूली कैसे हो रही है क्योंकि 100 कि0मी0 तो बनी नहीं है।

श्री शिवपाल यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, यह राष्ट्रीय मार्ग है, राष्ट्रीय मार्ग का कोई हिसाब-किताब है नहीं अब जानकारी करके बता दिया जायेगा।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र करछना के कतिपय गांवों में कुछ दबंग व्यक्तियों द्वारा प्रजापति, यादव व आदिवासी समाज के लोगों को उनके मूल स्थान से अन्यत्र विस्थापित करने पर दबाव बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री दीपक पटेल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

यह वक्तव्य स्थगित है।

जनपद लखीमपुर खीरी में स्थित सरयू सहकारी चीनी मिल लिमिटेड बिलरायां द्वारा गन्ना कृषकों से की गयी कटौती की धनराशि से महाविद्यालय का निर्माण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय मिश्रा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय सदस्य ने अपनी सूचना में सरयू सहकारी चीनी मिल लि0.....

बाल विकास, पुष्टाहार व बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री वसीम अहमद)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[बेलरायां द्वारा महाविद्यालय निर्माण हेतु किसानों से कटौती करने किन्तु महाविद्यालय का निर्माण न करने आदि का उल्लेख किया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सरयू सहकारी चीनी मिल लि0 बेलरायां की स्थापना वर्ष 1980-81 में क्षेत्र के किसानों के विकास हेतु की गई थी। यह चीनी मिल तबसे लगातार गन्ना पेराई का कार्य कर रही है।

चीनी मिल क्षेत्र के गन्ना किसानों एवं मिल कार्मिकों के बच्चों को उच्च शिक्षा देने के उद्देश्य से एक महाविद्यालय स्थापित किये जाने का निर्णय चीनी मिल संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 10-12-1993 में लिया गया। महाविद्यालय स्थापित करने हेतु 1993-94 से गन्ना कृषकों को देय गन्ना मूल्य से धनराशि की कटौती प्रारम्भ की गई। वर्ष 1993-94 से वर्ष 2008-09 तक कुल धनराशि रुपया 3.64 करोड़ की कटौती की गई। महाविद्यालय की स्थापना हेतु भूमि चिन्हित की गई थी। उस भूमि पर विवाद हो जाने के कारण मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-3576 (एम/एस) आफ 1999 सरजू किसान शिक्षा समिति एवं अन्य बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य दायर है, जो अभी भी लम्बित है। उक्त वाद के चलते चिन्हित भूमि पर महाविद्यालय की स्थापना का कार्य संभव नहीं हो सका, अतः कटौती की गयी धनराशि में से संचालक मण्डल के प्रस्तावानुसार रुपया 1.82 करोड़ गन्ना कृषकों की अंश पूंजी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। अवशेष रुपया 1.82 करोड़ में से रुपया 78.00 लाख का भुगतान भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय, लालपुर निघासन, सरयू, सरस्वती मंदिर बेलरायां एवं सरयू किसान शिक्षा समिति सिंघाही को किया गया है। अवशेष रुपया 1.04 करोड़ चीनी मिल बेलरायां के पास उपलब्ध है।

वर्ष 2008-09 के बाद से कृषकों से महाविद्यालय की स्थापना हेतु कोई धनराशि की कटौती नहीं की गई है।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अजय मिश्रा-

मान्यवर, मुझे इसमें कुछ पूछना है।

श्री अध्यक्ष-

यह केवल वक्तव्य है इसमें स्पष्टीकरण नहीं पूछ सकते।

मेसर्स प्रीमियम कांस्ट्रक्शन कम्पनी की इन्दिरा नगर, लखनऊ की जमीन पर उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा फर्जी फर्म के साथ मिलकर की गयी जालसाजी के सम्बन्ध में श्री बंशी सिंह पहाड़िया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा.....

बाल विकास, पुष्टाहार व बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री वसीम अहमद)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[दिनांक 01-06-2012 को विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में उल्लेख किया गया है कि मेसर्स प्रीमियर कांस्ट्रक्शन कम्पनी मूल की जमीन 31/491 सेक्टर-21 इन्दिरा नगर, लखनऊ को सविता गर्ग नाम की महिला ने फर्जी काल्पनिक फर्म बनाकर आवास विकास परिषद् के कर्मचारियों से सांठ-गांठ करके सेल डीड के क्रियान्वयन में दुरभिसंधि करके बड़े पैमाने पर जालसाजी की गयी है, जिसकी जांच के लिए विधायक इरशाद खां द्वारा जून, 2011 में प्रमुख सचिव, आवास, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ के समक्ष साक्ष्यों सहित शिकायत की गयी थी। उपरोक्त प्रकरण में अधिकारी फंस रहे हैं। इसलिए विभागीय अधिकारी हेरा-फेरी कर रहे हैं। जबकि सविता गर्ग के द्वारा सम्पत्ति अधिकारी एवं जिलाधिकारी को लिखे पत्र दिनांक 20-7-2001 तथा 23-7-2001 से जालसाजी स्पष्ट होती है। इस विभाग में अधिकारियों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है।

2-मा0 सदस्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 विधायक श्री इरशाद खां के पत्र दिनांक 16-5-2011 के सम्बन्ध में शासन द्वारा उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् से आख्या मांगी गयी थी जो उनके पत्र दिनांक 6-6-2012 में प्राप्त हुई, जिसमें अवगत कराया गया है कि उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की इन्दिरानगर योजना लखनऊ में दिनांक 23-9-91 को सम्पन्न नीलामी में श्रीमती सविता गर्ग द्वारा रु0 30,000.00 टोकन धनराशि

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जमा करते हुए निर्गत टोकन संख्या-ए-8 द्वारा व्यावसायिक भू-खण्ड संख्या-21/491, जिसका क्षेत्रफल 1000.00 वर्गमीटर है, पर खुली बोली लगायी गयी। श्रीमती सविता गर्ग की बोली उच्चतम होने के कारण परिषद् के पत्र दिनांक 14-11-91 द्वारा श्रीमती सविता गर्ग द्वारा प्रीमियर कांस्ट्रक्शन के पक्ष में निर्गत किया गया।

श्रीमती सविता गर्ग द्वारा प्रदेशन-पत्र फर्म के नाम निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया, जिस पर परिषद् के आदेश दिनांक 10-9-92 द्वारा मेसर्स प्रीमियर कांस्ट्रक्शन के पक्ष में प्रदेशन-पत्र संशोधित किये जाने के आदेश दिये गये, जिसके अनुपालन में परिषद् के पत्र दिनांक 12-3-93 द्वारा पूर्व निर्गत प्रदेशन-पत्र दिनांक 14-11-91 को उक्त सीमा तक संशोधित करते हुए संशोधित प्रदेशन-पत्र निर्गत किया गया। निर्गत प्रदेशन-पत्र की प्रति सभी साझेदार श्री संजीव अग्रवाल, श्रीमती शशि, श्रीमती सविता गर्ग एवं श्री कृष्णकान्त मिश्रा को पृष्ठांकित की गयी। मेसर्स प्रीमियर कांस्ट्रक्शन के द्वारा औपचारिकतायें पूर्ण किये जाने पर दिनांक 16-4-93 को अनुबन्ध निष्पादित करते हुए पत्र दिनांक 16-4-93 द्वारा कब्जा पत्र निर्गत किया गया, जिसका भौतिक कब्जा मेसर्स प्रीमियर कांस्ट्रक्शन द्वारा दिनांक 27-4-93 को प्राप्त किया गया।

व्यावसायिक भू-खण्ड संख्या-21/491 की किश्तों को नियमित भुगतान न किये जाने के कारण अवशेष धनराशि की वसूली हेतु परिषद् के पत्र दिनांक 23-11-2009 द्वारा रु0 17,07,761.00 की आर0सी0 निर्गत की गयी। निर्गत आर0सी0 के क्रम में श्रीमती गर्ग ने अपने पत्र दिनांक 20-7-2001, जो आवास आयुक्त को सम्बोधित है, द्वारा यह अवगत कराते हुए कि आवास विकास परिषद् द्वारा उनके नाम से (श्रीमती सविता गर्ग) जिलाधिकारी को आर0सी0 भेजी गयी है, उसे रद्द कर दें और रिकवरी मेसर्स प्रीमियर कांस्ट्रक्शन से ही की जाय, उनका इससे कोई लेना-देना नहीं है। श्रीमती गर्ग द्वारा अपने पत्र दिनांक 23-7-2001 द्वारा पुनः जिलाधिकारी, लखनऊ को सम्बोधित पत्र जिसकी प्रति आवास आयुक्त को भी दी गयी, में स्पष्ट किया कि सहायक आवास आयुक्त के आदेश दिनांक 12-3-93 द्वारा भू-खण्ड मेसर्स प्रीमियर कांस्ट्रक्शन के नाम चढ़ चुका है और उन्होंने भू-खण्ड का कब्जा आवास विकास परिषद् से नहीं लिया है। इस भू-खण्ड को बेचकर पैसा वसूल लेवें, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भू-खण्ड को नीलाम कर दिया जाय, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है और यदि यह भू-खण्ड मुझे दिला दें तो मैं इसे रु0 30.00 लाख में नीलामी से तुरन्त खरीदने को तैयार हूं। जिस पर तहसीलदार, लखनऊ के पत्र दिनांक 5-1-2002 द्वारा श्रीमती गर्ग के प्रार्थना-पत्र दिनांक 20-7-2001 का उल्लेख करते हुए अवगत कराया गया कि उक्त भू-खण्ड से श्रीमती सविता गर्ग का कोई लेना-देना नहीं है।

तदोपरान्त श्री सी0के0 मिश्रा, 148, नेहरू इन्क्लेव, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा ओ0टी0एस0 योजना के अन्तर्गत भुगतान हेतु आवेदन किया गया, जिस पर आवास विकास परिषद् के पत्र दिनांक 01-01-2003 द्वारा ओ0टी0एस0 योजना के अन्तर्गत देय धनराशि का भुगतान किये जाने हेतु मेसर्स प्रीमियर कांस्ट्रक्शन के पक्ष में मांग-पत्र निर्गत किया गया, जिसके अनुसार दिनांक 15-2-2003 तक प्रथम किश्त रु0 8,15,182.00 एवं दिनांक 2-3-2003 तक द्वितीय किश्त रु0 8,15,182.00 का भुगतान करना था। निर्गत मांग-पत्र के क्रम में श्री वी0बी0 सिंह, कृते प्रीमियर कांस्ट्रक्शन, 148, नेहरू

इन्क्लेव, गोमती नगर, लखनऊ के प्रार्थना-पत्र के साथ दिनांक 13-2-2003 को रु0 8,15,182.00 का डी0डी0 एवं श्री सी0के0 मिश्रा, कृते प्रीमियर कांस्ट्रक्शन द्वारा दिनांक 28-2-2003 को रु0 8,15,182.00 का डी0डी0 प्रार्थना-पत्र के साथ परिषद् कार्यालय में जमा किया गया।

श्रीमती सविता गर्ग द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ में रिट याचिका संख्या-5201(एम0बी0)/2003 सविता गर्ग बनाम उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् व अन्य दायर की गयी, जिसे वापस लिये जाने हेतु मा0 न्यायालय में आवेदन किया गया, जिस पर मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 9-2-2004 द्वारा याचिका वापस किये जाने के आदेश दिये गये तथा फ्रेश रिट याचिका दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान की गयी। जिस पर श्रीमती सविता गर्ग द्वारा फ्रेश रिट याचिका संख्या-956 (एम0बी0)/2004, मा0 उच्च न्यायालय में दायर की गयी, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 25-2-2004 को याची के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित किये जाने के आदेश दिये गये। याची द्वारा औपचारिकतायें पूर्ण किये जाने पर मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में दिनांक 7-4-2004 को याची श्रीमती सविता गर्ग पार्टनर प्रीमियर कांस्ट्रक्शन के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित कर दिया गया।

उक्त निष्पादित विक्रय विलेख के विरुद्ध मेसर्स प्रीमियर कांस्ट्रक्शन द्वारा श्री के0के0 मिश्रा ने मा0 उच्च न्यायालय में सिविल मिस0 अप्लीकेशन संख्या-3850/2004 [रिट संख्या-956 (एम0बी0)/2004 में पारित आदेश दिनांक 25-2-2004 के रि-काल हेतु] दाखिल की गयी जो दिनांक 12-5-2004 को खारिज कर दी गयी। उक्त के उपरान्त मा0 उच्च न्यायालय में मेसर्स प्रीमियर कांस्ट्रक्शन द्वारा आवास विकास परिषद् के विरुद्ध रिब्यू पिटीशन संख्या-146/2004 [मूल रिट संख्या-956 (एम0बी0)/2004 में] दायर की गयी जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28-5-2004 को आदेश दिये गये कि याची द्वारा आवास आयुक्त के समक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने पर आवास आयुक्त द्वारा समस्त प्रभावी पक्षों को सुनकर निस्तारण किया जायेगा।

मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28-5-2004 के क्रम में याची द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन का निस्तारण आवास आयुक्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा पक्षकारों को सुनकर अपने आदेश दिनांक 12-7-2004 द्वारा कर दिया गया, जिसमें यह निर्देश दिये गये कि प्रश्नगत विवाद मेसर्स प्रीमियर कांस्ट्रक्शन के आपसी साझेदारों के मध्य है तथा जिस प्रकार उनके द्वारा एक दूसरे पर कपटपूर्ण एवं अपराधिक संव्यवहार के आरोप-प्रत्यारोप लगाये गये हैं। इस आरोपों/प्रत्यारोपों को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत प्रकरण में किसी निष्पक्ष पुलिस/सी0आई0डी0/सी0बी0आई0 जैसी जांच एजेन्सी से जांच कराये जाने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जानी उचित होगी तब तक भू-खण्ड के विक्रय, निर्माण पर पूर्णतयः रोक लगाना भी उचित होगा।

उक्त निर्गत कार्यालय आदेश की प्रति मेसर्स प्रीमियर कांस्ट्रक्शन द्वारा परिषद् के विरुद्ध दायर रिट याचिका संख्या-146/2004 में शपथ-पत्र के साथ संलग्न करते हुए मा0 उच्च न्यायालय में दिनांक 26-4-2004 को दाखिल किया गया। जो मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।]

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड गगहा, बड़हलगंज तथा विरई के गांवों में हुए भीषण अग्निकाण्ड में शासन द्वारा दी गई सहायता की धनराशि पर्याप्त मात्रा में न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राजेश त्रिपाठी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय सदस्य द्वारा अपनी उक्त सूचना के....

बाल विकास, पुष्टाहार व बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री वसीम अहमद)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[माध्यम से अवगत कराया गया है कि विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार के विकास खण्ड गगहा के अन्तर्गत ग्राम तिलसर, रामपुर बघौरा, विकास खण्ड बड़हलगंज के अन्तर्गत गोपला मार्ग उरुवा बाजार विकास खण्ड के विरैई जैसे अनेकों गांव में भीषण अग्निकाण्ड होने के कारण पचासों घर जलकर राख हो गये हैं। इन पीड़ित परिवारों का सब कुछ जलकर खत्म हो गया है। इन परिवारों को राजस्व विभाग द्वारा जो अहेतुक सहायता धनराशि उपलब्ध करायी गयी है वह उन परिवारों की हानि और वर्तमान महंगाई के दौर में जीवन-यापन करने हेतु आवश्यक संसाधन जुटाने में कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार बाढ़ पीड़ितों को एवं नदी के कटान से पीड़ित परिवारों को जो अहेतुक सहायता राशि उपलब्ध करायी जाती है, वह भी अपेक्षा के अनुसार काफी कम है। अहेतुक सहायता धनराशि बढ़ाये जाने हेतु क्षेत्रीय जनता ने क्षेत्रीय अधिकारियों से अनुरोध किया था परन्तु शासन द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही न किये जाने से क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। ऐसी दशा में अहेतुक सहायता धनराशि बढ़ाया जाना जनहित में आवश्यक है। मा0 सदस्य द्वारा इस अविलम्बनीय विषय पर शासन से कार्यवाही/वक्तव्य की मांग के साथ-साथ अहेतुक सहायता धनराशि बढ़ाये जाने की मांग की गयी है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि राज्य आपदा मोचन निधि एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से सहायता हेतु संशोधित मदों एवं मानकों की दरें भारत सरकार के पत्र संख्या-एम0एच0ए0 पत्र 32-7/2011-एन0डी0एम-1, दिनांक 16-1-2012 से लागू हो गया है। अग्निकाण्ड की घटनाओं से प्रभावित एवं नदी की कटान से पीड़ित परिवारों को अहेतुक सहायता भारत सरकार द्वारा दिनांक 16-1-2012 को निर्धारित नवीनतम मानक के अनुसार प्रदान की गयी है।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद चन्दौली में वर्ष 2003-2004 की भुपौली जीर्णोद्धार परियोजना अभी तक पूर्ण न होने के सम्बन्ध में श्री सुशील सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

भुपौली पम्प नहर की .....

बाल विकास, पुष्टाहार व बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री वसीम अहमद)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[मूल परियोजना वर्ष 2003-04 में व्यय वित्त समिति द्वारा रु0 4835.16 लाख पर स्वीकृत की गई थी। वित्तीय वर्ष 2006-07 में उक्त परियोजना की पुनरीक्षित लागत व्यय वित्तीय समिति की बैठक दिनांक 28.08.2006 में रु0 8561.64 लाख पर अनुमोदित की गई तथा परियोजना आर0आई0डी0एफ0-08 के अन्तर्गत वित्त पोषित की गई। अपर्याप्त प्राविधान ड्राइंगों में संशोधन एवं विगत वर्षों में दरों में बढ़ोत्तरी के कारण भुपौली पम्प नहर की क्षमता वृद्धि की पुनः पुनरीक्षित परियोजना फेज-2 कुल रु0 4274.31 लाख पर व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 10-12-2010 में अनुमोदित की गई है। उक्त परियोजना वित्त विभाग के पत्र दिनांक 29 अगस्त, 2011 द्वारा आर0आई0डी0एफ0-17 के अन्तर्गत वित्त पोषण हेतु नाबार्ड को स्वीकृति हेतु प्रेषित हैं।

उक्त परियोजना में पम्प गृह का निर्माण कार्य अपस्ट्रीम में 69.35 मीटर के लेविल तक एवं डाउन स्ट्रीम में 68.00 मीटर लेविल तक पूर्ण हो चुका है। सात में से छः एंकर वेल का कार्य पूर्ण हो चुका था चार एप्रोच वेल में से तीन का कार्य पूर्ण हो चुका है और एक का कार्य प्रगति पर है।]

जनपद मुरादाबाद की तहसील ठाकुरद्वारा के 35 गांवों में राशन व मिट्टी का तेल उपलब्ध न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अनीसुर्रहमान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

प्रश्नगत सूचना के सम्बन्ध में.....

बाल विकास पुष्टाहार व बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री वसीम अहमद)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना गया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[अवगत कराना है कि मुरादाबाद की तहसील ठाकुरद्वारा में विधान सभा 25-कॉठ के 35 गांव सम्मिलित हैं। राशन कार्ड धारकों को प्रतिमाह खाद्यान्न, मिट्टी का तेल आदि का वितरण निर्धारित मात्रा एवं निर्धारित मूल्य पर नामित पर्यवेक्षक अधिकारी की उपस्थिति में कराया जाता है। ग्राम की प्रशासनिक समिति व पर्यवेक्षक अधिकारी के द्वारा वितरण हो जाने के प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जाने के पश्चात् ही अग्रिम माह का कोटा जारी किया जाता है। वितरण में अनियमितता पाये जाने पर वितरण आदेश 2004 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। गत माहों में वितरण में पायी गई प्रथम दृष्टया अनियमितताओं के फलस्वरूप 35 ग्रामों में से माह मार्च, 2012 में 02 उचित दर की दुकान, माह अप्रैल, 2012 में 01 उचित दर की दुकान एवं माह मई, 2012 में 01 उचित दर की दुकान का अनुबन्ध-पत्र निलम्बित किया गया है तथा वितरण में अनियमिततायें सिद्ध पाये जाने पर माह अप्रैल, 2012 में 01 उचित दर विक्रेता एवं माह मई, 2012 में 01 उचित दर विक्रेता की राशन की दुकान का अनुबन्ध-पत्र निरस्त किया गया है। माह मई, 2012 में सन्दर्भित 35 उचित दर की दुकानों के निरीक्षण/वितरण में पायी गई अनियमितताओं के आधार पर दण्ड स्वरूप रु0 10,000/-की धनराशि प्रतिभूति के रूप में राज्य सरकार के पक्ष में जब्त की गई है।]

देश के लोकतांत्रिक इतिहास में मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में संसद के इतिहास में पहली बार किसी लोक सभा सदस्य के निर्विरोध चुने जाने पर नियम-110 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री के प्रति बधाई प्रस्ताव

*राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वासन तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं नियम-110 के अन्तर्गत आपकी अनुज्ञा चाहता हूं, आप मुझे अनुमति दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अपना प्रस्ताव रखें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, देश के लोकतांत्रिक इतिहास में एक ऐसी घटना हुयी है जिसमें उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस उम्मीद के साथ इस सरकार को चुना और जैसे हमारे माननीय मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश जिस दिशा में चल रहा है, आज मान्यवर, संसद के इतिहास में पहली बार कोई संसद सदस्य निर्विरोध चुना गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में युग परिवर्तन के इस युग की शुरूआत के लिये यह सदन सम्यक् रूप से इनको बधाई देता है। यह मेरा प्रस्ताव है मान्यवर। मैं समझता हूं कि सदन को इस पर पूरी तरह सहमत होना चाहिये। मैं यह प्रस्ताव सदन में रखता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी को इसके लिये बधाई दी जाये।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

आप सब लोग सहमत हैं ?

(सम्पूर्ण सदन की ओर से सहमत है की आवाजें)

ठीक है, सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास हुआ।

श्री अम्बिका चौधरी-

सबको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं। सोमवार को 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन अपराह्न 04 बजकर 18 मिनट पर सोमवार दिनांक 11 जून, 2012 को दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक : 08 जून, 2012

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पीछे पृष्ठ 78 पर)

श्री रविदास मेहरोत्रा-

प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा लखनऊ में कैंसर रोग के इलाज के लिए उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान एवं अस्पताल बनाने मा0 जनेश्वर मिश्र जी के नाम से 500 एकड़ का हरियाली हर्बल पार्क बनाने तथा 137 एकड़ क्षेत्रफल में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाने तथा लोकनायक जय प्रकाश नरायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र की लखनऊ में स्थापना जैसी महत्वपूर्ण घोषणाओं का हम स्वागत करते हैं।

मान्यवर, पिछली सरकार ने 2009 में 10 बिजली कम्पनियों को पावर प्लान्ट लगाने के लिये उनसे एम0ओ0यू0 किया था लेकिन अभी तक पावर प्लान्ट लगने शुरू नहीं हुए हमारी सरकार ने उन्हें 18 माह में पावर प्लान्ट लगाने का अन्तिम अल्टीमेटम दिया है। प्रदेश की जनता को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के मुख्य मंत्री काफी गम्भीर हैं। इस सरकार ने बिजली योजनाओं के लिए आठ हजार दो सौ करोड़ रु0 की व्यवस्था की है तथा 18500 कि0मी0 जर्जर तार एवं 80000 जर्जर खम्भे बदलने की योजना बनायी है। सरकार को सभी पुराने उन ट्रान्सफारमर जिन पर बहुत अधिक लोड हो गया है। लखनऊ में उन सभी पुराने ट्रान्सफारमरों को बदलने की योजना बनानी चाहिए। प्रदेश के मुख्य मंत्री ने जनता को सस्ती एवं रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए 4 हजार 40 करोड़ रु0 की व्यवस्था की, जो स्वागत योग्य है।

मान्यवर, रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के अन्तर्गत असहाय महिलाओं को 400 रु0 प्रतिमाह पेंशन देने 75 हजार नये विकलांगों को पेंशन देने तथा 9 लाख युवा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने तथा दसवीं कक्षा पास कर ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश करने वाले छात्र-छात्राओं को टैबलेट उपलब्ध कराने की घोषणा का हम स्वागत करते हैं।

मान्यवर, हमारी सरकार को प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के लिए कड़े कठोर प्रयास करने चाहिए।

मान्यवर, हमारी सरकार समाज के सबसे पिछड़े एवं तरक्की की अन्तिम सीढ़ी पर खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहती है। यह सरकार समाज के सबसे पिछड़े एवं कमजोर व्यक्ति को उसका हक एवं अधिकार दिलाने के लिए बचनबद्ध दिखाई दी है।

मान्यवर, मैं प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

पी0एस0यू0पी0-एल0 179 विधान सभा (324)-08-6-2012-813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।